

### तीसरी THIRD

# अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

### केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

### 2018-2019

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

फरवरी, February, 2019

#### परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा बैच 2018-2019.

वर्ष 2018-19 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 72 अनुदान मांगें तथा 6 विनियोग हैं। ₹198831.36 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹51433.28 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹147396.87 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹121 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

#### INTRODUCTORY NOTE

**Subject :** Third Batch of Supplementary Demands for Grants, 2018-2019.

The Third batch of Supplementary Demands for Grants for 2018-19 includes 72 Grants and 6 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹198831.36 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹51433.28 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 147396.87 crore. Besides, token provision of ₹ 121 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		•		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total

Cash Outgo

### नकद व्यय

#### कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय

#### 1. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

(क) 1. पादप किरमों और किसान के अधिकारों के संरक्षण के लिए पुंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.27 करोड़), सामान्य घटक (₹17 करोड़) और बीज एवं पौधरोपण सामग्री पर उपमिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना घटक (₹3.71 करोड़), 2. (i) राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत (₹5.13 करोड़), (ii) एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकीय स्कीम के अंतर्गत पेंशन के बकायों के भ्गतान के लिए कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र (₹4.50 करोड़), (iii) एकीकृत बागवानी विकास के लिए मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना घटक (₹14.18 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान, (iv) आय समर्थन स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक हेतु (₹13464 करोड़), एससीएसपी (₹2988 करोड़), टीएएसपी (₹1548 करोड़)। 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹5.30 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (₹79.31 करोड़) के लिए अतिरिक्त अंशदान, 4. (i) एमआईएस/ पीएसएस के कार्यान्वयन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹298.80 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (₹154.80 करोड़) के लिए सब्सिडियां, (ii) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

## 1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare

(a) For providing funds as 1. Grants for Creation of Capital Assets for Protection of Plant Varieties and Farmer's Right (₹2.27 crore) and for General Component (₹17 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹3.71 crore) under Sub-Mission on Seeds and Planting Material 2. Grantsin-aid General (i) under National Bamboo Mission (₹5.13 crore), (ii) to Agro-Economic Research Centre for payment of arrears of pension under Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics (₹4.50 crore) (iii) under Tribal Area Sub-Plan component under Mission for Integrated Developmetn of Horticulture (₹14.18 crore) (iv) for General Componant (₹13464 crore), SCSP (₹2988 crore) and TASP (₹1548 crore) under Income Support Scheme. 3. additional contribution for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹5.30 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹79.31 crore) under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 4. Subsidies for (i) Special Component Plan for Scheduled Castes (₹298.80 crore) and Tribal Area Sub-(₹154.80 crore) under

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड पूंजी राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital Total अभियान (पीएम-आशा) स्कीम के अंतर्गत Implementation of MIS/PSS (ii) Private निजी अधिप्राप्ति और थोक विव्रेला स्कीम Procurement and Stockist Scheme (पीपीएसएस) (₹1 करोड़) के रूप में निधियां (PPSS) under the scheme Pradhan प्रदान करने के लिए और 5. कृषि विस्तार Mantri Annadata Aay Sanrakshan संबंधी उप-मिशन के तहत जनजातीय क्षेत्र Abhiyan (PM-AASHA) (₹1 crore) and उप योजना घटक के तहत विज्ञापन और 5. Advertising and Publicity under प्रचार-प्रसार हेत् (₹4.98करोड़)। Tribal Area Sub-Plan component under Sub-Mission on Agriculture 18000.00 - 18000.00 Extension (₹4.98 crore). (ख) 1. कृषि विस्तार पर उपिमशन के अंतर्गत (b) For providing additional funds for 1. विज्ञापन और प्रचार (₹5 करोड़) और सामान्य Advertising and Publicity (₹5 crore) and सहायता अनुदान (₹5 करोड़), 2. एकीकृत Grants-in-aid General (₹5 crore) under बागवानी विकास के लिए मिशन के अंतर्गत Sub-Mission on Agriculture Extension सामान्य सहायता अनुदान (₹8.52 करोड़) 2. Grants-in-aid General under Mission (ii) आय समर्थन स्कीम के तहत सामान्य for Integrated Development of घटक हेत् (₹1496 करोड़), एससीएसपी Horticulture (₹8.52 crore) (ii) for (₹332 करोड़), टीएएसपी (₹172 करोड़) General Component (₹1496 crore), और 3. एमआईएस/ पीएसएस के कार्यान्वयन SCSP (₹332 crore), TASP (₹172 crore) के अंतर्गत सामान्य घटक (₹149.60 करोड़), under Income Support Scheme, and 3. अनुसूचित जाति के विशेष घटक योजना Subsidies for (i) General Component (₹33.20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र (₹149.60 crore), Special Component उपयोजना घटक (₹17.20 करोड़), कल्याण Plan for Scheduled Caste (₹33.20 crore) स्कीमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को and Tribal Area Sub-Plan Component दालों के वितरण के अंतर्गत सामान्य घटक (₹17.20 crore) under Implementation of (₹41.14 करोड़), अनुसूचित जाति के विशेष MIS/PSS and for General Component घटक योजना (₹9.13 करोड़) और जनजातीय (₹41.14 crore), Special Component क्षेत्र उपयोजना घटक (₹4.74 करोड़) के Plan for Scheduled Caste Component लिए सब्सिडियों हेत् अतिरिक्त निधियां प्रदान (₹9.13 crore) and Tribal Area Sub-Plan करने के लिए। Component (₹4.74 crore) under Distribution of Pulses to State/Union Territories for Welfare Schemes. 1308.32 1308.32 पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग 3 Department of Animal Husbandry, **Dairying and Fisheries** (क) अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (i) (a) For providing additional funds as (i) सामान्य सहायता अनुदान 1. पशु स्वास्थ्य संस्थान Grants-in-aid General 1. for the scheme स्कीम के लिए (₹2.50 करोड़), 2. सामान्य Animal Health Institute (₹2.50 crore), 2. घटक (₹0.75 करोड़), एससीएसपी घटक for General Component (₹0.75 crore), (₹0.17 करोड़) और टीएएसपी घटक SCSP Component (₹0.17 crore) and TASP (₹0.90 करोड़) पशुपालन अवसरंचना विकास Component (₹0.90 crore) under the निधि स्कीम के अंतर्गत 3. सामान्य घटक scheme Animal Husbandry Infrastructure (₹321.42 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोजना Development Fund 3. for General घटक (₹62.72 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र Component (₹321.42 crore), Scheduled उप योजना घटक (₹37.55 करोड़), (ii) भारतीय Caste Sub Plan Component (₹62.72 crore) पशु चिकित्सा परिषद को वेतन सहायता अनुदान and Tribal Area Sub Plan Component (₹0.24 करोड़)। (₹37.55 crore) under the scheme Rashriya Gokul Mission (ii) Grants-in- aid Salaries to Veterinary Council of

India (₹0.24 crore).

173.01

173.01

		राजस्व	es in Crore) जोड़	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	पूंजी Capital	Total
परमाणु ऊर्जा विभाग  4. परमाणु ऊर्जा सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा (सीएएए) नियंत्रक की बहियों में रूसी क्रेडिट के बकाया भुगतान हेतु भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि0 (एनपीसी आईएल) को ऋण प्रदान करने के लिए (₹3,000 करोड़)।	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  4 Atomic Energy For providing loans to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹3000 crore) towards outstanding payment of Russian Credit in the books of Controller of Aid, Accounts & Audit (CAAA).	-	1,818.71	1,818.71
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी (आयुष) मंत्रालय विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹18.54 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹58.92 करोड़)।	5 Ministry of Ayurveda, Yoga And Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH) For Grants-in-aid General (₹18.54 crore) and Grants-in-aid Salary (₹58.92 crore) under the various schemes.	36.40	-	36.40
कोयला मंत्रालय  10. कोयला मंत्रालय अनुसंधान और विकास (₹13.50 करोड़) और कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण (₹37.36 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COAL  10 Ministry of Coal  For meeting additional expenditure as Grants-in-aid General under the schemes Research and Development (₹13.50 crore) and Exploration of Coal and Lignite (₹37.36 crore).	10.93	-	10.93
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग  (i) ब्याज समकरण योजना (₹100 करोड़) और शुल्क वापसी योजना (₹210 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सब्सिडियों, (ii) विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) (iii) बाजार पहुंच पहल (₹20 करोड़) परियोजना विकास निधि स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.90 करोड़)।	11 Department of Commerce  For meeting additional requirement as (i) Subsidies under the schemes Interest Equalization Scheme (₹100 crore) and Duty Drawback Scheme (₹210 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) under the scheme Foreign Trade and Export Promotion (iii) Grants-in-aid General under the schemes Market Access Initiative (₹20 crore) and Project Development Fund (₹0.90 crore).	300.00		300.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (क) (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी (₹1975 करोड़) और (ii) 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता स्कीम के	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION  16 Department of Food and Public Distribution  (a) For releasing (i) food subsidy to Food Corporation of India under National Food Security Act (₹1975 crore) and (ii) Subsidies under the scheme Assistance to Sugar Mills for 2017-18 Season			
अंतर्गत सब्सिडियां जारी करने के लिए।	to Sugar Mills for 2017-18 Season (₹70 crore).	1,864.71	-	1,864.

					ड़ रुपए Rupe	
अनुदान	न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(	ख) भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश के लिए।		(b) For investment in the equity capital of Food Corporation of India.	-	1,000.00	1,000.00
रक्षा मं	iत्रालय	MI	NISTRY OF DEFENCE			
20. ₹	क्षा सेवाएं (राजस्व)	20	<b>Defence Services (Revenue)</b>			
(	(क) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (₹0.50 करोड़), जवाहर पर्वतारोहण संस्थान (₹5.29 करोड़) और राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेलकूद संस्थान (₹1.06 करोड़) को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए प्रावधान सहित वेतन (₹1156.46 करोड़), परिवहन (₹400 करोड़), निरीक्षण (₹42.76 करोड़), भण्डार (₹431.33 करोड़) और अन्य व्यय (₹165.84 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय		(a) For meeting additional expenditure for Salaries (₹1156.46 crore), transportation (₹400 crore), inspection (₹42.76 crore), Stores (₹431.33 crore), and Other expenditure (₹165.84 crore) including provision for additional grants in aid to Nehru Institute of Mountaineering (₹0.50 crore), Jawahar Institute of Mountaineering (₹5.29 crore) and			
	पूरा करने के लिए।		National Institute of Mountaineering			
(	ख) वेतन (₹302.26 करोड़), परिवहन (₹5 करोड़), मरम्मत और पुनर्सज्जा (₹250 करोड़), भण्डार (235 करोड़), संयुक्त स्टाफ (₹51.01 करोड़) और अन्य व्यय		and Allied Sports (₹1.06 crore).  (b) For meeting additional expenditure towards Salaries (₹302.26 crore), transportation (₹5 crore), repairs and refits (₹250 crore), Stores (₹235 crore),	1,049.15	-	1,049.15
	(₹80.02 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा		Joint Staff (₹51.01 crore) and Other			
(	करने के लिए। (ग) सिविलियन स्टाफ के वेतन और भत्ते (₹101.79 करोड़), निर्माण कार्य (₹60 करोड़) और अन्य व्यय (₹39.80 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		expenditure (₹80.02 crore).  (c) For meeting additional expenditure towards pay and allowances of civilian staff (₹101.79 crore), works (₹60 crore) and other expenditure (₹39.80 crore).	144.17 201.59	-	144.17 201.59
वित्त म	गंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
<b>34</b> . y	ात्यक्ष कर	34	Direct Taxes			
(	(क) स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹299.96 करोड़)।		<ul> <li>(a) For meeting additional requirement of funds under establishment &amp; InformationTechnology (₹299.96 crore).</li> </ul>	289.96		289.96
(	ख) धन, प्रतिभूतियां, संव्यवहार कर और और करों पर अंतरलेखा अंतरण के लिए।		(b) For inter Account transfer on Wealth, Securities, Transaction Tax and Other			
		2.	Taxes.	10.00	-	10.00
	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग मुबंई में 3 आवासीय फ्लेटों की खरीद हेतु अतिरिक्त	30	Indian Audit and Accounts Department For meeting expenditure for purchase of 3			
	यय पूरा करने के लिए।		residential flats in Mumbai.	_	25.55	25.55
	याज भुगतान	37		_	25.55	23.33
3 3 0 7 8	वाजार ऋणों, नगद प्रबंधन हुंडियों पर छूट, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड, 14/182 दिवसीय खजाना हुंडियों, 364 दिवसीय खजाना हुंडियों पर छूट, अर्थोपाय अग्निमों, पुनर्पूंजीकरण पर ब्याज, विदेशी ऋणों वर ब्याज, अल्प बचत जमा राशियों पर ब्याज, वमाणपत्र और प्रचालन खर्चों के लिए ब्याज भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए ₹13,420.41 करोड़)।		For additional requirement towards Interest Payments for Market Loans, Discount on Cash Management Bills, Compensation and Other bonds, 14/182 days T.Bills, Discount on 364 days T.Bills, Ways and Means Advances, Interest on Recapitalization Bonds, Interest on External Debt, Interest on small savings deposits, certificates and operational expenses, Interest on Reserve Funds and	0.10.57		0.105.55
			Interest on Others (₹13,420.41 crore).	9,196.65	-	9,196.6

	ग पूर्पर नाग, 20	016-20	19 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO		D	(V)
					ड़ रुपए Rupee. ∸•	•
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का	विवरण	Grant	No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			STRY OF HEALTH AND FAMILY ELFARE			
42. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभ	ग्राग -	42 De	partment of Health and Family Welfare			
(क) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत र	सामान्य सहायता	(a)	For (i) Grants-in-aid General			
अनुदान (₹1237.47 करे			(₹1237.47 crore), Grants for Creation			
आस्तियों के सृजन के	•		of Capital Assets (₹554.96 crore) and			
(₹554.96 करोड़) और र			Grants-in-aid Salaries (₹892.85) Under			
अनुदान (₹892.85 करोड़)			various schemes (ii) establishment			
प्रयोजन शीर्षों के अंतर्गत			related expenditure under various			
व्यय (₹140.83 करोड़) (	•		object heads (₹140.83 crore) (iii) Inter			
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के स सड़क और अवसंरचना निर्ध			Account Trasfer to Central Roads &			
करोड़) और पीजीआईएमईअ	•		Infrastructure Fund (₹1850.10 crore) in respect of Pradhan Mantri Swasthya			
संबंध में राष्ट्रीय निवेश निधि			Suraksha Yojana and to National			
और (iv) आरसीएच फ्लैक	` ,		Investment Fund in respect of			
अंतर्गत अन्य प्रभार (₹0.0			PGIMER, Chandigarh (₹9.15 crore)			
अंतरलेखा अंतरण।	-,		and (iv) Other Charges under RCH			
			Flexible Pool (₹0.01 crore).	619.10	-	619.10
(ख) (i) विभिन्न संस्थानों के 3	iतर्गत सामान्य	(b)	For (i) Grants-in-aid General (₹32.64			
सहायता अनुदान (₹32.64	1 करोड़) (ii)		crore) under the various institutions (ii)			
एनआरएचएम के अंतर्गत शामि	लि क्रियाकलापों		Grants for Creation of Capital Assets			
के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली है			(₹6.57 crore) under Other Health			
आस्तियों के सृजन के	•		System for activities covered under			
(₹6.57 करोड़) और (iii) क्षे			NRHM and (iii) Grants-in-aid Salaries			
विज्ञान संस्थान, इम्फाल के			under Regional Institute of Medical	(2.15		<i>(</i> 2 1 <i>5</i>
सहायता अनुदान (₹63.15 (ग)  विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत स		(a)	Sciences, Imphal (₹63.15 crore). For Grants-in-aid General (₹591.40	63.15	-	63.15
(ग)  विभिन्न संस्थानो के अंतर्गत स् अनुदान (₹591.40  करोड़ )		(c)	crore) under various institutions.	119.00	_	119.00
			crore) under various institutions.	117.00		117.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	ī .		TRY OF HEAVY INDUSTRIES AND UBLIC ENTERPRISES			
45. लोक उद्यम विभाग			epartment of Public Enterprises			
(क) वेतन हेतु निधियां उपलब्ध व			For providing funds for salaries.	0.50	_	0.50
(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उह	ग्रमों में स्वैच्छिक	(b)	For meeting expenditure for			
सेवानिवृत्ति स्कीम को कार्या	न्वित करने के		implementing of Voluntary Retirement			
लिए तथा अन्य संबंधित व्यय	य हेतु अतिरिक्त		Scheme in Central Public Sector			
व्यय पूरा करने के लिए।			Enterprises and other related expenditure.	0.50	-	0.50
गृह मंत्रालय	]	MINIS	TRY OF HOME AFFAIRS			
48. पुलिस		48 Po				
वेतन (₹4611.62 करोड़), नक्स			r Salaries (₹4611.62 crore), payment to Air			
सहायता के अंतर्गत हेलीकाप्टर			rce for helicopter operations under			
लिए वायुसेना को भुगतान (₹188° राजधानी क्षेत्र में यातायात और			sistance to Naxal Management (₹188			
का विकास, सहित अन्य प्रभार			ore), Other Charges including development traffic and communication network in NCR			
विभिन्न संगठनों की व्यावस	-		50 crore), Professional Services of various			
(₹100 करोड़), हथियार औ	-		ganization (₹100 crore), Arms and			
(₹35 करोड़) तथा बिना विधानम			nmunition (₹35 crore) and Coastal Security			
` राज्य क्षेत्रों के लिए तटीय सुरक्षा स			UTs without legislature under Grants-in-			
अनुदान (₹3.57 करोड़)।			l General (₹3.57 crore).	4,611.62	-	4611.62

			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of item	राजस्व s Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
50. चंडीगढ़	50 Chandigarh			
क) जलापूर्ति और स्वच्छता के अंतर्गत तैनात कर्मचारियों को भुगतान पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure on paymen staff deployed under Water Supply a Sanitation.		_	4.66
(ख) परिवहन विभाग में समयोपरि भत्ते पर व्यय (₹6 करोड़) और परिवहन बसों के लिए पीओएल (₹14 करोड़) का व्यय पूरा करने	(b) For meeting expenditure on overtical allowance in Transport Departm (₹6 crore) and POL for the transp	ent ort		
के लिए।  54. दिल्ली को अंतरण  जेआईसीए द्वारा सहायता प्राप्त विदेशी सहायता	buses (₹14 crore). <b>Transfers to Delhi</b> For meeting additional expenditure	20.00 for	-	20.00
प्राप्त परियोजना के लिए निधियां प्रदान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹2.59 करोड़)।	providing funds for JICA assisted externational aided project (₹2.59 crore).		0.08	0.08
55. पुहुचेरी को अंतरण एएफबी सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए पुहुचेरी को सहायता के लिए प्रावधान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने	For meeting additional requirement making provision for assistance Puducherry for AFD assisted Externation 1.1.1.2.	to	10.41	10.51
के लिए।	Aided Project.	-	49.61	49.61
आवासन और शहरी मामले मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBA	AN		
(क) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत परियोजना समय पर पूरा करने और शेष देयताओं को निपटाने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹40 करोड़)।	66 Ministry of Housing and Urban Affai <ul> <li>(a) For Grants-in-aid General (₹5 croand Grants for Creation of Cap Assets (₹40 crore) for clearing remaining liabilities and tim completion of the project unDeendayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihoods Miss</li> </ul>	ore) ital the ely der		
(ख) अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत भुगतान करने के लिए।	scheme for NER States.  (b) For payment under Deenda Antyodaya Yojana-National Url Livelihoods Mission scheme for N States under Other Administrat	45.00 yal oan ER ive	-	45.00
(ग) 1. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹98 करोड़) और राज्य को निर्मृत्ति (₹153.76 करोड़), 2. (i) अमृत स्कीम के अंतर्गत राज्यों की अनुमोदित एसएएपी की किस्तों को जारी करने के लिए (₹400 करोड़) तथा (ii) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी स्कीम (₹500 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। 3. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹4482.42 करोड़) 4. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी स्कीम केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से पूरी की जानी है	Expenses.  (c) For 1. Grants-in-aid General under scheme Deendayal Antyodaya Yoja National Urban Livelihood Mission NER States (₹98 crore) and for rele to State (₹153.76 crore) 2. Grants Creation of Capital Assets (i) for rele of instalments of approved SAAPs States under the scheme AMRUT (₹-crore) and (ii) under the scheme Swand Bharat Mission - Urban (₹500 crore Inter Account Transfer to Central Reand Infrastructure Fund (₹4482 crore) 4. Pradhan Mantri Awas Yoj - Urban scheme is to be met fr	na- for ase for ase s of 400 chh ) 3. bad .42 ana		0.24
(₹4482.42 करोड़ )।	Central Road and Infrastructure Fu (₹4482.42 crore).	553.76	-	553.76

3. 6. /	2010 2017 GOTTEENMENT DEMINISTER			(111)
		(कर	ोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) (i) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जारी करने के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़), (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹19.50 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹19.50 करोड़)।	(d) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Deendayal Antyodaya Yojana- National Urban Livelihoods Mission for release to Union Territory Governments (₹1 crore) (ii) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹19.50 crore) and (iii) Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (₹19.50 crore).	1.00		1.00
(ड.) मुम्बई मेट्रो को पास थ्रू सहायता हेतु ऋण एवं अग्रिमों के लिए।	(e) For loans and advances for Pass Through Assistance to Mumbai Metro.	-	600.00	600.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND			
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय (क) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹671.57 करोड़), एससीएसपी (₹166.02	EMPLOYMENT  60 Ministry of Labour and Employment  (a) For meeting additional requirement as  Grants-in-aid General (₹671.57 crore),  SCSP (₹166.02 crore) and TSP (₹84.03			
करोड़) और टीएसपी (₹84.03 करोड़) के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ख) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के	crore) under the scheme Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana.  (b) For meeting additional requirement as Grants-in-aid General under the scheme Pradhan Mantri Rozgar Protsahan	921.62	-	921.62
लिए।	Yojana.	103.17	-	103.17
विधि एवं न्याय मंत्रालय  61. विधि एवं न्याय  लोक सभा चुनाव 2019 के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरीफायबल पेपर आडिट ट्रेल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  61 Law and Justice For making payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails for Lok Sabha Election, 2019.	_	1,637.14	1637.14
63. भारत का उच्चतम न्यायालय वेतन (₹5 करोड़), चिकित्सा इलाज (₹1 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹1.47 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	63 Supreme Court of India  For meeting additional expenditure towards  Salaries (₹5 crore), Medical Treatment  (₹1 crore) and Professional Services  (₹1.47 crore).	7.47	-	7.47
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य सरकारों को डिफरेंसियल रॉयल्टी का भुगतान स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹1929.49 करोड़ )।	NATURAL GAS  72 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing additional funds under the scheme Payment of Differential Royalty to State Governments (₹1929.49 crore).	1,364.19	-	1364.19
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
<ul><li>75. राष्ट्रपति का कर्मचारीवृंद, सहायक और भत्ते</li><li>(i) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.20 करोड़) और (ii) बेकार घोषित</li></ul>	75 Staff, Household and Allowances of the President For meeting additional expenditure under (i) Other Administrative Expenses for Staff			

		(करोड़ रुपए Rupees in G		s in Crore)
Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
77	Training (₹0.20 crore) and (ii) Office Expenses for replacement of condemned vehicles (₹0.22 crore).  Rajya Sabha  For meeting expenditure on salary and wages on implementation of the recommendations of the Fifth Parlimenary Pay Committee.	0.42	-	0.42
MI	NISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81	Ministry of Road Transport and Highways For (i) Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highway Fund (₹4840.75 crore) (ii) Investment in NHAI financed from Monetiztion of National Highways Fund (₹4840.75 crore) (iii) additional expenditure for Major Works under National Highways Original Works financed from CRIF (₹2200 crore) (iv) purchase of integrated IP based Security and Surveillance System under Office Expenses on Information Technology (₹2.50 crore) and (v) additional equity investment in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (₹2 crore) through bonus share.	_	4,840.75	4,840.75
DE	PARTMENT OF SPACE			
91	(a) For meeting arbitration expenses.  (b) For meeting expenditure towards the operational expenses of the Department ISRO Centres/Units namely Satish Dhawan Space Centre (₹31 crore), ISRO Headquarters (₹10.03 crore), Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹100 crore), Semi Cryogenic Engine Development Project (₹22 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore) of North-Eastern Space Applications Centre, Grant-in-Aid General of RESPOND (₹1.20 crore), Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹25.31 crore), INSAT - 4 Satellite (₹4.59 crore), GSAT-29 Satellite (₹13.62 crore), GISAT (₹5.09 crore), RISAT-1B (₹2.23 crore), GSAT 22/23/24 Satellites (₹5.40 crore), Navigational	15.00		15.00
	77 MI 81	Expenses for replacement of condemned vehicles (₹0.22 crore).  77 Rajya Sabha For meeting expenditure on salary and wages on implementation of the recommendations of the Fifth Parlimenary Pay Committee.  MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  81 Ministry of Road Transport and Highways For (i) Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highway Fund (₹4840.75 crore) (ii) Investment in NHAI financed from Monetiztion of National Highways Fund (₹4840.75 crore) (iii) additional expenditure for Major Works under National Highways Original Works financed from CRIF (₹2200 crore) (iv) purchase of integrated IP based Security and Surveillance System under Office Expenses on Information Technology (₹2.50 crore) and (v) additional equity investment in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (₹2 crore) through bonus share.  DEPARTMENT OF SPACE  91 Department of Space (a) For meeting arbitration expenses. (b) For meeting expenditure towards the operational expenses of the Department ISRO Centres/Units namely Satish Dhawan Space Centre (₹31 crore), ISRO Headquarters (₹10.03 crore), Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹100 crore), Semi Cryogenic Engine Development Project (₹22 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore) of North-Eastern Space Applications Centre, Grant-in-Aid General of RESPOND (₹1.20 crore), Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹25.31 crore), ISSAT-4 Satellite (₹4.59 crore), GSAT-29 Satellite (₹4.59 crore), GSAT-29 Satellite (₹4.59 crore), GSAT-29 Satellite (₹4.59 crore), GSAT-29 Satellite (₹3.62 crore), GSAT-29 Satellite (₹3.62 crore), GSAT-20 crore), RISAT-1B (₹2.23 crore), GSAT-2023/	Training (₹0.20 crore) and (ii) Office Expenses for replacement of condemned vehicles (₹0.22 crore).  77 Rajya Sabha For meeting expenditure on salary and wages on implementation of the recommendations of the Fifth Parlimenary Pay Committee.  23.37  MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  81 Ministry of Road Transport and Highways For (i) Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highway Fund (₹4840.75 crore) (ii) Investment in NHAI financed from Monetiztion of National Highways Fund (₹4840.75 crore) (iii) additional expenditure for Major Works under National Highways Original Works financed from CRIF (₹2200 crore) (iv) purchase of integrated IP based Security and Surveillance System under Office Expenses on Information Technology (₹2.50 crore) and (v) additional equity investment in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (₹2 crore) through bonus share.  DEPARTMENT OF SPACE  91 Department of Space (a) For meeting arbitration expenses. (b) For meeting arbitration expenses. (c) For meeting arbitration expenses. (d) For meeting arbitration expenses. (e) For meeting arbitration expenses. (f) For meeting arbitration expenses. (g) For meeting expenditure towards the operational expenses of the Department ISRO Centres/Units namely Satish Dhawan Space Centre (₹31 crore), ISRO Headquarters (₹10.03 crore), Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹100 crore), Semi Cryogenic Engine Development Project (₹22 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore) of North-Eastern Space Applications Centre, Grant-in-Aid General of RESPOND (₹1.20 crore), Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹25.31 crore), GSAT-29 Satellite (₹3.62 crore), GSAT-29 Sortellite (₹3.62 crore), GSAT-29	Training (₹0.20 crore) and (ii) Office Expenses for replacement of condemned vehicles (₹0.22 crore). 0.42  7Rajya Sabha For meeting expenditure on salary and wages on implementation of the recommendations of the Fifth Parlimenary Pay Committee. 23.37  MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  81 Ministry of Road Transport and Highways For (i) Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highways Fund (₹4840.75 crore) (ii) Investment in NHAI financed from Monetiztion of National Highways Fund (₹4840.75 crore) (iii) Investment in NHAI financed from Monetiztion of National Highways Fund (₹4840.75 crore) (iii) additional expenditure for Major Works under National Highways Original Works financed from CRIF (₹2200 crore) (iv) purchase of integrated IP based Security and Surveillance System under Office Expenses on Information Technology (₹2.50 crore) and (v) additional equity investment in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (₹2 crore) through bonus share. 4,840.75  DEPARTMENT OF SPACE  91 Department of Space  (a) For meeting expenditure towards the operational expenses of the Department ISRO Centres/Units namely Satish Dhawan Space Centre (₹31 crore), ISRO Headquarters (₹10.03 crore), Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹100 crore), Semi Cryogenic Engine Development Project (₹22 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore) of North-Eastern Space Applications Centre, Grant-in-Aid General of RESPOND (₹1.20 crore), Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹2.5.31 crore), INSAT - 4 Satellite (₹4.59 crore), GISAT (₹5.09 crore), RISAT-1B (₹2.23 crore), GSAT 22/23/24 24 Satellites (₹5.40 crore), Navigational Satellite System (₹3.79 crore)

crore).

153.07

153.07

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (ix) (करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** (ग) 1. (i) पोलर उपग्रह लांच व्हीकल -सतत (c) For meeting additional expenditure परियोजना (₹15 करोड़), (ii) इसरो उपग्रह towards 1. Machinery & Equipment केन्द्र (₹5 करोड़), (iii) सेमी क्रायोजनिक under the Schemes (i) Polar Satellite इंजन विकास (₹4.20 करोड़), (iv) इसरो Launch Vehicle - Continuation Project टैलीमिट्री, ट्रैकिंग और कमान नेटवर्क (₹ 15 crore) (ii) ISRO Satellite Centre (₹11.04 करोड़), (v) दूसरा वाहन एसेम्बली (₹5 crore) (iii) Semi-cryogenic Engine भवन (₹17.40 करोड़), (vi) रिसोर्ससेट-3 Development (₹ 4.20 crore) (iv) ISRO और 3ए (₹0.20 करोड़), (vii) लघु उपग्रह Telemetry, Tracking & Command लांच व्हीकल विकास (₹3.34 करोड़), (viii) Network (₹11.04 crore) (v) Realisation भारतीय लूनर मिशन-चन्द्रयान 1 और 2 of Second Vehicle Assembly Building (₹8.17 करोड़), (ix) एक्स-रे पोलरीमीटर (₹17.40 crore) (vi) Resourcesat-3 & 3A उपग्रह (₹0.25 करोड़), (x) इनसेट-4/जीसैट (₹ 0.20 crore), (vii) Small Satellite उपग्रह (₹1.54 करोड़), (xi) जीसैट-17 Launch Vehicle Development (₹ 3.34 उपग्रह (₹1.46 करोड़), (xii) जीसैट 29 crore) (viii) Indian Lunar Mission -उपग्रह (₹4.26 करोड़), (xiii) ट्राइसोनिक Chandrayaan-1&2 (₹8.17 crore) (ix) X-पवन स्रंग स्विधा (₹7.42 करोड़), (xiv) Ray Polarimeter Satellite (₹ 0.25 crore) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹127.94 करोड़) (x) INSAT-4/GSAT Satellites (₹ 1.54 स्कीमों के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर 2. crore) (xi) GSAT-17 Satellite (₹ 1.46 (i) आरआईसैट 1बी (₹7.72 करोड़), (ii) crore), (xii) GSAT 29 Satellite (₹ 4.26 मानवयुक्त मिशन पहल/मानव अंतरिक्ष उड़ान crore) (xiii) Trisonic Wind Tunnel कार्यक्रम (गगनयान) (₹257 करोड़), (iii) Facility (₹ 7.42 crore) (xiv) Space आदित्य (₹25.25 करोड़), (iv) जीसैट-20 Applications Centre (₹ 127.94 crore) 2. उपग्रह (₹43.85 करोड़), (v) जीसैट 30/ Other Capital Expenditure under the 31 संचार अंतरिक्ष यान-लांच सेवाएं (₹17.47 Schemes (i) RISAT 1B (₹ 7.72 crore) करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अन्य पुंजीगत (ii) Manned Mission Initiatives/Human व्यय, 3. (i) सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र-Space Flight Programme (Gaganyaan) एसएचएआर (₹7 करोड़), (ii) पीएसएलवी (₹257 crore) (iii) Aditya (₹25.25 crore) एकीकरण स्विधा (₹20 करोड़), (iii) अंतरिक्ष (iv) GSAT-20 Satellite (₹ 43.85 crore) अनुप्रयोग केन्द्र (₹35 करोड़) (iv) राष्ट्रीय (v) GSAT-30/31Communication दूरस्थ संवेदी केन्द्र (₹17 करोड़) स्कीमों के Spacecrafts - Launch Services (₹ 17.47 अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य, 4. (i) इलेक्ट्रो crore) 3. Major Works under the ऑप्टिक्स प्रणालियां (₹1.77 करोड़) (ii) Schemes (i) Satish Dhawan Space सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र-एसएचएआर Centre – SHAR (₹ 7 crore) (ii) PSLV (₹3.70 करोड़), (iii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग Integration Facility (₹ 20 crore) (iii) केन्द्र (₹25 करोड़) (iv) आपदा प्रबंधन Space Applications Centre (₹ 35 crore) सहायता (₹0.60 करोड़) (v) इसरो टैलीमिट्री, (iv) National Remote Sensing Centre (₹ ट्रैकिंग और कमान नेटवर्क (₹2.37 करोड़) 17 crore) 4. Information Technology -स्कीमों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी-मशीनरी Machinery & Equipment under the और उपस्कर हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने Schemes (i) Laboratory for Electro के लिए। Optics Systems (₹ 1.77 crore) (ii) Satish Dhawan Space Centre – SHAR (₹ 3.70 crore) (iii) Space Applications Centre (₹ 25 crore) (iv) Disaster Management Support (₹ 0.60 crore) (v) ISRO Telemetry, Tracking & Command Network (₹ 2.37 crore). 248.47 248.47 इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL 93. इस्पात मंत्रालय 93 Ministry of Steel वेतन और अन्य शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त For meeting the additional requirement

कुल नकद व्यय **Total Cash Outgo** 41,212.97 10,220.31 51,433.28

crore).

under salary and other heads (₹3.78

1.24

1.24

आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹3.78 करोड़)।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

परमाणु ऊर्जा

सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा (सीएएए) नियंत्रक

की बहियों में रूसी क्रेडिट के बकाया भूगतान हेत्

पूंजी जोड राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital Total पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical ₹1,47,396.87 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक supplementary grants/appropriations for ₹ 1,47,396.87 crore which are matched अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ अतिरिक्त प्राप्तियों/वस्लियों या मंत्रालयों/विभागों Departments. The items are as follows: की तदनुरूपी बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं : तकनीकी पूरक मांग अनुदान **Technical Supplementary Demands for grants** MINISTRY OF AGRICULTURE AND कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय FARMERS' WELFARE कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare 1. कृषि विस्तार पर उपमिशन के अंतर्गत विज्ञापन For providing additional funds for 1. और प्रचार (₹5 करोड़) और सामान्य सहायता Advertising and Publicity (₹5 crore) and अनुदान (₹5 करोड़), 2. एकीकृत बागवानी Grants-in-aid General (₹5 crore) under Sub-विकास के लिए मिशन के अंतर्गत सामान्य Mission on Agriculture Extension 2. Grants-सहायता अनुदान (₹8.52 करोड़) (ii) आय in-aid General under (i) Mission for समर्थन स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹1496 Integrated Development of Horticulture करोड़), एससीएसपी (₹332 करोड़), टीएएसपी (₹8.52 crore) (ii) for General Component (₹172 करोड़) और 3. एमआईएस/ पीएसएस (₹1496 crore), SCSP (₹332 crore), TASP के कार्यान्वयन के अंतर्गत सामान्य घटक (₹172 crore) under Income Support Scheme, (₹149.60 करोड़), अनुसूचित जाति के विशेष and 3. Subsidies for (i) General Component घटक योजना (₹33.20 करोड़) और जनजातीय (₹149.60 crore), Special Component Plan क्षेत्र उपयोजना घटक (₹17.20 करोड़), कल्याण for Scheduled Caste (₹33.20 crore) and स्कीमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों Tribal Area Sub-Plan Component (₹17.20 के वितरण के अंतर्गत सामान्य घटक (₹41.14 crore) under Implementation of MIS/PSS करोड़), अनुसूचित जाति के विशेष घटक योजना and for General Component (₹41.14 crore), (₹9.13 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना Special Component Plan for Scheduled घटक (₹4.74 करोड़) के लिए सब्सिडियों हेतु Caste Component (₹9.13 crore) and Tribal अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए। Area Sub-Plan Component (₹4.74 crore) under Distribution of Pulses to State/Union Territories for Welfare Schemes. 78.69 78.69 Department of Animal Husbandry, पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग 3 **Dairying and Fisheries** (क) अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेत् (i) सामान्य (a) For providing additional funds as (i) Grants-in-aid General 1. for the scheme सहायता अनुदान 1. पशु स्वास्थ्य संस्थान स्कीम के लिए (₹2.50 करोड़), 2. सामान्य घटक (₹0.75 Animal Health Institute (₹2.50 crore), 2. for General Component (₹0.75 crore), SCSP करोड़), एससीएसपी घटक (₹0.17 करोड़) और टीएएसपी घटक (₹0.90 करोड़) पशुपालन Component (₹0.17 crore) and TASP अवसरंचना विकास निधि स्कीम के अंतर्गत 3. Component (₹0.90 crore) under the scheme सामान्य घटक (₹321.42 करोड़), अनुसूचित जाति Animal Husbandry Infrastructure उपयोजना घटक (₹62.72 करोड़) और जनजातीय Development Fund 3. for General क्षेत्र उप योजना घटक (₹37.55 करोड़), (ii) Component (₹321.42 crore), Scheduled भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को वेतन सहायता Caste Sub Plan Component (₹62.72 crore) अन्दान (₹0.24 करोड़)। and Tribal Area Sub Plan Component (₹37.55 crore) under the scheme Rashriya Gokul Mission (ii) Grants-in-aid Salaries to Veterinary Council of India (₹0.24 crore). 28.13 28.13 DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY परमाणु ऊर्जा विभाग

**Atomic Energy** 

For providing loans to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL)

			ड़ रुपए Rupees	
मनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि0 (एनपीसी आईएल) को ऋण प्रदान करने के लिए (₹3,000 करोड़ )।	(₹3000 crore) to clear outstanding payment of Russian Credit in the books of Controller of Aid, Accounts & Audit.	-	556.77	556.77
प्रायुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
<ul> <li>अायुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय</li> <li>विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान</li> </ul>				
(₹18.54 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹58.92 करोड़ )।	Grants-in-aid Salary (₹58.92 crore) under various schemes.	17.00	-	17.00
सायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
<ol> <li>भेषज विभाग</li> <li>(क) (i) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि0 (एचए एल), पुणे को प्रदत्त सरकारी ऋण और ब्याज को बहे खाते डालना (₹307.23 करोड़) और (ii) क्लस्टर विकास के अंतर्गत भेषज उद्योग का विकास (₹4 करोड़) के लिए।</li> </ol>	8 Department of Pharmaceuticals  (a) For (i) Write-off of Government loan and Interest to Hindustan Antibiotics Limited (HAL), Pune (₹307.23 crore) and (ii) Development of Pharmaceutical Industry under Cluster Development	007.00		207 22
(ख) राजस्थान औषधि एवं भेषज लि0 को ऋण प्रदान करने के लिए।	<ul><li>(₹4 crore).</li><li>(b) For providing loan to Rajasthan Drugs &amp; Pharmaceuticals Limited.</li></ul>	307.23	3.95	3.95
गागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
). नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमान पत्तनों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विद्युत चालित गोल्फ गाड़ियों की खरीद पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on purchase of electric operated golf carts for Senior citizens at AAI airports.	0.98	-	0.98
ाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
<ol> <li>वाणिज्य विभाग         <ul> <li>(i) ब्याज समकरण योजना (₹100 करोड़) और शुल्क वापसी योजना (₹210 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सब्सिडियों, (ii) विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) (iii) बाजार पहुंच पहल (₹20 करोड़) पियोजना विकास निधि (₹0.90 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।</li> </ul> </li> </ol>	11 Department of Commerce  For meeting the additional requirement as  (i) Subsidies under the schemes Interest Equalization Scheme (₹100 crore) and Duty Drawback Scheme (₹210 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) under the scheme Foreign Trade and Export Promotion (iii) Grants-in-aid General under the schemes Market Access Initiative (₹20 crore) and Project Development			
2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण और	Fund (₹0.90 crore).  12 Department of Industrial Policy and Promotion	10.00		10.00
सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement towards Major Works under scheme Modernization and Strengthening of Intellectual Property			
	Offices.	-	16.33	16.33

			ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
भारत डाक भुगतान बैंक में पूंजीगत निवेश के	For providing ₹150 crore as capital			
रूप में ₹150 करोड़ प्रदान करने के लिए।	investment in India Post Payments Bank.	_	46.86	46.86
	111 / Colline 111 111 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		.0.00	.0.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	19 Ministry of Defence (Misc.)			
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में	For meeting expenditure arising out of court			
भूमि अधिग्रहण के लिए न्यायालय के आदेशों से	orders for land acquisition in Port Blair,			
उत्पन्न व्यय को पूरा करने के लिए।	Andaman and Nicobar Islands.	-	2.16	2.16
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (₹0.50 करोड़),	For meeting additional requirement for			
जवाहर पर्वतारोहण संस्थान (₹5.29 करोड़) और	Salaries (₹1156.46 crore), transportation			
राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेलकूद संस्थान	(₹400 crore), inspection (₹42.76 crore),			
(₹1.06 करोड़) को अतिरिक्त सहायता अनुदान	Stores (₹431.33 crore), and Other			
के लिए प्रावधान सहित वेतन (₹1156.46 करोड़),	expenditure (₹165.84 crore) including			
परिवहन (₹400 करोड़), निरीक्षण (₹42.76 करोड़),	provision for additional grants in aid to			
भण्डार (₹431.33 करोड़), और अन्य व्यय	Nehru Institute of Mountaineering (₹0.50			
(₹165.84 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता	crore), Jawahar Institute of Mountaineering			
पूरी करने के लिए।	(₹5.29 crore) and National Institute			
<u>6</u>	of Mountaineering and Allied Sports (₹1.06			
	crore).	9.06	_	9.00
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21 Capital Outlay on Defence Services			
वायुसेना की विशेष परियोजना (₹16.82 करोड़),	For meeting additional expenditure arising			
आयुध निर्माणियों की मशीनरी और उपस्कर	out of court orders under Special Project of			
्र (₹0.50 करोड़), निरीक्षण कार्य (₹0.10 करोड़)	Air Force (₹16.82 crore), Machinery and			
तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों (₹80 करोड़)	Equipment of Ordnance Factories (₹0.50			
के अंतर्गत न्यायालय के आदेश से उत्पन्न अतिरिक्त	crore), Works of inspection (₹0.10 crore)			
व्यय को पूरा करने के लिए।	and Works for Research and Development			
	(₹80 crore).	_	97.42	97.42
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND			
	SANITATION			
24. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	24 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन स्कीम के	(a) For transfer of funds to Central Road			
अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि	and Infrastructure Fund under the			
को निधियों के अंतरण के लिए।	schemeNational Rural Drinking Water			
	Mission.	0.32	-	0.32
(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन स्कीम के	(b) For transfer of funds to Central Road			
अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि	and Infrastructure Fund under the			
को निधियों के अंतरण के लिए।	scheme National Rural Drinking Water			
	Mission.	5,391.00		5,391.00
हलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND			
राष्ट्रामयस्य जार सूचमा आधाममा नत्रालय	INFORMATION TECHNOLOGY			
e. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information			
-०. रतनप्रतानमा जार पुनना आवातिका नशस्त	Technology			
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	For meeting additional expenditure as			
विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एवं क्लस्टर	Grants-in-aid General in respect of			
विनिर्माण) के संवर्धन के संबंध में सामान्य सहायता	Promotion of Electronics and Information			
अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के				
अनुदान क रूप में आतारक्त व्यय पूरी करन क लिए (₹40 करोड़) ।	Technology Hardware Manufacturing			
ालर् <b>(र.४७</b> कराङ्) ।	(MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing)	20.01		20.01
	(₹40 crore).	20.91	-	20.91

1,922.90 1,922.90

			रोड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय 31. वित्तीय सेवाएं विभाग पुनर्पूंजीकरण बांड के निर्गम के माध्यम से एक्जिम	MINISTRY OF FINANCE 31 Department of Financial Services For capital infusion in EXIM Bank through			
बैंक में पूंजी निवेश के लिए।  38. ऋण की पुनर्अदायगी  (क) बाजार ऋणों की पुनर्अदायगी, 182/364  दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, नकद प्रबंधन हुंडियों, अर्थोपाय अग्रिमों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियों, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड, हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹583426.57 करोड़)।	issuance of recapitalization bonds.  38 Repayment of Debt  (a) For additional requirement towards repayment of Market Loans, 182/364 Days T.Bills, Cash Management Bills, Ways and Means Advances, Securities issued to International Financial Institutions, Compensation and Other Bonds (₹583426.57 crore).	-	4,500.00 1,04,709.12	4,500.00
(ख) विनिमय दर उतार-चढ़ाव की वजह से विदेशी ऋण हेतु अतिरिक्त आवश्यवला पूरी करने	(b) For additional requirement towards External Debt due to exchange rate	_		
के लिए ।  40. राज्यों को अंतरण  विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (ब्लाक ऋण)।	fluctuation.  40 Transfers to States For providing additional allocation under the scheme Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block Loans).	-	1,885.00 3,800.84	1,885.00 3,800.84
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
42.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	WELFARE 42 Department of Health and Family Welfare			
<ul> <li>(क) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1237.47 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹554.96 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹892.85 करोड़) (ii) विभिन्न प्रयोजन शीर्षों के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय (₹140.83 करोड़) (iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹1850.10 करोड़) और पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय निवेश निधि (₹9.15 करोड़) को अंतर लेखा अंतरण और (iv) आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹0.01 करोड़) के लिए।</li> <li>(ख) (i) मोटर वाहनों (एम्बुलेंस) की अधिप्राप्ति औषधालयों एवं अस्पतालों की स्थापना के लिए (₹1.35 करोड़), (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना- एम्स की तरह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सह-प्रशिक्षण संस्थान और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन (₹1922.90 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹1922.90 करोड़) ।</li> </ul>	(a) For (i) Grants-in-aid General (₹1237.47 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹554.96 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹892.85) Under various schemes (ii) establishment related expenditure under various object heads (₹140.83 crore) (iii) Inter Account Trasfer to Central Roads & Infrastructure Fund (₹1850.10 crore) in respect of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana and to National Investment Fund in respect of PGIMER, Chandigarh (₹9.15 crore) and (iv) Other Charges under RCH Flexible Pool (₹0.01 crore).  (b) For (i) procurement of Motor Vehicles (Ambulances) for setting up of Dispensaries and Hospitals (₹1.35 crore) (ii) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana-establishment of AIIMS type super speciality Hospitals -cum-Teaching institutions and upgradation of State Govt. hosptals(₹1922.90 crore) and (iii) Inter Account Transfer to Central Roads & Infrastructure Fund to Central Roads & Infrastructure Fund under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana	2,115.25		2,115.25

(₹1922.90 crore).

		(करो	ड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) (i) केन्द्रीय सङ्क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना- एम्स की तरह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सह-प्रशिक्षण संस्थान और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन-मुख्य निर्माण कार्य (₹2 करोड़)। (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹2 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c) For meeting the additional requirement for (i) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana-establishment of AIIMS type super speciality Hospitals-cum-Teaching institutions and upgradation of State Govt. hosptals- under Major Works (CRIF) (₹2 crore) (ii) Inter Account Transfer to Central Roads & Infrastructure Fund (₹2 crore) under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.	-	2.00	2.00
(घ) (i) मुख्य निर्माण कार्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना- एम्स की तरह सुपर स्पेशियलिटी सह-प्रशिक्षण संस्थान और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन-तथा केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत (₹50 करोड़)। (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹50 करोड़)।	(d) For meeting additional requirement for (i) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana-establishment of AIIMS type super speciality Hospitals-cum Teaching institutions and upgradation of State Govt. hospitals under Major Works and Machinery & Equipments (₹50 crore) to CRIF and (ii) Inter Account Transfer to Central Roads & Infrastructure Fund (₹50 crore) under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.	-	50.00	50.00
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44. भारी उद्योग विभाग  (i) पुनरुद्धार और मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नेपा लि0 को जारी भारत सरकार के ऋण का इक्विटी में परिवर्तन (₹33 करोड़) और (ii) पुनरुद्धार और मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नेपा लि0 में इक्विटी के रूप में निवेश (₹16.54 करोड़)।	44 Department of Heavy Industry  For (i) conversion of Government of India loan released to NEPA Limited for implementation of Revival and Mill Development Plan into equity (₹33 crore). and (ii) Investment as equitiy in NEPA Limited for implementation of Revival and Mill Development Plan (₹16.54 crore).	-	10.00	10.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
<ul> <li>46. गृह मंत्रालय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र की स्थापना के लिए।</li> <li>48. पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कार्यालय भवन (₹0.10</li> </ul>	<ul> <li>46 Ministry of Home Affairs For setting up of the Indian Cyber Crime Coordination Centre.</li> <li>48 Police For office building of National Security</li> </ul>	6.00	-	6.00
करोड़) और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल के मोटर वाहनों (₹0.02 करोड़) के लिए। 49. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	Guard (₹0.10 crore) and Motor Vehicles of Central Reserve Police Force (₹0.02 crore). 49 Andaman and Nicobar Islands	-	0.12	0.12
<ul> <li>(क) औषिधयों की खरीद हेतु बकाया भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।</li> <li>(ख) (i) स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) और (ii) पोर्ट ब्लेयर नगर निगम को वेतन सहायता अनुदान (₹60 करोड़) के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता</li> </ul>	<ul> <li>(a) For meeting additional requirement for making outstanding payment towards purchase of medicines.</li> <li>(b) For meeting additional requirement as (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) under Smart City Project and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹60 crore) to Port Blair Municipal</li> </ul>	16.39	-	16.39
पूरी करने के लिए।	Corporation.	70.00	-	70.00

					ड़ रुपए Rupees <del>ः १</del>	•
अनुद	तन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	(ग) आईओसीएल से एचएसडी आयल की अधिप्राप्ति हेतु अतिस्क्ति आवश्यवनाा पूरी करने के लिए- विद्युत उत्पादन के लिए (₹50 करोड़ )।		(c) For meeting additional requirement for procuring HSD oil from IOCL - for power generation (₹50 crore).	10.00	-	10.00
	(घ) पीओएल की लागत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (ड.) जिला परिषद को भुगतान करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान		<ul><li>(d) For meeting additional requirement towards cost of POL.</li><li>(e) For meeting additional requirement as</li></ul>	10.00	-	10.00
	के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		Grants for Creation of Capital Assets for making payment to Zilla Parishad.	0.12	-	0.12
51.	दादरा एवं नगर हवेली रमार्ट सिटी के कार्यान्वयन के लिए सिलवासा नगर पालिका परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करने के लिए	51	Dadra and Nagar Haveli For release of Grants for Creation of Capital Assets to Silvassa Municipal Council for implementation of Smart City (₹22.49			
54.	(₹22.49 करोड़ )। दिल्ली को अंतरण जेआईसीए द्वारा सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए निधियां प्रदान करने के	54	crore).  Transfers to Delhi  For meeting additional expenditure for providing funds for JICA assisted externally	19.86	-	19.86
	लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹2.59 करोड़)।		aided project (₹2.59 crore).	-	2.51	2.51
	ासन और शहरी मामले मंत्रालय	Ml	NISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56.	आवासन और शहरी मामले मंत्रालय (क) समूचे देश में कार्यालय भवन के जारी निर्माण कार्य और अनुरक्षण के लिए। (ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के लिए ईबीआर के माध्यम से उगाहे गए ऋण पर ब्याज की अदायगी (₹702 करोड़), संसदीय आवासों का अनुरक्षण और मरम्मत	56	<ul> <li>Ministry of Housing and Urban Affairs</li> <li>(a) For ongoing work and maintenace of Office Building of all over country.</li> <li>(b) For (i) Grants-in-aid General for payment of interest on loan raised through EBR for Pradhan Mantri Awas</li> </ul>	10.00	-	10.00
	(₹10 करोड़) और समूचे देश में सामान्य पूल रिहायशी आवास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़), (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹2003.08 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से पूरी की जानी है (₹2003.08 करोड़)।		Yojana scheme (₹702 crore), Maintenance and Repairs of Parliamentary Residences (₹10 crore) and of General Pool Residential Accommodation all over country (₹20 crore) (ii) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹2003.08 crore) and (iii) Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban scheme is to be met from Central Road and	2.022.00		2022 00
	(ग) 1. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹98 करोड़) और राज्य को निर्मृत्ति (₹153.76 करोड़), 2. (i) अमृत स्कीम के अंतर्गत राज्यों की अनुमोदित एसएएपी की किस्तों को जारी करने के लिए (₹400 करोड़) तथा (ii) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी स्कीम (₹500 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। 3. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹4482.42 करोड़) 4. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से पूरी की जानी है (₹4482.42 करोड़) के लिए।		Infrastructure Fund (₹2003.08 crore).  (c) For 1. Grants-in-aid General under the scheme Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission for NER States (₹98 crore) and for release to State (₹153.76 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets (i) for release of instalments of approved SAAPs of States under the scheme AMRUT (₹400 crore) and (ii) under the scheme Swachh Bharat Mission - Urban (₹500 crore) 3. Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹4482.42 crore) 4. Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban scheme is to be met from	2,023.08		2023.08
	(17702.72 4/14) 4/14(1		Central Road and Infrastructure Fund (₹4482.42 crore).	4,982.42	-	4982.42

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Revenue Capital **Total** (घ) (i) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जारी (d) For meeting expenditure towards (i) करने के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना-Grants-in-aid General under the राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के scheme Deendayal Antyodaya Yojana-अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) National Urban Livelihoods Mission (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि for release to Union Territory को अंतर लेखा अंतरण (₹19.50 करोड़) Governments (₹1 crore) (ii) Inter और (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी Account Transfer to Central Road and स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और Infrastructure Fund (₹19.50 crore) and अवसंरचना निधि (₹19.50 करोड़) हेत् व्यय (iii) Central Road and Infrastructure पूरा करने के लिए। Fund under the scheme Pradhan Mantri 19.50 19.50 Awas Yojana - Urban (₹19.50 crore). मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 57 Department of School Education and Literacy (क) 1. नवोदय विद्यालय समिति (₹897.20 करोड़) (a) For 1. Grants-in-aid General under the और मिड डे मील (₹6.12 करोड़) स्कीमों schemes Navodaya Vidalaya Samiti के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, 2. (NVS) (₹897.20 crore) and Mid Day नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) Meal (MDM) (₹6.12 crore) 2. Grants (₹211.68 करोड़) और मिड डे मील for Creation of Capital Assets under the (एमडीएम) (₹14.34 करोड़) स्कीमों के schemes NVS (₹211.68 crore) and अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए MDM (₹14.35 crore) 3. Grants-in-aid अनुदान, 3. एनवीएस (₹1549.87 करोड़) Salary under the scheme NVS स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान 4. (₹1549.87 crore) 4. Professional सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत Services (₹8 crore) under the scheme व्यावसायिक सेवाएं (8 करोड़) और 5. (i) Sarva Shiksha Abhiyan and 5. Inter केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि Account Transfer to (i) Central Road (₹2925.85 करोड़) और (ii) माध्यमिक और and Infrastructure Fund (₹2925.85 उच्चतर शिक्षा कोष (₹272.09 करोड़) को crore) and (ii) Madhyamik and अंतर लेखा अंतरण के लिए। Uchhatar Shiksha Kosh (₹272.09 3.197.94 3197.94 crore). (ख) (i) सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत (b) For (i) Grants-in-aid General under the सामान्य सहायता अनुदान (₹1564.80 करोड़) scheme Sarva Shiksha Abhiyan और (ii) प्रारम्भिक शिक्षा कोष को अंतर (₹1564.80 crore) and (ii) Inter Account लेखा अंतरण (₹1564.80 करोड़) के लिए। Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh (₹1564.80 crore). 1,564.80 1564.80 58. उच्चतर शिक्षा विभाग 58 Department of Higher Education (क) (i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग (a) For (i) Grants-in-aid General under the (₹2 करोड़), भारतीय भाषाओं के संवर्धन schemes National Commission for के लिए अनुदान (₹10 करोड़), केन्द्रीय Minority Educational Institutions (₹2 विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹100 करोड़), crore), Grants for Promotion of Indian राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (₹9 करोड़) languages (₹10 crore), Grants to और शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान (₹2.51 Central Universities (₹100 crore), करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता National Mission on Teachers and अनुदान, (ii) भारतीय भाषाओं के संवर्धन Teaching (₹9 crore) and Shastri Indo-के लिए अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत Canadian Institute (₹2.51 crore) (ii) आस्तियों सृजन के लिए अनुदान (₹8 करोड़), Grants for Creation of Capital Assets (iii) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए under the scheme Grants for promotion अनुदान (₹10 करोड़), विश्वविद्यालय अनुदान of Indian languages (₹8 crore) and (iii) आयोग को सहायता (₹200 करोड़) और Grants-in-aid Salaries under the केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹279 schemes Grants for promotion of करोड़) स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता Indian languages (₹10 crore) and

Support to University Grants

अनुदान तथा (iv) माध्यमिक और उच्चतर

			ड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
शिक्षा कोष को अंतर लेखा अंतरण (₹505.32 करोड़) के लिए।	Commission (₹200 crore) and Grants to Central Universities (₹279 crore) and (iv) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha	270.00		270.00
(ख) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹725.07 करोड़), पूंजीगत आस्तियों सृजन के लिए अनुदान (₹112.87 करोड़), और वेतन सहायता अनुदान (₹61.59 करोड़), (ii) प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वृत्तिका कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति / वृत्तिका (₹60 करोड़) और (v) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹279 करोड़) के लिए।	Kosh (₹505.32 crore).  (b) For (i) Grants-in-aid General (₹725.07 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹112.87 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹61.59 crore) under various schemes and (ii) Scholorships/ Stipends under the scheme Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends (₹60 crore) and (v) Inter Account Transfer to National Investment Fund (₹279 crore).	279.00 505.32	_	279.00 505.32
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND	303.32		303.32
59. सूचना और प्रसारण मंत्रालय अरूण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारतीय हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में व्यय पूरा करने के लिए।	<ul> <li>BROADCASTING</li> <li>Ministry of Information and Broadcasting         For meeting expenditure as Grants-in-aid         General in North Eastern Area for Prasar         Bharati for Arun Prabha Channel.     </li> </ul>	11.76	-	11.76
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74. विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
(क) 1. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधियों का अंतरण (₹2850 करोड़) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹77.59 करोड़), 2. (i) राष्ट्रीय विद्युत निधि को ब्याज सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत (₹33 करोड़), (ii) विद्युत अपीलीय अधिकरण स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.02 करोड़) और (iii) स्मार्ट ग्रिड स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों सृजन के लिए अनुदान (₹7.36 करोड़) के लिए।	(a) For 1. transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (₹2850 crore) and providing Grants for Creation of Capital Assets (₹77.59 crore) under the scheme Integrated Power Development 2. providing additional funds (i) under the schemes Interest subsidies to National Electricity Fund (₹33 crore) and (ii) Other administrative expenses under the scheme Appellate Tribunal for Electricity (₹0.02 crore) and (iii) for Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Smart Grid	2 850 00		2850.00
(ख) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत आबंटन करने के लिए केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधियों का अंतरण के लिए।	<ul> <li>(₹7.36 crore).</li> <li>(b) For transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund to provide allocation under the scheme Integrated Power Development</li> </ul>	2,850.00	-	2850.00
	Scheme.	-	900.00	900.00
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
<b>80. रेल मंत्रालय</b> (क) न्यायालय की डिक्रियों से उत्पन्न अतिरिक्त	<ul><li>80 Ministry of Railways</li><li>(a) For meeting additional expenditure</li></ul>			
व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न अतिरिक्त	<ul><li>(a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.</li><li>(b) For meeting additional expenditure</li></ul>	46.00	-	46.00
व्यय को पूरा करने के लिए।	arising out of court orders.	-	191.65	191.65

_					ोड़ रुपए Ruped	<u>·</u>
अनु	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
•	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  (i) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मौद्रीकरण को निधियों का अंतर लेखा अंतरण (₹4840.75 करोड़), (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मौद्रीकरण में से वित्त पोषित एनएचएआई में निवेश (₹4840.75 करोड़), (iii) सीआरआईएफ में से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹2200 करोड़), (iv) सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यालय व्यय के अंतर्गत एकीकृत आईपी आधारित सुख्या एवं निगरानी प्रणाली की खरीद (₹2.50 करोड़) तथा (v) बोनस शेयरों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि0 में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹2 करोड़)।		NISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  Ministry of Road Transport and Highways For (i) Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highway Fund (₹4840.75 crore) (ii) Investment in NHAI financed from Monetiztion of National Highways Fund (₹4840.75 crore) (iii) additional expenditure for Major Works under National Highways Original Works financed from CRIF (₹2200 crore) (iv) purchase of integrated IP based Security and Surveillance System under Office Expenses on Information Technology (₹2.50 crore) and (v) additional equity investment in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (₹2 crore) through bonus share.	-	4,842.75	4,842.75
	परिवहन मंत्रालय पोत परिवहन मंत्रालय (i) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹125 करोड़), (ii) सीआरआईएफ से वित्तपोषित सागरमाला विकास कंपनी में निवेश (₹125 करोड़) और (iii) अनुदानों को निवेश में परिवर्तित करने के कारण अवधि-पूर्व लेखांकन समायोजन करने (₹90 करोड़) के लिए।	MI 87	NISTRY OF SHIPPING Ministry of Shipping For (i) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹125 crore) (ii) Investment in Sagarmala Development Company financed from CRIF (₹125 crore) and (iii) carrying out Prior Period Accounting Adjustment on account of conversion of Grants into investment (₹90 crore).	-	125.00	125.00
साम	ाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MI	NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग  (क) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।  (ख) (i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹1366.48 करोड़), अनुसूचित जाति उप घटक को विशेष केन्द्रीय सहायता (₹100 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹15.55 करोड़), अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹16.75 करोड़), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹30 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) अनुसूचित जातियों के लिए बालिका छात्रावास (₹10 करोड़) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बाल एवं बालिका छात्रावास (₹10 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए।	89	<ul> <li>Department of Social Justice And Empowerment</li> <li>(a) For Grants-in-aid General under the scheme Post Matric Scholorship for SCs.</li> <li>(b) For (i) Grants-in-aid General under the schemes Post matric Scholarship for SCs (₹1366.48 crore), Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub Component (₹100 crore), Pre Matric Scholarship for SCs (₹15.55 crore), Pre Matric Scholarship for OBCs (₹100 crore), Post Matric Scholarship for OBCs (₹116.75 crore) and Post Matric Scholarship for Economically Backward Classes (₹30 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under schemes Girls Hostel for SCs (₹10 crore) and Boys and Girls Hostel for OBCs (₹10 crore).</li> </ul>	13.52 66.48	-	13.52 66.48

				ररोड़ रुपए Rup	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ l Total
90. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	90	Department of Empowerment of Persons with Disabilities			
(i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹15.78 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹3.75 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹28 करोड़), (ii) दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति / वृत्तिका (₹4.73 करोड़) और (iii) सहायक उपकरण और उपस्कर की खरीद/ लगाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹3.42 करोड़) के लिए।		For (i) Grants-in-aid General (₹15.78 crore), Grants-in-aid Salary (₹3.75 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹28 crore) under various schemes (ii) Scholarship/Stipend under the scheme Scholarship for Student with Disabilities (₹4.73 crore) and (iii) additional expenditure under Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids and Appliances (₹3.42 crore).	17.73	_	17.73
कपड़ा मंत्रालय	MI	NISTRY OF TEXTILES			
94. कपड़ा मंत्रालय	94	Ministry of Textiles			
अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास स्कीम के		For meeting additional requirements			
अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त		towards Major Works under the scheme			
व्यय पूरा करने के लिए।		Infrastructure & Technology Development .	-	13.00	13.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MI	NISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	96	Ministry of Tribal Affairs			
(i) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन		For (i) Grants-in-aid General under the			
के लिए संस्थागत सहायता स्कीम के अंतर्गत		schemes Institutional Support for			
सामान्य सहायता अनुदान (₹0.85 करोड़), मैट्रिक		Development and Marketing of Tribal			
पूर्व छात्रवृत्ति (₹7.73 करोड़), मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		Products (₹0.85 crore), Pre-Matric			
(₹13.77 करोड़) और जनजातीय अनुसंधान		Scholarship (₹7.73 crore), Post Matric			
संस्थानों को सहायता (₹1.01 करोड़) तथा (ii)		Scholarship (₹13.77 crore) and Support to			
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के		Tribal Research Institutes (₹1.01 crore) and			
लिए अनुदान (₹20 करोड़) ।		(ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants under Article 275			
ारार जानुषाम (NZO परराष्ट्र) ।		(1) of the Consitution (₹20 crore).	20.00	-	20.00
कुल तकनीकी		Total Technical	23,718.49	1,23,678.38	1,47,396.87
4. नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में, ₹1 लाख की	4	Supplementary grants of ₹1 lakh each are als	o proposed	to be taken i	n respect of

4. नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में, ₹1 लाख की पूरक अनुदान भी लिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके सामने दर्शाए गए व्यय को संबंधित अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी खंड में बचत के पुनर्विनियोजन, जैसा भी मामला हो, से पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

#### सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे

#### **Token Supplementary Demands for grants**

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			,	, I	,
			राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	M	INISTRY OF AGRICULTURE AND			
		FARMERS' WELFARE			
1. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1	Department of Agriculture, Cooperation			
		and Farmers' Welfare			
एकीकृत कृषि सहकारिता स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय		For providing funds as Grants-in-aid General			
सहकारिता प्रशिक्षण परिषद के घाटे को पूरा करने		for meeting deficit of National Council for			
के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में		Cooperative Training under Integrated			
निधियां प्रदान करने के लिए।		scheme on Agriculture			
		Cooperation.	14.68	-	14.68

				राजस्व	पूंजी	जोड़
मुख	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gran	nt No. & title and description of items	Revenue	Capital	Tota
<b>!.</b>	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग		Department of Agricultural Research and			
	(क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता		a) For providing additional funds as			
	अनुदान (₹397.15 करोड़), वेतन सहायता	(	Grants-in-aid General (₹397.15 crore),			
	अनुदान (₹40.81 करोड़), पूंजीगत आस्तियों		Grants-in-aid Salaries (₹40.81 crore),			
	के सृजन के लिए अनुदान (₹105.60 करोड़),		Grants for Creation of Capital Assets			
	और अंशदान (₹0.66 करोड़) के रूप में		(₹105.60 crore) and Contributions			
	अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।		(₹0.66 crore) under various schemes.	526.22	_	526.2
	(ख) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन स्कीम के	(1	b) For providing additional funds as	320.22		320.2
	अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को	(	Grants-in-aid Salaries to Indian Council			
	वेतन सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त		of Agricultural Research under scheme			
	निधियां (₹3.44 करोड़) और केन्द्रीय कृषि		ICAR Headquarter Administration			
	विश्वविद्यालय, इम्फाल को पूंजीगत आस्तियों		(₹3.44 crore) and Grants for Creation			
	के सृजन के लिए अनुदान (₹60.14 करोड़)					
	के रूप में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के		of Capital Assets to Central Agricultural Universities Imphal			
	लिए।		(₹60.14 crore).	63.58		63.5
	पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग	2 Г	Department of Animal Husbandry,	03.36	-	05
	पशुपालन, ड्यरा काय आर मत्स्य पालन विमान		Dairying and Fisheries			
	(क) राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ स्कीम के अंतर्गत		a) For meeting additional expenditure as			
	सामान्य सहायता अनुदान (₹1.92 करोड़),	(	Grants-in-aid General (₹1.92 crore),			
	एससीएसपी घटक (₹0.42 करोड़) और		SCSP (₹0.42 crore) and TASP			
	टीएएसपी घटक (₹0.22 करोड़) के रूप में		(₹0.22 crore) under the scheme State			
	अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Cooperative Dairy Federations.	2.56	_	2.:
	(ख) निधियां प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय गोकुल	(1	b) For providing funds as (i) Grants-in-aid	2.30		2.,
	मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता	(.	General- General Component (₹37			
	अनुदान (₹37 करोड़), एससीएसपी घटक		crore), SCSP Component (₹9 crore) and			
	(₹9 करोड़) और टीएएसपी घटक (₹4		TASP Component (₹4 crore) under the			
	करोड़)।		scheme Rashtriya Gokul Mission.	50.00		50.0
	(ग) पशु स्वास्थ्य संस्थान स्कीम के अंतर्गत मुख्य	(	c) For meeting additional expenditure	30.00	_	50.0
	निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने	(,	towards Major Works under the scheme			
	के लिए।		Animal Health Institutes.			
	पर स्तिहा		-	1.44	1.44	
रम	ाणु ऊर्जा विभाग	DEPA	ARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
	परमाणु ऊर्जा	4 A	tomic Energy			
	(क) सचिवालय के लिए सामान्य सहायता के	(:	a) For meeting additional expenditure as			
	रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Grants-in-aid General for Secretariat.	0.06	-	0.0
	(ख) राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन के लिए	(1	b) For meeting additional expenditure as			
	सामान्य सहायता के रूप में अतिरिक्त व्यय		Grant-in-aid General for Rajasthan			
	पूरा करने के लिए।		Atomic Power Station.	0.17	-	0.1
	(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए सामान्य	(	c) For meeting additional expenditure as			
	सहायता के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने		Grant-in-aid General for Bhabha			
	के लिए।		Atomic Research Centre.	1.17	-	1.1
	(घ) सामान्य सेवा संगठन के लिए सामान्य सहायता	(0	d) For meeting additional expenditure as			
	के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		Grant-in-aid General for Gereral			
	C.		Service Organisation.	7.00	_	7.0
	(ड.) परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए मशीनरी	(6	e) For meeting additional expenditure			
	और उपस्कर हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने		towards Machinery & Equipment for			
	के लिए।		Bhabha Atomic Research Centre.	-	0.33	0
	(च) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए	(1	f) For meeting additional expenditure			
	मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत अतिरिक्त	(-	under Machinery & Equipment			
	मशानरा आर उपस्कर क अंतगत आतारक्त					
	व्यय पूरा करने के लिए।		for Indira Gandhi Centre for Atomic			

		(करो	ड़ रुपए Rupee	s in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भायुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
<ul> <li>आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपथी (आयुष) मंत्रालय</li> </ul>	5 Ministry of Ayurveda, Yoga And Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH)			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) एनएएम स्कीम (₹7.72 करोड़) और पूर्वोत्तर आयुर्वेद तथा	(a) For (i) Grants-in-aid under the scheme NAM (₹7.72 crore) and North-Eastern			
होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹1.62 करोड़) के अंतर्गत सहायता अनुदान, (ii) एनएएम स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन	Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹1.62 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the			
हेतु अनुदान (₹17.20 करोड़), पूर्वोत्तर आयुर्वेद तथा होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹0.70	scheme NAM (₹17.20 crore) and North-Eastern Institute of Ayurveda &			
करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर आयुर्वेद तथा होम्योपैथी संस्थान, शिलांग स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹2.40 करोड़ )।	Homoeopathy, Shillong (₹0.70 crore) and (iii) Grants-in-aid Salary under the scheme North-Eastern Institute of			
	Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹2.40 crore).	29.64	-	29.64
(ख) एनएएम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ग) एनएएम स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान	<ul><li>(b) For Grants-in-aid General under the scheme NAM.</li><li>(c) For Grants-in-aid General under the</li></ul>	11.72	-	11.72
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	scheme NAM.	1.78	-	1.78
सायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
<ul> <li>उर्वरक विभाग</li> <li>यूरिया के आयात के भुगतान हेतु।</li> </ul>	8 Department of Fertilisers For payment of import of Urea.	5,200.00	-	5,200.00
ठोयला मंत्रालय 0. कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL 10 Ministry of Coal			
अनुसंधान और विकास स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure as Grants-in-aid General under the scheme Research and Development.	1.50	-	1.50
ाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
<ol> <li>वाणिज्य एवं उद्योग विभाग चाय बोर्ड के तहत सिल्सिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु।</li> <li>औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग</li> </ol>	<ul> <li>11 Department of Commerce For meeting the additional requirement towards Subsidies under the Tea Board.</li> <li>12 Department of Industrial Policy and</li> </ul>	3.77	-	3.77
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) परिवहन भाड़ा सब्सिडी स्कीम योजना	Promotion  (a) For meeting additional requirement as  (i) subsidies under the scheme			
के अंतर्गत सब्सिडयां (₹295.78 करोड़) और (ii) सहायता अनुदान वेतन (₹0.07 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹0.05 करोड़), स्वायत्त शासी संस्थाओं को सहायता के अंतर्गत।	Transport/Freight Subsidy Scheme (₹295.78 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹0.07 crore) and Grants-in-aid General (₹0.05 crore) under the scheme Support to Autonomous Institutions.	295.90	_	295.90
(ख) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹0.53 करोड़), स्वायत्त शासी संस्थाओं को सहायता (₹8 करोड़), व्यापार करना आसान बनाने	(b) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General under the schemes Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (₹0.53 crore), Support to Autonomous Institutions			
की परियोजना (₹5 करोड़)।	(₹8 crore) and Ease of Doing Business Project (₹5 crore).	13.53	_	13.53

		(कर	ड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
आईटी इंडक्शन और आधुनिकीकरण के अंतर्गत	For meeting additional expenditure for			
मेल आफिस हार्डवेयर और रूरल हार्डवेयर की	Supply of Mail Office Hardware and			
आपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	Rural Hardware under IT induction and			
	modernisation.	-	42.52	42.52
14. दूर संचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) ब्याज माफी हेतु (₹427.68 करोड़) और	(a) For waiver of interest (₹427.68 crore)			
ऋण को बट्टे खाते डालना (₹983.18 करोड़),	and write-off of loan (₹983.18 crore)			
भारत संचार निगम लि0 के विरूद्ध बकाया।	outstanding against Bharat Sanchar			
	Nigam Limited.	1,410.86	-	1,410.86
(ख) रक्षा सेवाओं के लिए आप्टिकल फाइबर	(b) For transfer to Central Road and			
केबल बेसेज नेटवर्क संबंधी केन्द्रीय सड़क	Infrastructure Fund on Optical			
और अवसंरचना निधि में अंतरण हेतु।	Fibre Cable bases network for Defence			
	Services.	-	2,500.00	2,500.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15. उपभोक्ता मामले विभाग	15 Department of Consumer Affairs			
मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत समय प्रचार-	For releasing additional expenditure for			
प्रसार स्कीम के लिए अतिरिक्त व्यय जारी करने	the scheme Dissemination of Time under			
हेतु ।	Machinery & Equipment.	-	22.27	22.27
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18. संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
(क) (i) संग्रहालय को सहायता स्कीम के अंतर्गत	(a) For (i) Grant-in-aid General under the			
सामान्य सहायता अनुदान (₹1.25 करोड़)	schemes Support to Museums (₹1.25			
और (ii) संग्रहालय को सहायता स्कीम के	crore) and (ii) Grants for Creation of			
अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	Capital Assets under the schemes			
(₹5.45 करोड़) और शताब्दी तथा वर्षगांठ	Support to Museums (₹5.45 crore)			
समारोह (₹15 करोड़)।	and Centenary and Anniversary			
	Celebration (₹15 crore).	21.70	-	21.70
(ख) शताब्दी तथा वर्षगांठ समारोह स्कीम के	(b) For Grants for Creation of Capital			
अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	Assets under the scheme Centenary and			
	Anniversary Celebration.	21.09	-	21.09
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	19 Ministry of Defence (Misc.)			
(क) व्यापक पेंशन पैकेज पर रक्षा लेखा विभाग	(a) For meeting additional expenditure of			
का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹20	Defence Accounts Department on			
करोड़), रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत छावनी	comprehensive pension package (₹20			
बोर्ड में स्वच्छता कार्य योजना का कार्यान्वयन	crore), implementation of Swachhta			
(₹10 करोड़) और सीमा सड़क संगठन का	Action Plan in Cantonment Boards			
स्थापना संबंधी व्यय (₹146 करोड़ )।	under Defence Estate Organisation (₹10			
	crore) and establishment related			
	expenditure (₹146 crore) of Border			
	Roads Organisation.	176.00	-	176.00
(ख) आपूर्ति और सामग्री के अंतर्गत अतिरिक्त	(b) For meeting additional expenditure			
व्ययं पूरा करने के लिए (₹70 करोड़), लघु	under supplies & materials (₹70 crore),			
निर्माण कार्य (₹178.90 करोड़) और स्थापना	minor works (₹178.90 crore) and			
संबंधी व्यय शीर्ष (₹51.10 करोड़)।	establishment related heads of			
	expenditure (₹51.10 crore).	300.00	_	300.00

	रात्तरम	गंत्नी	जोड़
Grant No. & title and description of items	Revenue	पूजा Capital	Total
(c) For meeting additional expenditure			
towards acquisition of Ships,			
_	-	40.00	40.00
		1 000 00	1000.00
	-	1,080.00	1080.00
		160.00	169.00
outstanding fraofitties.	-	109.00	109.00
MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
Secretariat.	1.44	_	1.44
(b) For providing additional funds under			
Externally Aided Project component of			
Swachh Bharat Mission (Gramin) for			
North Eastern Areas.	100.00	-	100.00
MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
25 Ministry of Earth Sciences			
(a) For meeting additional expenditure as			
· ·			
	22.50	_	22.50
	22.30		22.50
crore) for Research Education and			
Traning Outreach.	7.39	=	7.39
(c) For meeting expenditure towards (i)			
Machinery & Equipment for			
Atomosphere & Climate Research -			
Modelling Observing Systems &			
Services (₹4 crore) (ii) Major Works			
_			
	_	5.50	5.50
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
FUNCOLO AND CLIMATE CHANGE			
27 Ministry of Environment, Forests and			
27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
27 Ministry of Environment, Forests and			
	(c) For meeting additional expenditure towards acquisition of Ships, Aircrafts and Fleets for Coast Guard Organisation.  (d) For transferring additional amount to Central Road and Infrastructure Fund.  (e) For providing loan to M/s. Hindustan Shipyard Limited for discharging its outstanding liabilities.  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION  24 Ministry of Drinking Water and Sanitation  (a) For providing additional funds for establishment related expenditure under Secretariat.  (b) For providing additional funds under Externally Aided Project component of Swachh Bharat Mission (Gramin) for North Eastern Areas.  MINISTRY OF EARTH SCIENCES  25 Ministry of Earth Sciences  (a) For meeting additional expenditure as (i) Grants-in-aid Salaries to Autonomous Body National Institute of Ocean Technology, Chennai (₹4.50 crore) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Ocean Services Technology Observations Resource Modelling and Sciences (₹18 crore).  (b) For meeting expenditure as Grants in Aid General (₹ 5.86 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 1.53 crore) for Research Education and Traning Outreach.  (c) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipment for Atomosphere & Climate Research - Modelling Observing Systems & Services (₹4 crore) (ii) Major Works under the scheme Seismological and Geoscience for Borehole Geophysics Research Laboratory complex at Karad (Maharashtra) (₹1.50 crore).	(c) For meeting additional expenditure towards acquisition of Ships, Aircrafts and Fleets for Coast Guard Organisation.  (d) For transferring additional amount to Central Road and Infrastructure Fund.  (e) For providing loan to M/s. Hindustan Shipyard Limited for discharging its outstanding liabilities.  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION  24 Ministry of Drinking Water and Sanitation  (a) For providing additional funds for establishment related expenditure under Secretariat.  (b) For providing additional funds under Externally Aided Project component of Swachh Bharat Mission (Gramin) for North Eastern Areas.  100.00  MINISTRY OF EARTH SCIENCES  25 Ministry of Earth Sciences  (a) For meeting additional expenditure as (i) Grants-in-aid Salaries to Autonomous Body National Institute of Ocean Technology, Chennai (₹4.50 crore) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Ocean Services Technology Observations Resource Modelling and Sciences (₹18 crore).  (b) For meeting expenditure as Grants in Aid General (₹5.86 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 1.53 crore) for Research Education and Traning Outreach.  (c) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipment for Atomosphere & Climate Research - Modelling Observing Systems & Services (₹4 crore) (ii) Major Works under the scheme Seismological and Geoscience for Borehole Geophysics Research Laboratory complex at Karad (Maharashtra) (₹1.50 crore).	Grant No. & title and description of items  (c) For meeting additional expenditure towards acquisition of Ships, Aircrafts and Fleets for Coast Guard Organisation.  (d) For transferring additional amount to Central Road and Infrastructure Fund. (e) For providing loan to M/s. Hindustan Shipyard Limited for discharging its outstanding liabilities.  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION  24 Ministry of Drinking Water and Sanitation (a) For providing additional funds for establishment related expenditure under Secretariat. (b) For providing additional funds under Externally Aided Project component of Swachh Bharat Mission (Gramin) for North Eastern Areas.  MINISTRY OF EARTH SCIENCES 25 Ministry of Earth Sciences (a) For meeting additional expenditure as (i) Grants-in-aid Salaries to Autonomous Body National Institute of Ocean Technology, Chennai (₹4.50 crore) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Ocean Services Technology Observations Resource Modelling and Sciences (₹18 crore).  (b) For meeting expenditure as Grants in Aid General (₹ 5.86 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 1.53 crore) for Research Education and Traning Outreach.  (c) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipment for Atomosphere & Climate Research - Modelling Observing Systems & Services (₹4 crore) (ii) Major Works under the scheme Seismological and Geoscience for Borehole Geophysics Research Laboratory complex at Karad (Maharashtra) (₹1.50 crore).  5.50

					राजस्व	ड़ रुपए Rupee. पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		Gr	ant	No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
वित्त	मंत्रालय	MI	NIS'	TRY OF FINANCE			
29.	आर्थिक कार्य विभाग	29	De	partment of Economic Affairs			
	(क) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को अंतरण।			For Transfer to Senior Citizen Welfare			
				Fund.	100.00	-	100.00
	(ख) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि न्यासी		(b)	For payment to Advisory Services for			
	लि0 के लिए परामर्शी सेवाओं के भुगतान			National Investment and Infrastructure			
	हेतु।			Fund Trustee Ltd.	1.30	-	1.30
	(ग) (i) व्यवहार्य अंतराल निधियन के तहत		(c)	For (i) Assistance for Infrastructure			
	अवसंरचना विकास हेतु सहायता (₹100			Development under Viability Gap			
	करोड़) और (ii) आर्थिक विकास संस्थान			Funding (₹100 crore) and (ii) Grants-			
	में वेतन सहायता अनुदान (₹1.03 करोड़)			in-aid Salaries (₹1.03 crore) and Grants-			
	और सामान्य सहायता अनुदान (₹0.68			in-aid General (₹0.68 crore) to institute			
	करोड़)।			of Economic Growth.	101.71	_	101.71
	(घ) (i) वैश्विक पर्यावरण सुविधा को अंशदान		(d)	For (i) Contribution to Global			
	(₹6.27 करोड़) और (ii) ब्याज समकरण			Environment Facility (₹6.27 crore) and			
	स्कीम के अंतर्गत भारतीय एक्जिम बैंक को			(ii) payment to Export Import Bank of			
	भुगतान (₹779.58 करोड़ )।			India under Interest Equilization			
				Scheme (₹779.58 crore).	785.85	_	785.85
	(ड.) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के लिए।		(e)	For National Infrastructure and			
			` ′	Investment Fund.	-	600.00	600.00
	(च) एआईडीबी के अतिरिक्त शेयर में अभिदान के		(f)	For Subscription to African			
	लिए जीसीआई-VI के अफ्रीकी विकास बैंक		` /	Development Bank of GCI-VI to			
	में अभिदान हेतु।			subscribe additional shares of AIDB.	-	7.08	7.08
	(छ) रियायती साझेदार ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय		(g)	For International Fund for Agricultural			
	कृषि विकास निधि हेतु।		ν,	Development for Concessional Partner			
				Loan.	-	48.69	48.69
35.	अप्रत्यक्ष कर	35	Ind	lirect Taxes			
	(क) जिला रायगढ़, मुम्बई में जवाहर लाल नेहरू		(a)	For meeting expenditure on pre-			
	कस्टम्स हाउस, नवाशेवा में कार्यालय भवन			construction enabling works for office			
	हेतु निर्माण कार्य को आसान बनाने के लिए			building at Jawaharlal Nehru Customs			
	पूर्व निर्माण पर व्यय पूरा करने के लिए।			House, Nhava Sheva, Distt. Raigad,			
				Mumbai.	-	0.41	0.41
	(ख) द्वारका, दिल्ली में आवासीय क्वार्टर के निर्माण		(b)	For meeting expenditure on			
	पर व्यय पूरा करने के लिए।			construction of residential quarters at			
				Dwarka, Delhi.	-	30.00	30.00
स्वार	थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MI		TRY OF HEALTH AND FAMILY ELFARE			
42.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42		partment of Health and Family			
	(क) (i) जनसंख्या स्थिरता कोष के अंतर्गत सामान्य			For (i) Grants-in-aid General (₹5.03			
	सहायता अनुदान (₹5.03 करोड़) और स्थापना		(a)	crore) and establishment related			
	संबंधी व्यय (₹0.97 करोड़) और (ii) विभिन्न						
	संस्थाओं के लिए अन्य प्रभार (₹0.05 करोड़)।			expenditure (₹0.97 crore) under Jansankhya Sthirta Kosh and (ii) Other			
	राखाजा के लिए जन्म प्रमार (६०.०० कराकु)।						
				Charges (₹0.05 crore) for various	6.05		6.05
	(ख) विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता		(b)	institutions.	6.05	-	6.05
	` '		(0)	For Grants-in-aid General (₹3.55 crore)			
	अनुदान हेतु (₹3.55 करोड़) और पूंजीगत			under various institutions and Grants for			
	आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4 करोड़)			Creation of Capital Assets (₹4 crore) for			
	ट्रामा सेंटर - आघात और ट्रामा देखरेख के			Assistance for Capacity Building for			
	लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता।			Trauma Centres - Injury & Trauma	755		755
				Care.	7.55	=	7.55

				(करो	ड़ रुपए Rupees	s in Crore)
अनुव	<b>इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवर</b> ण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
43.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग  (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु  (₹12 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान  (₹40 करोड़)  (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	43	<ul> <li>Department of Health Research</li> <li>(a) For Grants-in-aid General (₹12 crore) and Grants-in-aid Salary (₹40 crore) under the scheme Indian Council of Medical Research.</li> <li>(b) For Grants-in-aid General under the scheme Indian Council of Medical</li> </ul>	52.00	-	52.00
			Research.	18.00	-	18.00
	उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग ताप विद्युत के लिए एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यवला। पूरी करने के लिए।		PUBLIC ENTERPRISES  Department of Heavy Industry  For meeting additional requirement as Grants for Creation of Capital Assets under the scheme R & D project for Development of Advanced Ultra Super Critical Technology for Thermal Power Plans.	50.00	-	50.00
गृह	मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOME AFFAIRS			
48.	गृह मंत्रालय (क) अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं और अन्य नम्य अवसंरचना गठजोड़ स्कीम के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹0.12 करोड़)।	46	Ministry of Home Affairs  (a) For meeting expenditure on Union Territories without Legislature (₹0.12 crore) under the scheme Other Disaster Management Projects and Coalition on Disaster Redilient infrastructure (₹60 crore).	60.12	-	60.12
	(ख) राष्ट्रीय आकस्मिक संचार योजना के अंतर्गत मोटर वाहन की खरीद (0.30 करोड़) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की स्कीम के लिए कार्यालय भवन (8 करोड़) पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।		(b) For meeting expenditure on purchase of Motor vehicle under National Emergency Communication Plan (₹0.30 crore) and Office Building scheme of National Disaster Response Force (₹8 crore).	_	8.30	8.30
48.	पुलिस	48	Police			
	(क) विशेष सुरक्षा समूह (₹0.10 करोड़) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (₹0.60 करोड़) के लिए न्यायालय के आदेश के कारण अन्य प्रभारों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		(a) For meeting expenditure towards Other Charges on account of Courts decision for Special Protection Group (₹0.10 crore) and Indo-Tibetan Border Police (₹0.60 crore).	0.70	-	0.70
	(ख) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल (₹395.55 करोड़) और दिल्ली पुलिस (₹137 करोड़), राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (₹46.40 करोड़), पुलिस आवासीय भवन के लिए समन्वय बेतार निदेशालय (₹0.78 करोड़) आवासीय भवन कार्यक्रम के लिए।		(b) For Resedential Building programme of Central Reserve Police Force, Border Police Force (₹395.55 crore) and Delhi Police (₹137 crore), National Police University (₹46.40 crore), Directorate of Coordination Police Wireless for Residential Building (₹0.78 crore).	-	579.73	579.73
49.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49	Andaman and Nicobar Islands			
	(क) निजी स्कूलों को सहायता के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के रूप में व्यय पूरा करने के लिए।		(a) For meeting expenditure as Grants-in- aid Salaries under assistance to private schools.	0.30	-	0.30
	(ख) जिला परिषद (₹0.40 करोड़) और पंचायत समिति (₹0.10 करोड़) के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के रूप में व्यय पूरा करने		(b) For meeting expenditure as Grants-in- aid Salaries in respect of Zila Parishad (₹0.40 crore) and Panchayat Samiti			
	के लिए।		(₹0.10 crore).	0.50	-	0.50

				राजस्व	पूंजी	जोड़
नुदान र	नंख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
(ग)	सामान्य प्रशासन (₹७ करोड़) और अन्य	(c)	For meeting additional requirement for			
	विभागों के अंतर्गत (₹1 करोड़) के तहत		ongoing construction works under			
	चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त		General Administration (₹7 crore) and			
	आवश्यवला पूरी करने हेतु।		under other departments (₹1 crore).	-	8.00	8.00
(ঘ)	जिला अस्पतालों के उपयोग के लिए मशीनरी	(d)	For meeting additional requirement to			
	और उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त		purchase of machinery and equipments			
	आवश्यवला पूरी करने हेतु।		for the use of District Hospitals.	-	3.00	3.00
(ड.	) पाइप लाइनों को बदलने, बिछाने और पानी	(e)	For meeting additional requirement for			
	टंकियों के निर्माण के लिए अतिरिक्त		replacement, laying of pipelines and			
	आवश्यकता पूरी करने के लिए।		construction of water tanks.	-	3.00	3.00
(च)	सामान्य पूल आवास के तहत आवासीय भवनों	(f)	For meeting expenditure on			
	के निर्माण/पुनरुद्धार संबंधी व्यय पूरा करने		construction/renovation of			
	के लिए।		residential building under General Pool			
			Accomodation.	-	3.00	3.00
(छ)	मशीनरी और उपस्करों के तहत 35 सूनामी	(g)	For meeting additional requirement for			
	साइरन की खरीद हेतु अतिरिक्त आवश्यकता		procurement of 35 Tsunami sirens under			
	पूरी करने हेतु।		Machinery & Equipments.	-	9.99	9.99
(ज)	पशु चिकित्सा इमारत के निर्माण हेतु अतिरिक्त	(h)	For meeting additional requirement for			
	आवश्यवला पूरी करने हेतु।		construction of Veterinary building.	-	0.13	0.13
(झ)	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मशीनरी और उपस्करों	(i)	For meeting additional requirement for			
	की खरीद संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता पूरी		purchase of machinery and equipments			
	करने हेतु।		for information technology.	-	0.02	0.0
(ञ)	जिला सड़क के अंतर्गत सड़कों और पुलों	(j)	For meeting additional requirement for			
	के निर्माण/पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त		construction/renovation of Roads &			
	आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹3 करोड़),		Bridges under District Roads (₹3 crore),			
	जिला और अन्य सड़कों के लिए जनजातीय		Tribal Area sub plan for District &			
	क्षेत्र उपयोजना (₹2 करोड़) और सामान्य		Other Roads (₹2 crore) and			
	सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		Tribal Area sub plan for General Roads			
	्र(₹2.50 करोड़) ।		(₹2.50 crore).	_	7.50	7.50
0. चंर्ड			andigarh			
(क)	) पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़ के वेतन	(a)	For meeting additional requirement			
	भुगतान संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त		towards payment of Salary related			
	आवश्यकता पूरी करने हेतु।		expenditure of Punjab Engineering	1.5.0.4		4.50
, ,	, , , , ,		College, Chandigarh.	15.04	-	15.04
(ख	) उच्च न्यायालय में सुरक्षा कर्मियों के लिए	(b)	For meeting additional requirement for			
	300 मीटर शूटिंग रेंज का पुनरुद्धार और		renovation of 300 metre shooting			
	इसकी चारदीवारी, आवास के लिए अतिरिक्त		range and its boundary wall,			
	आवश्यकता पूरी करने हेतु, विभिन्न पुलिस		accommodation for security personnel			
	थानों का उन्नयन आदि।		at High Court, upgradation of various		• • •	• •
			Police Stations, etc.	-	3.88	3.8
(ग)	सीसीईटी 26 में कार्यशाला ब्लाक के विस्तार	(c)	For meeting additional requirement for			
	और उनके मौजूदा प्रयागशालाओं आदि के		extension of workshop block in CCET,			
	विस्तार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी		26 and their existing labs etc. (₹1.17			
	करने हेतु (₹1.17 करोड़) और वास्तुकला		crore) and construction of M.Arch			
	कालेज में एम-आर्क ब्लाक का निर्माण (₹0.50		Block in Architect College (₹0.50			
( )	करोड़) ।		crore).	-	1.67	1.6
(ਬ)	α σ ,	(d)	For meeting additional requirement for			
	टाइप-॥ मकानों का निर्माण (₹11.28 करोड़),		(i) construction of 36 Type-II Houses			
	खेल आघात केन्द्र, सरकारी चिकित्सा कालेज		(₹11.28 crore), Sports Injury Centre,			
	में आपातकालीन ब्लाक (₹8.76 करोड़) और `		Emergency Block in Govt. Medical			
	सेक्टर-48 में 80 बेड वाला अस्पताल और		College (₹8.76 crore) and of 80 bedded			
	(ii) जीएमएसएच 16 का उन्नयन, मनीमाजरा		hospital in Sector 48 and (ii)			
	और सेक्टर-22 में 50 बेड (₹2.52 करोड़)		upgradation of GMSH-16, 50 Bedded			
			in Manimajra and sector 22 (₹2.52			
			crore).	-	22.56	22.50

		(करें	ड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of item	राजस्व s Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ड.) धरोहर संबंधी इमारतों के काले धब्बे मिटाने, स्ट्रीट लाइटें, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(e) For meeting additional requirement removal of dark spots, street lighteni preservation and restoration of herita buildings.	ng,	51.99	51.99
(च) सरकारी आईटीआई सेक्टर-28 और केन्द्रीय शिल्प संस्थान सेक्टर-11 के उन्नयन के	(f) For meeting additional requirement upgradation of Govt. ITI, Sec. 28 a			
लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु। (छ) चेन लिंक फेंसिंग लगाने और रिटेनिंग दीवार स्टोन मेसनरी, ग्रेड स्टैबिलाजर, रिवेंटमेंट के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यवला पूरी करने हेतु।	Central Crafts Insitute Sec. 11.  (g) For meeting additional requirement installation of chain link fencing construction of retaining walls, stomasonry, Grade stabilizer, revetment.	ng, one	0.46	0.46
(ज) विभिन्न गांवों की विभिन्न संपर्क/फिरनी सड़कों को चौड़ा करने और पुनः कारपेटिंग के लिए	etc.  (h) For meeting additional requirement widening and recarpeting of various	ous	2.00	2.00
अतिरिक्त आवश्यवला पूरी करने हेतु। (झ) सीटीयू कार्यशाला डिपो I और II के उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यवला पूरी करने	links/phirni roads of various village (i) For meeting additional requirement upgradation of CTU workshop Dep	for	2.30	2.30
हेतु। (ञ) पर्यावरण भवन, से19 के उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यवला पूरी करने हेतु।	<ul><li>I &amp; II.</li><li>(j) For meeting additional requirement upgradation of Environment Buildin Sector 19.</li></ul>		0.12	0.12
51. दादरा एवं नगर हवेली विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में 21 चेक डैम के निर्माण के भुगतान के लिए वचनबद्ध देनदारियेंा के लिए अतिरिक्त आवश्यवला पूरी करने हेतु।	51 Dadra and Nagar Haveli For meeting additional requirement committed liabilities for payment construction of 21 Check Dams in varie	of		
53. लक्षद्वीप (क) स्थापना संबंधी व्यय, खेल-कूद का आयोजन और खेल/आयोजनों, फिटनेस केन्द्रों के लिए स्वास्थ्य देखभाल उपकरण की खरीद, संघों और क्षेत्रीय खेल-कूल परिसरों को वित्तीय सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	Wildlife Sanctuaries.  Lakshadweep  (a) For meeting additional expenditure Grants-in-aid General towar establishment expenses, organizes sports & Games/events, purchase Health Care equipment to fitne centres, Financial Assistanto Associations and Regional Sports Councils.	rds ing of ess ace	2.00	2.00
(ख) स्थापना संबंधी व्यय, लक्षद्वीप कला अकादमी के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure Grants-in-aid General towar establishment expenses, organiz cultural programmes throu Lakshadweep Kala Academy.	e as rds ing	_	0.75
55. पुद्दुचेरी को अंतरण 2012-13 के सूखे के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा यथा अनुमोदित वित्तीय सहायता प्रदान करने	55 Transfers to Puducherry For providing financial assistance approved by High Level Committee	as		0.75
हेतु। आवास और शहरी मामले मंत्रालय	drought 2012-13.  MINISTRY OF HOUSING AND URBA	0.01 <b>A.N</b>	-	0.01
56. आवास और शहरी मामले मंत्रालय (क) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान से संबंधित कार्य के लिए।	AFFAIRS  56 Ministry of Housing and Urban Affai  (a) For work related to institute  Constitutional and Parliamenta	rs of		
(ख) श्रम भवन, चंड़ीगढ़ हेतु कार्यालय भवन के	Studies. (b) For office building for Labour Bhaw	-	5.00	5.00
लिए।	Chandigarh.	-	2.00	2.00

		(करोड़ रुपए Rupee		es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE			
	DEVELOPMENT			
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and			
(i) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) स्कीम	<b>Literacy</b> For (i) Grants-in-aid General under the			
के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹110.10	scheme Navodaya Vidalaya Samiti (NVS)			
करोड़) और आरएमएसए (₹272.09 करोड़), (ii)	(₹110.10 crore) and RMSA (₹272.09 crore)			
नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) स्कीम के	(ii) Grants for Creation of Capital Assets			
अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	under the scheme NVS (₹50 crore), RMSA			
(₹50 करोड़), आरएमएसए (₹100 करोड़), और	(₹100 crore) and (iii) Grants-in-aid Salary			
(iii) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) स्कीम	under the scheme NVS (₹191.60 crore).	723.79	-	723.79
के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹191.60				
करोड़)।				
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(i) अन्य संस्थानों को सहायता स्कीम के अन्तर्गत	For (i) Grants-in-aid General under the			
सामान्य सहायता अनुदान (₹9.80 करोड़) और	schemes Assistance to other institutes (₹9.80			
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता	crore) and Support to University Grants			
(₹262.26 करोड़) और (ii) पूंजीगत आस्तियों	Commission (₹262.26 crore) and (ii) Grants			
सृजन के लिए अनुदान (₹83.52 करोड़) और	for Creation of Capital Assets (₹83.52 crore)			
वेतन सहायता अनुदान (₹0.27 करोड़) अन्य को सहायता स्कीमों के अंतर्गत।	and Grants-in-aid Salaries (₹0.27 crore)			
सहायता स्कामा क अंतगता	under the schemes Assistance to other institutes.	355.85		355.85
	institutes.	333.63	-	333.63
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND			
	BROADCASTING			
59. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and			
	Broadcasting			
सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के	For meeting expenditure as Grants-in-			
लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में व्यय	aid General for Satyajit Ray Filmand			
पूरा करने के लिए।	Television Institute.	1.00	-	1.00
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
62. निर्वाचन आयोग	62 Election Commission			
द्वारका में निर्वाचन आयोग के लिए भूमि की	For purchase of land and construction work			
खरीद और अतिरिक्त कार्यालय भवन के निर्माण	of additional Office Building for Election			
कार्य हेतु।	Commission of India at Dwarka.	-	0.01	0.01
707 -77 2% 107 -77 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	MINICEDY OF MICDO CMALL AND			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium			
	Enterprises			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) क्रेडिट	(a) For meeting additional requirement for			
सहायता कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत अंशदान	(i) contribution under the scheme Credit			
(₹3.67 करोड़) और (ii) खादी अनुदान	Support Programme (₹3.67 crore) and			
स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान	(ii) Grants-in-aid General under the			
(₹9.53 करोड़)	scheme Khadi Grant (₹9.53 crore).	13.20	-	13.20
(ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i)	(b) For meeting additional requirement			
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम	towards (i) contribution under the			
के अंतर्गत अंशदान (₹15 करोड़) और	schemes Pradhan Mantri Employment			
क्रेडिट सहायता कार्यक्रम (₹10 करोड़),	Generation Programme (₹15 crore) and			
(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केन्द्र स्कीम के अंतर्गत विज्ञान	Credit Support Programme (₹10 crore)			
जगजात हब कन्द्र स्काम क अतगत विज्ञान	(ii) Advertising and Publicity under the			

		(करो	ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और प्रचार (₹5 करोड़) और राष्ट्रीय विनिर्माण	schemes National Scheduled Caste/			
प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (₹0.01 करोड़),	Scheduled Tribes Hub Centre (₹5 crore)			
(iii) आंकड़ाधार का उन्नयन स्कीम के	and National Manufacturing			
अंतर्गत प्रचार (₹0.01 करोड़), (iv) विपणन	Competitiveness Programme (₹0.01			
विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत विज्ञान	crore) (iii) Publications under the			
और प्रचार (₹2.50 करोड़), व्यावसायिक	scheme Upgradation of Data Base			
सेवाएं (₹0.05 करोड़), सामान्य सहायता	(₹0.01 crore) (iv) Advertising &			
अनुदान (₹1 करोड़), सब्सिडियां (₹2 करोड़)	Publicity (₹2.50 crore), Professional			
और (v) उद्यमिता और कौशल विकास	Services (₹0.05 crore), Grants-in-aid			
कार्यक्रम संवर्धन सेवाएं, संस्थान और	General (₹1 crore) and Subsidies (₹2			
कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत एफटीई (₹0.05	crore) under the scheme Marketing			
करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹1.50 करोड़)	Development Assistance and (v) FTE			
और सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़)	(₹0.05 crore), Professional Services			
(vi) खादी अनुदान स्कीम के अंतर्गत्	(₹1.50 crore) and Grants-in-aid General			
रामान्य सहायता अनुदान <b>(₹</b> 192.59	(₹1 crore) under the scheme			
करोड़), सामान्य सहायता अनुदान अनुसूचित	Entrepreneurship and Skill			
जाति घटक (₹18.32 करोड़) तथा	Development Programme -			
अनुसूचित जनजाति घटक <b>(₹</b> 19.56	Promotional Service Institutions and			
करोड़)।	Programme. (vi) Grants in aid General			
,	(₹192.59 crore), Grants in aid General			
	SC component (₹18.32 crore) and ST			
	component (₹19.56 crore) under the			
	scheme Khadi Grant.	268.59	-	268.59
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65. खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines			
अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) भारतीय	For meeting the additional requirement			
भू-विज्ञान सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹73.50	towards (i) Salaries under the schemes			
करोड़) और भारतीय खान ब्यूरो (₹13.50 करोड़)	Geological Survey of India (₹73.50 crore)			
और (ii) खनिज अन्वेषण निगम लि0 स्कीम के	and Indian Bureau of Mines (₹13.50 crore)			
अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹0.88 करोड़)।	and (ii) Grants-in-aid Salaries under the			
	scheme Mineral Exploration Corporation			
	Ltd. (₹0.88 crore).	87.88	-	87.88
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय 66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
	66 Ministry of Minority Affairs			
(क) अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (i) बहुक्षेत्रीय	(a) For providing additional funds as (i)			
विकास स्कीम योजना के अंतर्गत पूंजी	Grants for Creation of Capital Assets			
आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4 करोड़)	under the scheme Multi Sectoral			
और (ii) हमारी धरोहर स्कीम के अंतर्गत	Development Scheme (MsDP) (₹4			
सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़)।	crore) and (ii) Grants-in-aid General			
	under the scheme Hamari Dharohar			
	(₹2 crore).	6.00	-	6.00
(ख) अनुसंधान अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	(b) For providing additional funds towards			
स्कीमों के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के	Professional Services under			
लिए अतिरिक्त निधियां देने हेतु।	the Research Studies, monitoring and			
	evaluation schemes.	6.00	-	6.00
(ग) बहुक्षेत्रीय विकास स्कीम योजना के अंतर्गत	(c) For providing additional funds as			
पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के	Grants for Creation of Capital			
रूप में अतिरिक्त निधि मुहैया कराना।	Assets under the scheme Multi Sectoral			
	Development Scheme.	14.60	-	14.60

			<del>-:</del>	<del>-}-</del>
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
67. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (क) सौर विद्युत (ग्रिड इंटरऐक्टिव नवीकरणीय विद्युत) स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना। (ख) पवन विद्युत (ग्रिड इंटरऐक्टिव नवीकरणीय विद्युत) स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी के रूप	<ul> <li>Ministry of New and Renewable Energy</li> <li>(a) For providing additional funds for Grants as Creation of Capital Assets for North Eastern Region under the scheme Solar Power (Grid Interactive Renewable Power).</li> <li>(b) For providing additional funds as subsidy under the scheme Wind Power</li> </ul>	80.00	-	80.00
में अतिरिक्त निधियां प्रदान करन हेतु।	(Grid Interactive Renewable Power).	100.00	-	100.00
योजना मंत्रालय  73. योजना मंत्रालय  व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय श्रम, आर्थिक अनुसंधान और विकास के लिए सामान्य सहातया अनुदान (₹1.50 करोड़) (ii) भारत की ऊर्जा नीतियों के लिए गहरी समीक्षा प्रस्ताव हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को 50,000 यूरो के स्वैच्छिक अंशदान हेतु (₹0.40 करोड़)।	MINISTRY OF PLANNING  73 Ministry of Planning  For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid General for National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.50 crore) and (ii) Contributions for voluntary contribution of EUR50,000 to the International Energy Agency (IEA) for the proposed In Depth Review for the energy policies of India (₹0.40 crore).	1.90	-	1.90
रेल मंत्रालय (i) दक्षिणी रेलवे के लिए ऊपरी पुल निर्माण कार्य के अंतर्गत राष्ट्रीय रेल के जिए मनमदुरई, रामेश्वरम में पुल (पम्बन वायाडक्ट) का निर्माण (₹248.97 करोड़) और (ii) पूर्व मध्य रेलवे के लिए उत्पादन यूनिटों सहित मुख्य कार्यशालाओं के अंतर्गत हजीराबाग नगर में कोच रखरखाव डिपो (चरण-॥) के लिए प्रावधान (₹28.19 करोड़)।	MINISTRY OF RAILWAYS  80 Ministry of Railways  For (i) reconstruction of bridge (Pamban Viaduct) in Manamadurai Rameswaram through Rashtriya Rail under the head Bridge Works for Southern Railway (₹248.97 crore) and (ii) provision for coach maintenance depot (Phase-1) in Hazirabagh Town under the head Workshops including Production Units for East Central Railway (₹28.19 crore).	-	277.16	277.16
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) (i) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सड़कों के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.51 करोड़) और प्रचालन पूर्व खर्च पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि0 को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.12 करोड़)।	(a) For (i) Grants for Creation of Capital Assets for roads in Andaman & Nicobar Islands( ₹2.51 crore) and (ii) Grants- in-aid General to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited for meeting pre-	2.63		2.63
(ख) अन्य प्रभारों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा और	<ul><li>operative expenses (₹0.12 crore).</li><li>(b) For meeting additional expenditure for Road Safety and Pollution</li></ul>	2.03	-	∠.03

			(करो	ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of	items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय  82. ग्रामीण विकास विभाग  (क) सचिवालय के अंतर्गत कार्यालय भवन की मरम्मत हेतु आबंटन देने के लिए।  (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम के अंतर्गत मजदूरी संवितरण के लिए सेवा प्रभार हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए	INISTRY OF RURAL DEVELOPM Department of Rural Developmer  (a) For providing allocation for reposition of the service changes for wage disbutunder the scheme National	pairs of at. nds for	0.20	-	0.20
<del></del>	Employment Guarantee Schem		100.00	-	100.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग व्यय पूरा करने के लिए (i) नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और प्रति नियोजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹40 करोड़), राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली (₹0.01 करोड़), अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाली स्कीम का कार्यान्वयन (₹53.50 करोड़), विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण के अंतर्गत आईएनएसपीआईआरई पंचाट मानक के अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना (₹1 करोड़) और नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रति नियोजन के अंतर्गत अभिचिह्नांवित स्वच्छता कार्ययोजना को (₹0.01 करोड़), (ii) नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और प्रति नियोजन हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3 करोड़) और राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली को (₹0.01 करोड़)।	TECHNOLOGY  4 Department of Science and Technology  4 Department of Science and Technology  5 Development and Deployment (₹40)  6 National Mission on Interdisciplinary  7 Physical System (₹0.01 crore), Im  7 Research, Innovation and Technology Component  8 Schedule Castes of INSPIRE Award  9 under Science & Technology Instite  1 and to Swachhata Action Plan ide  1 under Innovation Technology Devel  2 and Deployment (₹0.01 crore) (ii) Grace at ion of capital Assets for Innate Technology Development and Deployment (₹30 crore) and to National Missanterdisciplinary Cyber Physical interdisciplinary Cyber Physical interdisci	Grants- hnology Ocrore), ry Cyber npacting nnology Plan for -Manak tutional I crore) entified dopment rants for ovation loyment sion on			
85. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (क) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	<ul> <li>(₹0.01 crore)</li> <li>Department of Biotechnology</li> <li>(a) For meeting expenditure towards for creation of Capital Asse</li> </ul>		124.53	-	124.53
के लिए व्यय पूरा करना। (ख) व्यय पूरा करना। (i) स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता हेतु सहायता अनुदान वेतन (₹0.70 करोड़) और (ii) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹20.90 करोड़)।	Biotechnology Research & Develop (b) For meeting expenditure town Grants-in-aid Salary for Assista Autonomous Institutions (₹0.70 cro (ii) Grants for creation of Capital As Biotechnology Research & Devel	ards (i) ance to ore) and ssets for	12.08	-	12.08
86. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  व्यय पूरा करने के लिए (i) सीएसआईआर के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹21.78 करोड़), (ii) सब्सिडी (₹0.54 करोड़) और औद्योगिक अनुसंधान और विकास स्कीम के पेटेंट अधिप्राप्ति एवं सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.27 करोड़), (iii) औद्योगिक अनुसंधान और विकास स्कीम के औद्योगिक अनुसंधान और विकास स्कीम के औद्योगिक अनुसंधान और विकास भवन तथा सामान्य अनुसंधान सुविधाओं के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.50 करोड़), (iv) प्रौद्योगिकी विकास के ज्ञान की	(₹20.90 crore)  Department of Scientific and Inc.  Research  For meeting expenditure towards (i) in-aid Salaries (₹ 21.78 crore) for National Laboratories of CSIR (ii) Subsidy crore) and Grants-in-Aid General crore) under Patent Acquisition Collaborative Research & Tech Development of Industrial Research Development Scheme (iii) Grants Creation of capital assets(₹ 2.50 crore Building Industrial R&D and Collaborative Research Facilities (BIRD) of In Research & Development Scheme (iii)	Grants-National v (₹ 0.54 v ₹ 0.27 v on and anology v earch & control for v ommon adustrial	21.60		21.60

			ङ रुपए Rupees ∸-	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सुलभता और औद्योगिक अनुसंधान और विकास स्कीम के प्रचार-प्रसार (ए2के+) के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय।	Administrative Expenses (₹ 0.01 crore) under Access to Knowledge for Technology Development & Dissemination (A2K+) of Industrial Research & Development Scheme.	25.10	-	25.10
पोत परिवहन मंत्रालय  87. पोत परिवहन मंत्रालय  निम्नलिखित हेतु 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय अंतरदेशीय जल परिवहन प्राधिकरण को (₹1.95 करोड़) और (ii) बांग्लादेश को सहायता जारी करने के लिए (₹0.64 करोड़)   2. जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत एमएमटी, हित्दया तथा अन्य परियोजनाओं का निर्माण (ईएपी- ₹26.95 करोड़) और काउंटर पार्ट वित्तपोषण- ₹25 करोड़)	MINISTRY OF SHIPPING  87 Ministry of Shipping For providing 1. Grants-in-aid General (i) to Inland Water Transport Authority of India (₹1.95 crore) and (ii) for releasing aid to Bangladesh (₹0.64 crore) 2. Grants for creation of capital assets for implementation and commissioning of four sub projects and other ancillary projects under Jal Marg Vikas Project (EAP - ₹26.95 crore and Counterpart funding - ₹25 crore).	54.54	_	54.54
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
88. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	88 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
(क) वर्ष 2018-19 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा विभाग से हस्तांतरित जन शिक्षण संस्थान के निदेशालय के अंतर्गत सचिवालय-सामाजिक के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards Secretariat-Social under Directorate of Jan Shikshan Sansthan transferred from Department of School Education, Ministry of HRD during the year 2018-19.	0.38		0.38
(ख) व्यय पूरा करने हेतु (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-20) के केन्द्रीय प्रायोजित, केन्द्रीय प्रबंधन घटक के अंतर्गत मांगों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹143.01 करोड़) और (ii) अरूणाचल प्रदेश में 9 नए आईटीआई की स्थापना करने और सिक्किम में 3 मौजूदा आईटीआई का उन्नयन करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹15 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for meeting demands under Centrally Sponsored Central Management (CSCM) component of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) (₹143.01 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets for establishing 9 new ITIs in Arunachal Pradesh and upgradation of 3 existing ITIs in Sikkim	0.36		0.36
(ग) औद्योगिक मूल्य वर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण उपयोजना के अंतर्गत आईटीआई को आदर्श आईटीआई में उन्नत करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के	<ul> <li>(₹15 crore).</li> <li>(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for upgradation of ITIs to Model ITIs under sub-scheme Skill Strengthening for Industrial Value</li> </ul>	158.01	-	158.01
लिए।	Enhancement (STRIVE).	40.00	-	40.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹10 करोड़), अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (₹50 करोड़), और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (₹20 करोड़)।	(a) For Grants-in-aid General under schemes Assistance to Voluntary Organisations for SCs (₹10 crore), National fellowship for OBCs and EBCs (₹50 crore) and National Commission for Backward Classes			
(८८० परपर्व)।	(₹20 crore).	80.00	-	80.00

			<del>:-0</del>	<del></del>
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ स्कीम के अंतर्गत विज्ञान और प्रचार के लिए।	(b) For Advertising and Publicity under the scheme Information and Mass Education Cell.	10.00	-	10.00
90. दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग	90 Department of Empowerment of Persons with Disabilities			
(i) राष्ट्रीय अंध, बिघर, मानसिक कमजोरी और अस्थि विकलांग संस्थान का विस्तार और सुधार स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और (ii) दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा / वृत्तिका (₹2.61 करोड़)।	For (i) Grants-in-aid General under the scheme Expansion and Improvement of National Institutes for the blind, deaf, mantally retarded and orthopaediacally handicapped (₹2 crore) and (ii) Scholarship/Stipend under the scheme Scholarship of Students with Disabilities (₹2.61 crore).	4.61	-	4.61
सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND			
92. सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	PROGRAMME IMPLEMENTATION 92 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) सांख्यकीय सुदृढीकरण हेतु सहायता के लिए क्षमता विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु। (ख) घरेलू यात्रा खर्च के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹0.27 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹13 करोड़) आर्थिक जनगणना के	<ul> <li>(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Capacity Development for Support for Statistical Strengthening.</li> <li>(b) For meeting additional expenditure towards Domestic Travel Expenses (₹0.27 crore) and Professional Services</li> </ul>	6.73	-	6.73
लिए।	(₹13 crore) for Economic Census	13.27	-	13.27
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
94. कपड़ा मंत्रालय (क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) पूर्वोत्तर कपड़ा संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹30 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.30 करोड़) और (ii) सिल्क कपड़ा विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹26 करोड़)।	94 Ministry of Textiles  (a) For meeting the additional requirement towards (i) Grants-in-aid General (₹30 crore) and Professional Services (₹0.30 crore) under the scheme North Eastern Textiles Promotion Schemes and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Development of Silk Textiles (₹26 crore).	56.30	_	56.30
(ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) मानव संसाधन विकास- हस्तशिल्प स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़), विपणन सहायता और सेवाएं (₹5.80 करोड़) और धागा आपूर्ति स्कीम (₹0.91 करोड़), (ii) लघु निर्माण कार्य (₹0.74 करोड़) और अन्य हस्तशिल्प स्कीम योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹0.80 करोड़) और (iii) अन्य हथकरघा स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.62 करोड़)।	(N20 Crore).  (b) For meeting additional requirement towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Human Resource Development-Handicraft (₹1 crore), Marketing Support and Services (₹5.80 crore) and Yarn Supply scheme (₹0.91 crore) (ii) Minor Works (₹0.74 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.80 crore) under the scheme Other Handicraft schemes and (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹3.62 crore) under	50.30		30.30
(ग) एकीकृत क्रियान्वयन विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹७ करोड़)। कामगार (₹०.34 करोड़) और चौरस कारखाना सह उष्मायित्र (₹०.47 करोड़)।	the scheme Other Handloom scheme.  (c) For meeting additional requirement towards Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Integrated Processing Development scheme (₹7 crore), Workers (₹0.34 crore)	12.87	-	12.87
	and Flatted Factory cum Incubators (₹0.47 crore).	7.81		7.81

		<i>(क</i>	रोड़ रुपए Rupee	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय  96. जनजातीय कार्य मंत्रालय  (क) जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।  (ख) जनजातीय उपयोजनाओं के लिए विशेष	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS  96 Ministry of Tribal Affairs  (a) For Grants-in-aid General under the scheme Tribal Festival, Research Information and Mass Education.  (b) For Grants-in-aid General under the	2.50	-	2.50
केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	scheme Special Central Assistance to Tribal sub schemes.	7.50	-	7.50
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
97. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।		2.00		2.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD	2.00	-	2.00
98. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	98 Ministry of Women and Child Development For Grants-in-aid General under the scheme Welfare of Working Children in Need of Care and Protection.	2.50	-	2.50
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
99. युवा मामले और खेल मंत्रालय (क) (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्कीमों के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹16.66 करोड़) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹2.11 करोड़) और (ii) नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹34.03 करोड़) और खेलो इंडिया स्कीम (iii) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹4.45करोड़) तथा खेलो इंडीया स्कीम (₹90 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत अंशदान (₹71 करोड़)।	99 Ministry of Youth Affairs and Sports  (a) For (i) Grants-in-aid General under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹16.66 crore) and National Dope Test Laboratory (₹ 2.11 crore) (ii) Grants-in-aid Salary under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹34.03 crore) and (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes National Dope Test Laboratory (₹4.45 crore) and Khelo India Scheme (₹90 crore) and (iv) Contribution under National Sports Development Fund (₹71 crore).  (b) For Grants for Creation of Capital	218.25	-	218.25
आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए।	Assets under the scheme Khelo India.	10.00	-	10.00
कुल सांकेतिक	Total Token	0.82	0.39	1.21
कुल योग निवल नकद व्यय तकनीकी पूरक सांकेतिक पूरक	GRAND TOTAL  Net Cash Outgo Technical Supplementary Token Supplementary	64,932.28 41,212.97 23,718.49 0.82	1,33,899.08 1 10,220.31 1,23,678.38 1 0.39	51,433.28

# विषय सूची CONTENTS

					•	करोड़ in र	₹crore)
				राजस्व	पूंज		<b>पृष्ट</b>
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capita	l Total	Page
कृषि एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE AND					
कल्याण मंत्रालय		FARMERS' WELFARE					
1 कृषि, सहकारिता और कृषक		1. Department of Agriculture, Cooperation	1				
कल्याण विभाग	स्वीकृत	and Farmers Welfare	Voted	19387.02		19387.02	1-2
2. कृषि अनुसंधान और		2. Department of Agricultural Research					
शिक्षा विभाग	स्वीकृत	and Education	Voted	0.02		0.02	3-4
3. पशु पालन, डेयरी कार्य		3. Department of Animal Husbandry,					
तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	Dairying and Fisheries	Voted	201.16	0.01	201.17	5-6
आणविक ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4. आणविक ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	0.04	2375.50	2375.54	7-8
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्स	π,	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND					
यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी		NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA					
(आयुष) मंत्रालय		AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
<ol> <li>आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक</li> </ol>		5. Ministry of Ayurveda, Yoga and					
चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा		Naturopathy, Unani, Siddha and					
होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	Homoeopathy (AYUSH)	Voted	53.43		53.43	9-10
रसायन और उर्वरक		MINISTRY OF CHEMICALS AND					
मंत्रालय		FERTILISERS					
'.      उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	0.01		0.01	11
3. भेषज विभाग		8. Department of Pharmaceuticals	Voted	307.23	3.95	311.18	12
गगर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
). नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.98		0.98	13
<b>होयला मंत्रालय</b>		MINISTRY OF COAL					
0. कोयला मंत्रालय		10. Ministry of Coal	Voted	10.94		10.94	14
गणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUST	ΓRY				
1. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	310.01		310.01	15
12. औद्योगिक नीति तथा		12. Department of Industrial Policy and					
संवर्धन विभाग	स्वीकृत	Promotion	Voted	0.02	16.33	16.35	16
पंचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
13. डाक विभाग	स्वीकृत	13. Department of Posts	Voted		46.87	46.87	17
14.   दूरसंचार विभाग	भारित	14. Department of Telecommunications	Voted	0.01	0.01	0.02	18
उपभोक्ता मामले, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	Ī				
15. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	15. Department of Consumer Affairs	Voted		0.01	0.01	19
<ol> <li>खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभ</li> </ol>	ाग स्वीकृत	16. Department of Food and Public Distribu	ition Voted	1864.71	1000.00	2864.71	20
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Culture	Voted	0.02		0.02	21
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	भारित	19. Ministry of Defence (Misc.)	Charged	•••	2.16	2.16	22-23
	स्वीकृत		Voted	0.02	0.03	0.05	
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	स्वीकृत	20. Defence Services (Revenue)	Voted	1403.97		1403.97	24
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	21. Capital Outlay on Defence Services	Charged		97.42	97.42	25
नेयजल एवं स्वच्छता		MINISTRY OF DRINKING WATER AND					
मंत्रालय		SANITATION					
24. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Drinking Water and Sanitati	on Voted	5391.34		5391.34	26-27
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	25. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.02	0.01	0.03	28

(₹ करोड़ in ₹crore) जोड राजस्व पुंजी पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Revenue Capital **Total** Page इलेक्ट्रॉनिकी और सुचना MINISTRY OF ELECTRONICS AND प्रौद्योगिकी मंत्रालय INFORMATION TECHNOLOGY 26. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना 26. Ministry of Electronics and Information प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वीकृत 20.91 Technology Voted 20.91 29 पर्यावरण, वन और जलवायू MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS परिवर्तन मंत्रालय AND CLIMATE CHANGE 27. पर्यावरण, वन और जलवायु 27. Ministry of Environment, Forests परिवर्तन मंत्रालय स्वीकृत and Climate Change 30 Voted 0.01 0.01 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE 29. आर्थिक कार्य विभाग स्वीकत 29. Department of Economic Affairs 0.04 0.03 Voted 0.07 31-32 वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत Department of Financial Services Voted 4500.00 4500.00 33 ... स्वीकृत प्रत्यक्ष कर 299.96 34. 34. Direct Taxes Voted 299.96 34 स्वीकृत अप्रत्यक्ष कर 35. Indirect Taxes Voted 0.02 35. ... 0.02 35 36. भारतीय लेखा विभाग स्वीकृत 36. Indian Audit and Accounts Department Voted 25.55 25.55 36 ब्याज अदायगियां भारित 9196.65 9196.65 37. Interest Payments Charged 37 37. ऋण की अदायगी भारित Repayment of Debt Charged ... 106594.12 106594.12 38 40. राज्यों को अंतरण भारित 3800.84 39 40. Transfers to States Charged 3800.84 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY मंत्रालर WELFARE स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वीकृत 2916.52 1974.90 4891.42 40-43 42. 42. Department of Health and Family Welfare Voted स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग 43. Department of Health Research Voted 0.02 0.02 44 भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND मंत्रालय **PUBLIC ENTERPRISES** 44. भारी उद्योग विभाग स्वीकृत 44. Department of Heavy Industry 0.01 10.00 10.01 Voted 45 लोक उद्यम विभाग स्वीकृत 45. Department of Public Enterprises Voted 1.00 1.00 46 ... गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS भारित गृह मंत्रालय 46. Ministry of Home Affairs Voted 6.01 0.01 6.02 47 46. पुलिस भारित 48. Police 0.01 0.12 0.13 48 48 Charged स्वीकृत 0.01 4611.63 Voted 4611.62 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह स्वीकृत 49. Andaman and Nicobar Islands Voted 106.53 0.08 106.61 49-50 चंडीगढ स्वीकृत 50. 50. Chandigarh Voted 24.67 0.09 24.76 51-52 स्वीकृत 51. दादरा और नगर हवेली Dadra and Nagar Haveli Voted 19.86 0.01 19.87 53 51. लक्षद्वीप स्वीकृत 53. 53. Lakshadweep Voted 0.02 0.02 54 54. दिल्ली को अंतरण स्वीकृत 54. Transfers to Delhi Voted 2.59 55 2.59 ... 55. पुड्चेरी को अंतरण स्वीकृत 55. Transfers to Puducherry Voted 0.01 49.61 49.62 56 आवास और शहरी गरीबी MINISTRY OF HOUSING AND URBAN उपशमन मंत्रालय POVERTY ALLEVIATION 56. आवास और शहरी गरीबी 56. Ministry of Housing and उपशमन मंत्रालय स्वीकत Urban Affairs Voted 7635.00 600.02 8235.02 57-58 मानव संसाधन विकास MINISTRY OF HUMAN RESOURCE मंत्रालय DEVELOPMENT 57. स्कूली शिक्षा और 57. Department of School Education and साक्षरता विभाग स्वीकृत 4762.75 59-60 Literacy Voted 4762.75 उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत 58. Department of Higher Education Voted 784.33 784.33 61-62 सुचना एवं प्रसारण MINISTRY OF INFORMATION AND मंत्रालय BROADCASTING 59. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्वीकृत 59. Ministry of Information and Broadcasting 11.77 11.77 Voted 63 श्रम और रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत Ministry of Labour and Employment Voted 1024.79 1024.79 64 विधि और न्याय मंत्रालय MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 61. विधि और न्याय मंत्रालय स्वीकृत 61. Law and Justice Voted 1637.14 1637.14 65 चुनाव आयोग स्वीकृत 62. Election Commission Voted 0.01 0.01 66 भारित 63. भारत का उच्चतम न्यायालय 63. Supreme Court of India Charged 7.47 7.4767

(₹ करोड़ in ₹crore) जोड राजस्व पुंजी पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Revenue Capital **Total** Page सूक्ष्म, लघु और मध्यम MINISTRY OF MICRO, SMALL AND उद्यम मंत्रालय MEDIUM ENTERPRISES 64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम 64. Ministry of Micro, Small and उद्यम मंत्रालय स्वीकृत 0.02 0.02 Medium Enterprises Voted 68 खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES स्वीकृत 65. खान मंत्रालय 65. Ministry of Mines Voted 0.01 0.01 69 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वीकृत 66. Ministry of Minority Affairs 0.03 Voted 0.03 70 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE **ENERGY** 67 नवीन तथा नवीकरणीय 67. Ministry of New and Renewable ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत Energy 0.02 0.02 71 Voted पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस MINISTRY OF PETROLEUM AND मंत्रालय NATURAL GAS 72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक 72. Ministry of Petroleum and गैस मंत्रालय स्वीकृत Natural Gas Voted 1364.19 1364.19 72 योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING 73. योजना मंत्रालय 73. Ministry of Planning Voted 0.01 0.01 73 विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 74. विद्युत मंत्रालय स्वीकृत 74. Ministry of Power 2850.00 900.00 3750.00 Voted 74-75 राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION आयोग और उपराष्ट्रपति का PUBLIC SERVICE COMMISSION सचिवालय AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT 75. राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद आवास 75. Staff, Household and Allowances of the और भत्ते भारित 0.42 0.42 President Charged 76 77. राज्य सभा स्वीकृत 77. Rajya Sabha Voted 23.37 23.37 77 रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS 80. रेल मंत्रालय भारित 80. Ministry of Railways Charged 46.00 191.65 237.65 78 स्वीकृत 0.01 Voted 0.01 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग MINISTRY OF ROAD TRANSPORT मंत्रालर AND HIGHWAYS 81. सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत 81. Ministry of Road Transport and Highways 0.02 9683.50 9683.52 79-80 Voted ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 82. ग्रामीण विकास विभाग 82. Department of Rural Development 0.02 0.02 81 Voted विज्ञान और प्रौद्योगिकी MINISTRY OF SCIENCE AND मंत्रालय TECHNOLOGY 84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 0.01 0.01 84. Department of Science and Technology Voted 82 जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 85. Department of Biotechnology Voted 0.02 0.02 83 . . . वैज्ञानिक और औद्योगिक 86. Department of Scientific and Industrial अनुसंधान विभाग स्वीकृत Research Voted 0.01 0.01 84 पोत परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING 87. पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत 0.01 125.00 125.01 87. Ministry of Shipping Voted 85-86 कौशल विकास और उद्यमशीलता MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT मंत्रालग AND ENTREPRENEURSHIP 88. कौशल विकास और उद्यमशीलता 88. Ministry of Skill Development and मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship Voted 0.03 0.03 87 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND **EMPOWERMENT** 89. सामाजिक न्याय और 89. Department of Social Justice and स्वीकृच अधिकारिता विभाग Empowerment Voted 80.02 80.02 88 90. दिव्यांगजन सशक्तीकरण Department of Empowerment of विभाग स्वीकृत Persons with Disabilities 17.74 89 Voted 17.74

					(₹ ₹	करोड़ in र	₹crore)
				राजस्व	ग्र पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	e Capital	Total	Page
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
91. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	91. Department of Space	Voted	168.07	248.47	416.54	90-91
सांख्यिकी और कार्यक्रम		MINISTRY OF STATISTICS AND					
कार्यान्वयन मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTATION					
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम		92. Ministry of Statistics and Programme					
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Implementation	Voted	0.02	•••	0.02	92
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
93. इस्पात मंत्रालय		93. Ministry of Steel	Voted	1.24	•••	1.24	93
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
94. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Textiles	Voted	0.03	13.00	13.03	94-95
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	भारित	96. Ministry of Tribal Affairs	Charged	20.00		20.00	96
	स्वीकृत		Voted	0.02		0.02	
जल संसाधन, नदी विकास	C	MINISTRY OF WATER RESOURCES,					
और गंगा संरक्षण		RIVER DEVELOPMENT AND GANG	A				
मंत्रालय		REJUVENATION					
97. जल संसाधन, नदी विकास		97. Ministry of Water Resources, River					
और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.01		0.01	97
महिला और बाल	C	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD					
विकास मंत्रालय		DEVELOPMENT					
98. महिला और बाल विकास		98. Ministry of Women and Child					
मंत्रालय	स्वीकृत	Development	Voted	0.01		0.01	98
युवा मामले और खेल	C	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS					
ु मंत्रालय		AND SPORTS					
99. युवा मामले और खेल मंत्रालय		99. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.02		0.02	99
कुल जोड़		GRAND TOTAL		64932.28	133899.0819	8831.36	
	भारित		Charged	9270.55	110686.3111	9956.86	
	स्वीकृत		Voted	55661.73	23212.77 7	8874.50	
अनुबंध		ANNEXURE				1	00-103

## कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

## DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		•	and page 1 of the Second Suppler		•	भारित	स्वीकृत		ोड़ ) (In ₹ crores) <b>जोड़</b>
						Charged	Voted		Total
	। अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Ŧ		Revenue				46586.30		46586.30
पूंजी			Capital			***	113.70		113.70
जोड़			Total			•••	46700.00		46700.00
पूरक	अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व	Ŧ		Revenue				1791.67		1791.67
पूंजी			Capital				0.01		0.01
जोड़			Total				1791.68		1791.68
इस सग	मय आवश्यव	<b>ह रकम का पूरक अनुमान:</b>	Supplementary Estimate of the amoun	t now r	equired:				
राजस्व	Ŧ		Revenue				19387.02		19387.02
पूंजी			Capital						
जोड़			Total				19387.02		19387.02
	मूल और पूर	ক)	Total (Original plus Supplementary)				67878.70		67878.70
राजस्व	Т		Revenue			•••	67764.99		67764.99
पूंजी			Capital			•••	113.71		113.71
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर् <u>षो</u>	के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
			II. This Supplementary Grants will be a				lead		
						भारित	स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
						Charged	Voted		Total
<i>राजस</i> मुख्य १	<i>व भाग</i> शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD						
-	-कृषि कार्य		2401-Crop Husbandry				18000.00	( <b>कa</b> )	18000.00
	-सहकारिता		2425-Co-operation				0.01	(खb)	0.01
	-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552-North Eastern Areas				1387.01	(गट)	1387.01
_	राजस्व भाग		Total (Revenue Section)			•••	19387.02	(10)	19387.02
(		,	rotal (Horollab Goodolly			•••			.00002
ये पूरव	ह अनुदानें नि	नेम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The	suppleme	entary Grants are require	ed for:		
(क)	(i)	पादप किस्म का संरक्षण और 1 आस्तियों के सृजन के लिए अनु	केसानों का अधिकार  प्राधिकरण के अंतर्गत पूंजीगत दान (₹ 2.27 करोड़)।	(a)	(i)	Grants for creation of Varieties and Farmer's	-		
	(ii)		मग्री पर उपमिशन के अंतर्गत सामान्य घटक ोय क्षेत्र उपयोजना घटक (₹ 3.71 करोड़) के लिए लिए अनुदान।		(ii)	Grants for creation of (₹ 17 crore) and Triba under Sub-Mission on	al Area Sub-Pla	an Comp	onent (₹ 3.71 crore)
	(iii)	राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत	सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.13 करोड़)।		(iii)		ral under N	-	
	(iv)	भुगतान के लिए कृषि-आर्थि	पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत पेंशन के बकायों के क अनुसंधान केंद्र को सामान्य सहायता अनुदान		(iv)	Grants-in-aid Genera payment of arrears	-		
		₹ 4.50 करोड़)।				Agriculture Census ar	nd Statistics (₹ ₄	1.50 cror	e).
	(v)	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन	ना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (₹ 5.30 करोड़)		(v)	additional contribution	for Special Co	mponent	t Plan for Scheduled
		और जनजातीय क्षेत्र उपयोजन हेतु अतिरिक्त अंशदान।	ना (₹ 79.31 करोड़) के लिए विशेष घटक योजना			Castes (₹ 5.30 crore) under Pradhan Mantri			-Plan (₹ 79.31 crore)
	(vi)		न्वियन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (₹ 298.80 उपयोजना (₹ 154.80 करोड़) के लिए विशेष घटक		(vi)	Subsidies for Special (₹ 298.80 crore) and Implementation of MIS	Tribal Area Sub		
	(vii)		क्षण अभियान (पीएम-आशा) स्कीम के अंतर्गत निजी		(vii)	Subsidies under Pri		nent and	d Stockist Scheme
	` ,		ा (पीपीएसएस) के तहत 'सब्सिडियां' (₹ 1 करोड़)।		` '	(PPSS) under the s Sanrakshan Abhiyan	cheme of Pra	dhan Ma	antri Annadata Aay
	(viii)	कृषि विस्तार पर उप-मिशन वे विज्ञापन और प्रचार (₹ 4.98	त्र अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना घटक के अंतर्गत करोड़)।		(viii)	Advertisement and Component under	Publicity und	ler Trib	al Area Sub-Plan
	(ix)		के लिए मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना यता अनुदान (₹ 14.18 करोड़)।		(ix)	(₹ 4.98 crore).  Grants-in-aid Genera under Mission for			
	(x)	आय सहायता स्कीम के अंतर्ग	त सामान्य घटक (₹ 13464 करोड़), एससीएसपी		(x)	(₹ 14.18 crore). Grants-in-aid Genera	I for General (	Compone	ent (₹ 13464 crore),

SCSP (₹ 2988 crore) and TASP (₹ 1548 crore) under Income

Support Scheme.

(₹ 2988 करोड़) और टीएएसपी (₹ 1548 करोड़) के लिए सामान्य सहायता

अनुदान।

(i)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 18000 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) कृषि सहयोग पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के (b घाटे को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14.68 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) कृषि विस्तार पर उप-मिशन के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 5 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़)।
  - (ii) बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.52 करोड़)।
  - (iii) एमआईएस/पीएसएस के कार्यान्वयन के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 149.60 करोड़), अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹ 33.20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना घटक (₹ 17.20 करोड़) के लिए 'सब्सिडियां'।
  - (iv) कल्याण स्कीमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों का वितरण के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 41.14 करोड़), अनुसूचित जाति घटक के लिए विशेष घटक योजना (₹ 9.13 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना घटक (₹ 4.74 करोड़) के लिए 'सब्सिडियां'।
  - (v) आय सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 1496 करोड़), एससीएसपी
     (₹ 332 करोड़) और टीएएसपी (₹ 172 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 78.69 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें ₹ 1308.32 करोड़ का नकद व्यय होगा। Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 18000 crore..

Grants-in-aid General for meeting deficit of National Council for Cooperative Training under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (₹ 14.68 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- Advertisement and Publicity (₹ 5 crore) and Grants-in-aid General (₹ 5 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension.
- (ii) Grants-in-aid-General under Mission for Integrated Development of Horticulture (₹ 8.52 crore).
- (iii) Subsidies for General Component (₹ 149.60 crore), Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 33.20 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹ 17.20 crore) under Implementation of MIS/PSS.
- (iv) Subsidies for General Component (₹ 41.14 crore), Special Component Plan for Scheduled Caste Component (₹ 9.13 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹ 4.74 crore) under Distribution of Pulses to State/Union territories for Welfare Schemes
- (v) Grants-in-aid General for General Component (₹ 1496 crore), SCSP (₹ 332 crore) and TASP (₹ 172 crore) under Income Support Scheme.

Taking into account the surrender of savings of  $\ref{thmost}$  78.69 crore available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of  $\ref{thmost}$  1308.32 crore.

## कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

## ( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

ioi Giants ioi	tile year 2010-2013	and page 3 of the Second Supplen	ieritary Derria	inds for Chants for the	year 2010	· .	) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत	(1 4)(1.0)	সাঁজ সাঁজ
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			,,,,,		
राजस्व		Revenue			7800.00		7800.00
पूंजी		Capital		***			7000.00
जोड़ जोड़		Total		***	7800.00		7800.00
		SUPPLEMENTARY GRANT:		***	7000.00		7000.00
<b>पूरक अनुदान:</b> राजस्व					450.74		450.74
		Revenue			152.74		152.74
पूंजी <b>जोड़</b>		Capital		***	450.74		450.74
		Total			152.74		152.74
<b>इस समय आवश्यक</b> राजस्व	रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	it now required:		0.00		0.00
_		Revenue			0.02		0.02
पूंजी <b>जोड़</b>		Capital					
	•	Total			0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक	5)	Total (Original plus Supplementary)		···	7952.76		7952.76
राजस्व		Revenue			7952.76		7952.76
पूंजी		Capital					•••
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंतर्गत ि	देखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be a	accounted for und	~_ ^	_		_
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2415-कृषि अनुसंध	ान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Educa	ation		0.01	( <b>कa</b> )	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552-North Eastern Areas			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)			0.02		0.02
	88 1 18 1						
ये पूरक अनुदाने निः	त्र लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The supplement	ntary Grants are required	for:		
( <b>क</b> ) (i)	मुख्यालय प्रशासन के लि सहायता अनुदान प्रदान करन	ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य ⊓ (₹ 269.65 करोड़) ।	(a) (i)	Grants-in-aid Genera Research for Headqua			•
(ii)		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता	(ii)	Grants-in-aid Salarie			
	अनुदान प्रदान करना (₹ 40			Research Headquarte	r Administration	on (₹ 40.81	crore).
(iii)		मी और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय का संघ को	(iii)	Grants-in-aid Genera	ıl to Nationa	I Academy	of Agricultural
	सामान्य सहायता अनुदान प्र	दान करना   (₹ 0.40 करोड़)।		Sciences and India	n Agricultura	I Universi	ties Association
	"			(₹ 0.40 crore).			
(iv)		दिलखंड और पूसा में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के	(iv)	Grants for creation of	of Capital Ass	sets to Ce	ntral Agricultural
	लिए अनुदान प्रदान करना (र			Universities at Bundel		,	*
(v)		र सलाहकार समूह को भारत के सदस्यता योगदान	(v)	Contributions under	India's Me	mbership	Contribution to
	के तहत योगदान प्रदान करन	⊺ (र 0.64 कराड़)।		Consultative Group	on Internation	nal Agricu	ıltural Research
				(₹ 0.64 crore).			
(vi)	एशिया प्रशांत में एक्वाकल्च प्रदान करना (₹ 0.02 करोड़	र केन्द्र (एनएसीए) का नेटवर्क के तहत अंशदान	(vi)	Contributions under ' Pacific' (₹ 0.02 crore).	Network of A	Aquaculture	Centre in Asia
(vii)	_ '	/' तंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि	(vii)	Grants-in-aid Genera	al to Indian	Council	of Agricultural
(*")		ान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 36.88	(****)	Research for Crop So			· ·
	करोड़)।	, , ,		Schemes (₹ 36.88 cro		o i loscalo	and Education
(viii)	फसल विज्ञान संस्थान अनस	तंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि	(viii)	Grants for creation	,	sets to In	dian Council of
(****)	अनुसंधान परिषद को पूंजींग	त आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना	(۷111)	Agricultural Research			
	(₹ 17.23 करोड़)।			Education Schemes (	•		es ivesearch and
(iv)	नागनानी संस्थान थनसंध	ान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि	(iv)	Grants-in-aid Genera			of Agricultural
(ix)		ान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 11.30	(ix)	Research for Horticul			•
	जनुराधान नारपद का साम करोड़)।			Schemes (₹ 11.30 cro		., 1.0300101	. and Education
(v)	' <u>-</u>	ान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि	(v)	Grants for creation		seate to In	dian Council of
(x)		त आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना	(x)		-		
	जनुत्तवान पारपद का पूजान (₹ 2.46 करोड़)।	व नारवचा क पृथा कायद अपुषाप अक्षा करण		Agricultural Research		ie ilistitute	s, research and
(v:\	` '	ांधान और शिक्षा योजना  के तहत भारतीय कृषि	(v:)	Education Schemes (	•	Council	of Agricultural
(xi)		ाधान आर शिक्षा याजना के तहते भारताय कृषि सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना	(xi)	Grants-in-aid Genera			-
	अपुराधारा चारपद का (₹ 10.11 करोड़) ।	તાતા ત્રણાવતા સંદુષાન અત્રાસ્ત્ર જાતાના		Research for Agricult			, iteseaith and
	,,			Education Schemes (	. io. i i ciore).		

- (xii) कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 6.95 करोड़)।
- (xiii) कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 21.72 करोड़)।
- (xiv) कृषि शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 21.90 करोड़)।
- (xv) कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 2.15 करोड़)।
- (xvi) कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 0.15 करोड़)।
- (xvii) कृषि अभियांत्रिकी संस्थानों, अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 4.17 करोड)।
- (xviii) कृषि अभियांत्रिकी संस्थानों, अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (र 0.77 करोड़)।
- (xix) कृषि में मूलभूत, नीतिगत एवं अग्रणी अनुसंधान उपयोग पर राष्ट्रीय निधि के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.93 करोड़)।
- (xx) कृषि में मूलभूत, नीतिगत एवं अग्रणी अनुसंधान उपयोग पर राष्ट्रीय निधि के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 2.28 करोड़)।
- (xxi) कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा योजनओं सहित अन्य प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएँ के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 8.95 करोड़)।
- (xxii) कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा योजनओं सहित अन्य प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएँ के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 3.35 करोड़)।
- (xxiii) जलवायु अनुकूल कृषि पहल के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (₹ 2.88 करोड़)।
- (xxiv) जलवायु अनुकूल कृषि पहल के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 0.79 करोड़)।
- (xxv) पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं जिनमें डेयरी अनुसंधान संस्थान और योजनाएं शामिल हैं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 18.31 करोड़) ।
- (xxvi) पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं जिनमें डेयरी अनुसंधान संस्थान और योजनाएं शामिल हैं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान प्रदान करना (**रॅ** 5.68 करोड़)।
- (xxvii) मत्स्यकी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 8.70 करोड़)।
- (xxviii) मत्स्यकी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 2.28 करोड़)।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनपरक अनदान मांगा जाता है।

(b)

(i)

- (ख) (i) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 3.44 करोड़)।
  - (ii) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 60.14 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (xii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes (₹ 6.95 crore).
- (xiii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes (₹ 21.72 crore).
- (xiv) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes (₹ 21.90 crore).
- (xv) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Economics & Statistics Institutes, Research and Education Schemes (₹ 2.15 crore).
- (xvi) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under scheme Agricultural Economics & Statistics Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.15 crore).
- (xvii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes (₹ 4.17 crore).
- (xviii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.77 crore).
- (xix) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic & Frontier Application Research in Agriculture (₹ 1.93 crore).
- (xx) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic & Frontier Application Research in Agriculture (₹ 2.28 crore).
- (xxi) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 8 95 crore)
- (xxii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 3.35 crore).
- (xxiii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Climate Resilient Agriculture Initiative (₹ 2.88 crore).
- (xxiv) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Climate Resilient Agriculture Initiative
- (xxv) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes & Schemes (₹ 18.31 crore).
- (xxvi) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes & Schemes (₹ 5.68 crore).
- (xxvii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Fisheries Institutes, Research and Education Schemes (₹ 8.70 crore).
- (xxviii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Fisheries Institutes, Research and Education Schemes (₹ 2.28 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under scheme ICAR Headquarter Administration (₹ 3.44 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural Universities Imphal ( $\overline{\epsilon}$  60.14 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दसरी पुरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 4 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

<b>,</b>			,	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		3536.11	3536.11
पूंजी	Capital		43.89	43.89
जोड़	Total		3580.00	3580.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	201.16	201.16
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		201.17	201.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3781.20	3781.20
राजस्व	Revenue		3737.29	3737.29
पूंजी	Capital		43.91	43.91
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	गया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जৗड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	Criargeu	VOLGU	Iotai
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry		201.14	(कa) 201.14
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development	•••	0.01	(ন্a) 201.14 (खb) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(बं <i>b)</i> 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		201.16	201.16
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION	***	201.10	201.10
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
<b>पुष्प साप</b> 4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय			0.01	(ঘd) 0.01
	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	***	201.17	(ঘd) 0.01 <b>201.17</b>
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	201.17	201.17

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- क) (i) पश् स्वास्थ्य संस्थान स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़)।
  - (ii) पशुपालन अवसंरचना विकास कोष स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 0.75 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना घटक (₹ 0.17 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 0.90 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
  - (iii) भारतीय पश्चिकित्सा परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.24 करोड़)।
  - (iv) राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्कीम के तहत सामान्य घटक (₹ 321.42 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना घटक (₹ 62.72 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 37.55 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 28.13 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचतों का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त व्यय के अंतर्गत ₹ 173.01 करोड़ का नकद खर्च होगा।

- (ख) सामान्य घटक (₹ 1.92 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना घटक (₹ 0.42 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 0.22 करोड़) के अंतर्गत राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों को सामान्य सहायता अनुदान।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्कीम के तहत सामान्य घटक (₹ 37 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना घटक (₹ 9 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 4 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

The supplementary Grants are required for:

- (i) Grants-in-aid General for the scheme Animal Health Institute (₹ 2.50 crore).
  - (ii) Grants-in-aid General for General Component (₹ 0.75 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹ 0.17 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹ 0.90 crore) under the scheme of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.
  - (iii) Grants-in-aid Salaries to Veterinary Council of India (₹ 0.24 crore).
  - (iv) Grants-in-aid General for General Component (₹ 321.42 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹ 62.72 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹ 37.55 crore) under the scheme of Rashtriya Gokul Mission.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 28.13 crore available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 173.01 crore..

Grants-in-aid General to State Cooperative Dairy Federations under General Component (₹ 1.92 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹ 0.42 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹ 0.22 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General for General Component (₹ 37 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹ 9 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹ 4 crore) under the scheme of Rashtriya Gokul Mission.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य संस्थानों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा (d) करने के लिए (₹ 1.44 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ঘ)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure on Major Works for Animal Health Institutes (₹ 1.44 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

भारित

स्वीकृत

. (₹ करोड़ ) (In ₹ crores) **जोड़** 

				711(1	44151		વાષ્ટ
				Charged	Voted		Total
<i>l. मूल अनुदान</i>	<i>T:</i>	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		1.00	13928.15		13929.15
पूंजी		Capital		0.50	7588.73		7589.23
जोड़		Total		1.50	21516.88		21518.38
पूरक अनुदान:	•	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue			0.04		0.04
पूंजी		Capital		9.50	0.04		9.54
जोड़		Total		9.50	0.08		9.58
इस समय आवश्य	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	nt now require	ed:			
राजस्व		Revenue			0.04		0.04
पूंजी		Capital		***	2375.50		2375.50
जोड़		Total		***	2375.54		2375.54
जोड़ (मूल और पृ	र्रक)	Total (Original plus Supplementary)		11.00	23892.50		23903.50
राजस्व		Revenue		1.00	13928.23		13929.23
पूंजी		Capital		10.00	9964.27		9974.27
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be			Head		
				भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		-			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3451-सचिवाल	य- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services			0.01	( <b>कa</b> )	0.01
2801-विद्युत	•	2801-Power			0.01	(खb)	0.01
2852-उद्योग		2852-Industries			0.01	(गc)	0.01
3401-परमाणु उ	ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research			0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भा	-	Total (Revenue Section)			0.04		0.04
पूंजी भाग	·	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	रियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Project	ts		0.01	(ਵe)	0.01
	ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy			0.01	(चf)	0.01
~	रियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	•		2375.48	(छg)	2375.48
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)			2375.50	,	2375.50
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			2375.54		2375.54
ये पूरक अनुदानें	निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The suppler	mentary Grants are required	d for:		
(事)	परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई सचि	वालय) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु	(a)	Meeting additional expe	nditure (₹ 0.06	crore) to	owards Grant-in-aid
	अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹			General for Department	of Atomic Ener	gy(DAE \$	Secretarait).
		बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	savings availab	le in the	same section of the
	अनुदान मांगा जाता है।			Grant, a token suppleme	entary is sought		
(ख)		रएपीएस) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु	(b)	Meeting additional expe	•	,	
	अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹			General for Rajasthan A		,	,
		बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	-		same section of the
	अनुदान मांगा जाता है।			Grant, a token suppleme			
(ग)		बार्क) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु	(c)	Meeting additional expe	•	,	
	अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹	*		General for Bhabha Ator			
	अनुदान क इसा भाग म उपलब्ध अनुदान मांगा जाता है।	बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the s	•		same section of the
( <del></del> )	•		(-1)	Grant, a token suppleme	-		
(ঘ)		मान्य-सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा	(d)	Meeting additional expe			owards Grant-in-aid
	करने के लिए (₹ 7 करोड़)।	>		General for General Ser	-		
	अनुदान के इसा भाग में उपलब्ध अनुदान मांगा जाता है।	बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the	-		same section of the
(군)	•	र्क) के लिए मशीनरी एवं उपकरण हेतु अतिरिक्त	(0)	Grant, a token suppleme			towards Machines
(ड)	भाभा परमाणु अनुसधान कन्द्र (बाब व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.33 कर	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(e)	Meeting additional expe	,	,	•
		राड़)। बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		and Equipments for Bha Taking into account the s			, ,
	अनुदान के इसा मार्ग में उपलब्ध अनुदान मांगा जाता है।	चनत नम ज्याम च रखत हुए, त्राकातक पूरक		Grant, a token suppleme	-		Same Scoudil Of the
	3			Crant, a token suppleme	mary is sought		

- (च) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर) के लिए मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.14 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (छ) सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक (सीएएए) की बहियों में रूसी क्रेडिट के बकाए भुगतान हेतु भारतीय नाभिकीय बिजली निगम लि. (एनपीसीआईएल) को ऋण पूरा करने के लिए (₹ 3000 करोड़)। अनुतान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए और अनुतान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 556.77 करोड़ की बजट के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1818.71 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- Meeting additional expenditure (₹ 0.14 crore) under Machinery & Equipment for Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting loans to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 3000 crore) towards outstanding payment of Russian Credit in the books of Controller of Aid, Accounts & Audit (CAAA). Taking into account savings available in the same section of the grant and taking into account the surrender of saving of ₹ 556.77 crore available in the Revenue Section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1818.71 crore.

## आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 7 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित	-	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) जॊड
			स्वीकृत	****
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2107.10	2107.10
पूंजी	Capital	***	23.70	23.70
जोड़	Total		2130.80	2130.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		30.02	30.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	30.02	30.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		53.43	53.43
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	***	53.43	53.43
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2214.25	2214.25
राजस्व	Revenue		2190.55	2190.55
पूंजी	Capital	•••	23.70	23.70
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Maj	or Head	
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		53.40	( <b>कa</b> ) 53.40
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(ঘd) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		53.43	53.43

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन (₹ 2.70 करोड़), (2) अखिल भारतीय आर्युवेद संस्थान (₹ 2.28 करोड़), (3) राष्ट्रीय आयुष मिशन (नाम) (₹ 4.28 करोड़), (4) आर्युवेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर (₹ 1 करोड़), (5) राष्ट्रीय आर्युवेद संस्थान जयपुर (₹ 2 करोड़), (6) केन्द्रीय आर्युवेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (₹ 2.28 करोड़), (7) राष्ट्रीय युनानी औषधि संस्थान, वेंगलुरु (₹ 1 करोड़), (8) केंद्रीय युनानी औषधि अनुसंधान परिषद (₹ 0.50 करोड़), (9) केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद (₹ 0.50 करोड़) और (10) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹ 2 करोड़) और (ii) योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (₹ 3.46 करोड़), (2) केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद (₹ 3.54 करोड़), (3) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (₹ 1.56 करोड़) और (5) केन्द्रीय युनानी औषधि अनुसंधान परिषद (₹ 15 करोड़) और (5) केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (₹ 15 करोड़) और (5) केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए अनुदान (₹ 30.36 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 17 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें ₹ 36.40 करोड़ नकद व्यय होगा।

(ख) (i) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) एनएएम (₹ 7.72 करोड़), और (2) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹ 1.62 करोड़), (ii) योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) नाम (₹ 17.20 करोड़) और (2) पूर्वोत्तर आर्युवेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹ 0.70 करोड़) और (iii) योजना के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता - पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹ 2.40 करोड़)।

Grant-in-Aid-General, under the scheme (1) Promotion of International Cooperation (₹ 2.70 crore), (2) All India Institute of Ayurveda (₹ 2.28 crore), (3) National AYUSH Mission(NAM) (₹ 4.28 crore), (4) Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar (₹ 1 crore), (5) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 2 crore), (6) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 2.28 crore), (7) National Institute of Unani Medicine, Bangalore (₹ 1 crore), (8) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 0.50 crore), (9) Central Council for Research in Siddha (₹ 0.50 crore) and (10) National Institute of Homoeopathy, Kolkatta (₹ 2 crore) and (ii) Grant in Aid Salary under the scheme (1) Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 3.46 crore), (2) Central Council for Research in Siddha (₹ 8.54 crore), (3) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (₹ 1.56 crore), (4)Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 15 crore) and (5) Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 30.36 crore).

Taking into account the surrender of savings of  $\ref{thmodel}$  17 crore in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of  $\ref{thmodel}$  36.40 crore.

(i) Grants in Aid General, under the scheme (1) NAM (₹ 7.72 crore),and (2) North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong (₹ 1.62 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme (1)NAM (₹ 17.20 crore) and (2) North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong (₹ 0.70 crore) and (iii) Grant-in-aid Salary under the scheme North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong (₹ 2.40 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	एनएएम योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 11.72  करोड़)।	(c)	Grant-in-aid General under the scheme NAM (₹ 11.72 crore).
	अनुदान् के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the savings available in the same section of the
	जाता है।		Grant, a token supplementary is sought.
(ঘ)	एनएएम योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.78 करोड़)।	(d)	Grant-in-aid General under the scheme NAM(₹ 1.78 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the savings available in the same section of the
	जाता है।		Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 7

#### उर्वरक विभाग

#### **DEPARTMENT OF FERTILISERS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये ) (See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

			(₹ ₹	<sub>करोड़</sub> ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		73485.35	73485.35
पूंजी	Capital		0.04	0.04
जोड़	Total	•••	73485.39	73485.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	•••	2.00	2.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	2.00	2.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	•••	0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	73487.40	73487.40
राजस्व	Revenue	•••	73487.36	73487.36
पूंजी	Capital		0.04	0.04
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	ब्राया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

युरिया के आयात हेतु भुगतान (₹ 5200 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

payment of Import of Urea (₹ 5200 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### भेषज विभाग

#### **DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये ) (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

			भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़	) (In ₹ crore. जॊड़
			Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
ाजस्व	Revenue			261.47		261.47
जी	Capital			0.06		0.06
गोड़	Total		•••	261.53		261.53
(रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRAP	V <i>T:</i>				
ाजस्व	Revenue					
जी	Capital			7.00		7.00
गेड़	Total			7.00		7.00
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुम	न: Supplementary Estimate of the	e amount now required:				
ाजस्व	Revenue			307.23		307.23
<del>[</del> जी	Capital			3.95		3.95
<b>ोड़</b>	Total			311.18		311.18
गेड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplemer	ntary)		579.71		579.71
ाजस्व	Revenue			568.70		568.70
जी	Capital			11.01		11.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निर्म्ना	लेखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:			
		will be accounted for under the fo		d		
			भारित	स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
			Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
<del>रु</del> ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2852-उद्योग	2852-Industries			307.23	( <b>कa</b> )	307.23
युंजी भाग	CAPITAL SECTION					
रुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- 8857-रसायन और भेषज उद्योगों के लि	र ऋण 6857-Loans for Chemical and	Pharmaceutical Industries		3.95	(खb)	3.95
नोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)			311.18		311.18
। पुरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षि	न हैं	The supplementary Gran	ate are required for:			
., .	" <sup>ए</sup> ोटिक लिमिटेड (एचएएल), पुणे को सरकारी ऋण और :		off the total amou		ment los	an and interest
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	: खाते डालना (दिनांक 30.09.2017 को आकलित मू	. ,	Antibiotics Limited			
	ट्र खात डालना (दिनाक 30.09.2017 का जाकालत मू ब्याज ₹ 120.27 करोड़) (ii) कलस्टर विकास उप योज		: ₹ 120.27 crore			
	ज्याज र 120.27 करोड़) (॥) कलास्टर विकास उन पाज हा विकास (₹ 4.00 करोड़)।		ent of Pharmace			, , ,
असमस्य सम्भ उद्याग	11 11 11 ( 1.00 11 11 ))	•	evelopment (₹ 4.00		., unde	. Oub Ochei
अनदान के दसी भाग	में उपलब्ध बचत और ₹ 307.23 करोड़ की समतुल्य प्रा		o account the savin	,	in the sa	me section of
	न उपलब्ध जपस जार र 507.25 कराड़ का सम्बुल्प प्रा ोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	•	I matched by equiv	-		
नत चलत हुए, इसम	18 -11/11/20 (1.16 -1.1. 16) 61.111	Clant and		- GIOTIL TOUGH	01 ( )	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

लेखा परीक्षा की आपत्ति को हटाने के लिए राजस्थान औषधि और भेषज लिमिटेड

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें

(ख)

(₹ 3.95 करोड़)।

कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

will not entail cash outgo.

entail any additional cash outgo.

(₹ 3.95 crore).

Loan to Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited

Taking into account the surrender of savings available in the

Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not

#### मांग संख्या DEMAND NO 9

## नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित	<i>(रैं</i> स्वीकृत	र करोड़ ) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	स्याकृत Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	Onargeu	Voted	Total
राजस्व	Revenue		5881.86	5881.86
पूंजी	Capital		721.00	721.00
जोड़	Total	***	6602.86	6602.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		798.34	798.34
पूंजी	Capital		3278.80	3278.80
जोड़	Total		4077.14	4077.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.98	0.98
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.98	0.98
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		10680.98	10680.98
राजस्व	Revenue		6681.18	6681.18
पूंजी	Capital		3999.80	3999.80
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेग	π:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follo			
	'' ,	<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation		0.98	0.98
		वसूलियों को शामिल नहीं कि	या गया है जिन्हें व्यय में से	घटाकर समायोजित
	Note: The above estimates of additional requirements do not take	e into account the recove	eries shown below, wh	nich are adjusted
	in reduction of expenditure.			-
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	***	(-)0.98	(-)0.98
			• •	• •

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विद्युत चालित गोल्फ गाड़ियों की खरीद (₹ 0.98 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

purchase of electric Golf Carts for senior citizens at airports under Airport Authority of India (₹ 0.98 crore).

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 10

## कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i> <b>जोड़</b>
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	onal god	70.00	, otta
राजस्व	Revenue		770.91	770.91
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	770.91	770.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			
जोड़	Total			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		10.94	10.94
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	10.94	10.94
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		781.85	781.85
राजस्व	Revenue		781.85	781.85
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत र्	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		ad	
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	( <b>कa</b> ) 0.01
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite		10.93	(खb) 10.93
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	10.94	10.94

(b)

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

- (क) (II) (I) 'अनुसंधान और विकास' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (I) (I) (i) 'अनुसंधान और विकास' स्कीम के अंतर्गत (₹ 13.50 करोड़) और (ii) 'कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण' स्कीम की उप-स्कीम 'व्यापक ड्रिलिंग' (₹ 37.36 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलव्ध ₹ 39.93 करोड़ की बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 10.93 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (II) Grants-in-Aid General under the scheme of 'Research and Development' (₹ 1.50 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Grants-in-Aid General under(i) the scheme 'Research and Development' (₹ 13.50 crore) and (ii) sub-scheme 'Detailed Drilling' of the scheme 'Exploration of Coal and Lignite' (₹ 37.36 crores);

Taking into account the savings of ₹ 39.93 available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 10.93 crore.

## वाणिज्य विभाग

#### **DEPARTMENT OF COMMERCE**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

			-	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4741.70	4741.70
पूंजी	Capital		510.00	510.00
जोड़	Total	•••	5251.70	5251.70
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		643.61	643.61
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	643.61	643.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		310.01	310.01
पूंजी	Capital	•••		
जोड़	Total		310.01	310.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	6205.32	6205.32
राजस्व	Revenue	•••	5695.32	5695.32
पूंजी	Capital	•••	510.00	510.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखा	या जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Major He	ad	
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2407-पौधरोपण	2407-Plantations		0.01	( <b>कa</b> ) 0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion		310.00	(खb) 310.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	310.01	310.01

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(क)

'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.77 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) 'व्याज समकरण योजना' स्कीम के अंतर्गत सिव्सिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 100.00 करोड़), (ii) 'शुल्क वापसी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सिव्सिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 210.00 करोड़), (iii) 'विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 10.00 करोड़), (iv) 'वाजार पहुंच पहल' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 20.00 करोड़) और (v) 'परियोजना विकास निधि' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.90 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 10.00 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, इसमें ₹ 300.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

Meeting the additional requirement for subsidies under the scheme 'Tea Board' (₹ 3.77 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i)Meeting the additional requirement for Subsidies under the scheme 'Interest Equalization Scheme' (₹ 100.00 crores, (ii) Meeting additional requirement for Subsidies under the scheme 'Duty Drawback Scheme' (₹ 210.00 crores), (iii)Meeting the additional requirement for Grants for creation of capital assets under the scheme 'Foreign Trade and Export Promotion' (₹ 10.00 crores), (iv) Meeting the additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Market Access Initiative' (₹ 20.00 crore) and (v) Meeting the additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Project Development Fund' (₹ 0.90 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 10.00 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilizing the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 300.00 crore.

## मांग संख्या DEMAND NO 12 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये ) (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

·	,	भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i> <b>जोड़</b>
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	_		
राजस्व	Revenue		5430.56	5430.56
पूंजी	Capital		709.67	709.67
जोड़	Total	•••	6140.23	6140.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व राजस्व	Revenue		0.03	0.03
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		16.33	16.33
जोड़	Total		16.35	16.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6156.61	6156.61
राजस्व	Revenue		5430.61	5430.61
पूंजी	Capital	***	726.00	726.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur	nder the following Major He	ad	
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	***	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		16.33	(गc) 16.33
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		16.35	16.35

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क) (i) 'परिवहन/भाइा सब्सिडी योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 295.78 करोड़), (ii) 'स्वायत्त संस्थाओं को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.07 करोड़) और (iii) 'स्वायत्त संस्थाओं को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.05 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) 'औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईएलडीपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.53 करोड़), (ii) 'स्वायत्त संस्थाओं को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.00 करोड़), और (iii) 'व्यापार करने की सुगमता (ई-बिज)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5.00 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

 (π) 'बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 16.33 करोड़)।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(i)Meeting additional requirement for subsidies under the scheme 'Transport/Freight Subsidy Scheme' (₹ 295.78 crore), (ii) Meeting additional requirement for Grants-in-aid Salaries under the scheme 'Support to Autonomous Institutions' (₹ 0.07 crore) and (iii)Meeting additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Support to Autonomous Institutions' (₹ 0.05 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i)Meeting additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (ILDP)' (₹ 0.53 crore), (ii)Meeting additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Support to Autonomous Institutions' (₹ 8.00 Crores) and (iii) Meeting additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Ease of Doing Business (E-Biz) Project' (₹ 5.00 Crores).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional requirement for Major Works under the scheme 'Modernization and Strengthening of Intellectual Property Offices' (₹ 16.33 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## मांग संख्या DEMAND NO 13 डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

Demands for Grants for	the year 20	18-2019 and page 11 of the Se	cona Supple	ementary D	emanos ior	Grants for i	-	•
					भारित	स्वीकृत	(र करा	ङ ) (In ₹ crores) जोड़
					Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue			0.80	28514.24		28515.04
पूंजी		Capital				757.52		757.52
जोड़		Total			0.80	29271.76		29272.56
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व		Revenue			2.29	600.00		602.29
पूंजी		Capital				20.00		20.00
जोड़		Total			2.29	620.00		622.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक उ	ानुमान:	Supplementary Estimate of the ame	ount now requir	ed:				
राजस्व	•	Revenue	•					
पूंजी		Capital				46.87		46.87
जोड़		Total			•••	46.87		46.87
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary	)		3.09	29938.63		29941.72
राजस्व		Revenue	,		3.09	29114.24		29117.33
पूंजी		Capital			•••	824.39		824.39
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	न मरूज शीर्जों के अंत	र्मात दिखाला जारे		0200		0200
		II. This Supplementary Grants will be	~			Head		
		II. This Supplementary Grants will t	de accounted to	i under the lo	भारित	। IEau स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
					Charged	Voted		Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			g			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	т	5201-Capital Outlay on Postal Serv	ices			0.01	( <b>कa</b> )	0.01
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारि		5465-Investments in General Finar		a		46.86	(নa) (खb)	46.86
निवेश	ल संस्थाना म	Institutions	iciai and Trading	9		40.00	(30)	40.00
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)				46.87		46.87
415 (241 414)		rotal (Suplial Socioli)			•••	40.07		40.07
ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अ	पेक्षित हैं		The supplem	entary Grants	are required	for:		
		ाधुनिकीकरण के अंतर्गत मेल आफिस हार्डवेयर	(a)	,			52 crore	under the activity
और रूरल हार्डवे	यर गतिविधि के तह	हत ₹ 42.52 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा	. ,	_				ardware' under IT
करने के लिए।					d modernisati			
अनुदान के इसी भ	गाग में उपलब्ध बच	तों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into	account the sa	avings available	e in the s	same section of the
जाता है।		<b>.</b>		-		tary is sought.		
(ख) भारतीय डाक भुग	ातान बैंक में पृंजी वि	नेवेश के रूप में ₹ 150 करोड़ मुहैया कराना।	(b)				ent in In	dia Post Payments
			. ,					•

Bank. Taking into account savings available within the grant, a

technical supplementary for ₹ 46.86 crore is sought.

This will not entail cash outgo.

अनुदान में उपलब्ध बचतों को देखते हुए ₹ 46.86 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान

मांगा जाता है।

इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

# दूरसंचार विभाग

## **DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				<i>(₹ कर⊺</i> .	ਭ ) <u>(In</u> ₹ croi
		<i>भारित</i>	स्वीकृत		<b>জী</b> র
		Charged	Voted		Total
पूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
तस्व -	Revenue		33052.53		33052.53
ì	Capital		5002.75		5002.75
5	Total		38055.28		38055.28
क अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
म्ब	Revenue	78.82			78.82
	Capital		751.00		751.00
•	Total	78.82	751.00		829.82
समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्व	Revenue		0.01		0.01
†	Capital		0.01		0.01
•	Total		0.02		0.02
(मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>78.82</i>	38806.30		38885.12
स्व	Revenue	<i>78.82</i>	33052.54		33131.36
•	Capital		5753.76		5753.76
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the		ead		
	,	भारित	स्वीकृत		সৌর
		Charged	Voted		Total
स्व भाग	REVENUE SECTION	•			
शीर्ष	MAJOR HEAD				
5-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services		0.01	( <b>कa</b> )	0.01
ी भाग	CAPITAL SECTION			, ,	
र शीर्ष	MAJOR HEAD				
′5-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services		0.01	(खb)	0.01
(पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.02	( /	0.02
· · ·	( ),				
रक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं	The supplementary	Grants are require	d for:		
भारत संचार निगम लिमिटेड	से बकाया ₹ 983.18 करोड़ ऋण की माफी और (a) waiv	ver of interest of	₹ 427.68 crore	e and wi	rite-off of loai
₹ 427.68 करोड़ ब्याज की		3.18 crore outstand	ding against Bha	arat Sano	har Nigam Lin
चानका मानका बनमें ने ना	प्रस्त नोगी अन् गांकेनिक एउक अनुराज गांगा जाना 💮 🔥 t	hic will be matched	by oquivalent c	avinas av	cilabla in tha c

उपलब्ध समतुल्य बचतों के बराबर होगी, अत: सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए ₹ 2500 करोड़ जो रक्षा (b) (ख) सेवाओं के लिए आप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क पर क्या को वित्तपीषित करेगा। चूंकि यह अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचतों के समतुल्य वचतों के बराबर होगी, अत: सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

As this will be matched by equivalent savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought;

> for transfer of ₹ 2500 crore to Central Road and Infrastructure Fund, which will finance the expenditure on Optical Fibre Cable based network for Defence Services. As this will be matched by equivalent savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO 15 उ**पभोक्ता मामले विभाग**

#### **DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				ोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1755.93	1755.93
पूंजी	Capital		48.59	48.59
जोड़	Total	•••	1804.52	1804.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital	•••	***	
जोड़	Total	•••	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1804.55	1804.55
राजस्व	Revenue		1755.95	1755.95
पूंजी	Capital		48.60	48.60
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जारे	येगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the fol	lowing Major Hea	ıd:	
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'मशीनरी और उपस्कर' के अंतर्गत 'कालांतर में नष्ट' स्कीम के लिए अतिरिक्त व्यय की राशि का निर्गम (**₹** 22.27 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

additional expenditure for Machinery and Equipment under the scheme of Dissemination of Time ( $\ref{22.27}$  crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO 16 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14-15 देखिये)

(See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 14-15 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

uic y	real 2	.010-2019)			<i>भारित</i>	स्वीकृत	<i>(₹ कर</i>	াঁ্ড ) (In ₹ crores) সাঁ্ড
					Charged	Voted		Total
।. मल	अनुदान	<del>7</del> :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	-		Revenue			173735.00		173735.00
पूंजी			Capital		•••	50424.10		50424.10
जोड़			Total			224159.10		224159.10
पुरक	अनुदान.	•	SUPPLEMENTARY GRANT	7:				
राजस्व	-		Revenue		***	1383.41		1383.41
पूंजी			Capital			0.03		0.03
जोड़			Total			1383.44		1383.44
इस सम	ाय आवश	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the a	mount now re	quired:			
राजस्व			Revenue			1864.71		1864.71
पूंजी			Capital			1000.00		1000.00
जोड़			Total			2864.71		2864.71
जोड़ (म	नूल और <b>'</b>	पूरक)	Total (Original plus Supplementa	ary)		228407.25		228407.25
राजस्व	•		Revenue			176983.12		176983.12
पूंजी			Capital			51424.13		51424.13
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नर्ला	खेत मुख्य शीर्षों वे	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
			II. This Supplementary Grants w	ill be accounte				
					भारित	स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
					Charged	Voted		Total
	व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य श	ीर्ष		MAJOR HEAD					
		डारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Wareho	using		1864.71	(कa)	1864.71
पूंजी १	भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य श	ीर्ष		MAJOR HEAD					
4408-	खाद्य भंड	डारण और  भाण्डागारण पर पूंजी	4408-Capital Outlay on Food Sto	rage and	***	1000.00	(खb)	1000.00
परिव्यय	य		Warehousing					
जोड़ (पृ	रूक)		Total (Supplementary)			2864.71		2864.71
ये परक	अनदार्न	निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The curele	mentary Grants are require	d for:		
(क)	(i)		र्गत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी	(a) (i)	food subsidy to Food		India u	nder National Food
(11)	(1)	(₹ 1975.00 करोड़)।		(α) (ι)	Security Act (₹ 1975 cro		iiidia u	nder Hational Food
	(ii)	2017-18 के मौसम के लिए चीनी मिर	तों को सहायता हेतु स्कीम अंतर्गत सब्सिडियां	(ii)	subsidies under the s	•	sistance	to Sugar Mills for
	` '	(₹ 70 करोड़)।	2 29	( '7	2017-18 Season (₹ 70 c			<b>5</b>
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत	ों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1864.71		Taking into account the	,	ble with	in the same section
		करोड़ का नकद व्यय होगा।	9		of the Grant, this will en	-		
(ख)		भारतीय खाद्य निगम की इक्किटी पूंजी गे	में निवेश  (₹ 1000 करोड़)।	(b)	investment in the equ (₹ 1000 crore).	-		

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1000 crore.

इसमें ₹ 1000 करोड़ का नकद व्यय होगा।

#### मांग संख्या DEMAND NO 18

## संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

Deman	ds for Grants for the year	2018-2019 and page 17 of the Second	Supplementary Demands to	r Grants for	•	
			भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़ ) (In ₹ crore</i> <b>जोड़</b>	
			Charged	Voted	Total	
मूल अनु	ादान <sup>.</sup>	I. ORIGINAL GRANT:	onal god	10.00		
्रसम्ब जस्व	34	Revenue		2764.28	2764.28	
जी		Capital		79.04	79.04	
ड़		Total		2843.32	2843.32	
 रक अनुव	रातः	SUPPLEMENTARY GRANT:	•••	20-10.02	2010.02	
ाजस्व जस्व	· · · ·	Revenue		0.04	0.04	
जी		Capital		176.33	176.33	
ोड़		Total		176.37	176.37	
•••	गवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount nov	v required:	170.07	170.07	
जस्व	and the transfer of the second	Revenue	•	0.02	0.02	
जी		Capital		0.02		
ोड़		Total		0.02	0.02	
	<b>और पूरक</b> )	Total (Original plus Supplementary)		3019.71	3019.71	
ाञ (शूरा प जस्व	X (11)	Revenue	***	2764.34	2764.34	
जी		Capital		255.37	255.37	
		U. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी		200.07	255.57	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नालाखत मुख्य शा II. This Supplementary Grants will be accou		and		
		II. This Supplementary Grants will be accou	भारित	<sub>स्वी</sub> कृत	<b>जৌ</b> ड़	
			Charged	Voted	Total	
ाजस्व भ	<i>ग</i> ग	REVENUE SECTION	o, iai god	10.04	10141	
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
	। और संस्कृति	2205-Art and Culture		0.01	( <b>कa</b> ) 0.01	
552-पूर्वो <sup>ः</sup>	-	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01	
ोड़ (राजस्		Total (Revenue Section)	•••	0.02	0.02	
·	NO 00 1 10 1					
., .	दानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		e supplementary Grants are required			
<b>Б</b> )		ोम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.25 (a)	**			
	, , , , ,	ं को सहायता (₹ 5.45 करोड़) और (2) शताब्दियां	(₹ 1.25 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under t scheme (1) Support to Museums (₹ 5.45 crore) and (2) Centena and Anniversary Celebration (₹ 15 crore)			
		रोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के				
	लिए अनुदान।					
	अनुदान के इसी भाग में उपलब् जाता है।	ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा	Taking into account the s	•	e in the same section of	
	તાલા છા		Grant, a token supplemer	ntary is sought.		

Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Centenary

Taking into account the savings available in the same section of the

and Anniversary Celebration (₹ 21.09 crore)

Grant, a token supplementary is sought.

शताब्दियां और वर्षगांठ समारोह स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के

अनुदान् के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा

लिए अनुदान (₹ 21.09 करोड़)।

(ख)

## रक्षा मंत्रालय (विविध)

## MINISTRY OF DEFENCE (MISC.)

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22-23 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये ) (See page 22-23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

,	,	भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i> <b>जोड़</b>
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व . ०	Revenue	0.76	28457.28	28458.04
पूंजी	Capital	35.00	6616.73	6651.73
जोड़	Total	<i>35.76</i>	35074.01	35109.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		1057.84	1057.84
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	1057.84	1057.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital	2.16	0.03	2.19
जोड़	Total	2.16	0.05	2.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	37.92	36131.90	36169.82
राजस्व	Revenue	0.76	29515.14	29515.90
पूंजी	Capital	<i>37.16</i>	6616.76	6653.92
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ' II. This Supplementary Grants/Appropriations will be ad		owing Major Heads: स्वीकृत Voted	সৌর Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	J		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	***	0.01	( <b>कa</b> ) 0.01
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पुंजी परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	<i>2.16</i> (ग	(c) 0.01	(घd) 2.17
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		0.01	(ਫe) 0.01
6858-अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industries		0.01	(चा) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	2.16	0.03	2.19
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	2.16	0.05	2.21
		.,		
	<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements adjusted in reduction of expenditure.	do not take into account th	ie recoveries shown b	pelow, which are
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		(-)1080.00	(-)1080.00

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

ह) व्यापक पेंशन पैकेज संबंधी रक्षा लेखा विभाग (₹ 20 करोड़), रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत कैंट बोर्ड में स्वच्छता कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन (₹ 10 करोड़) और सीमा सड़क संगठन का स्थापना संबंधी व्यय (₹ 146 करोड़) का अतरिक्त व्यय पूरा

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) आपूर्ति और सामग्री (₹ 70 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹ 178.90 करोड़) तथा व्यय के स्थापना संबंधी शीर्षों के अतंर्गत अपेक्षित ₹ 300 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

meeting additional expenditure of Defence Accounts Department on comprehensive pension package (₹ 20 crore), implementation of Swachhta Action Plan in Cantonment Boards under Defence Estate Organisation (₹ 10 crore) and establishment related expenditure (₹ 146 crore) of Border Roads Organisation;

Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

additional expenditure of ₹ 300 crore required under supplies and materials(₹ 70 crore), minor works(₹ 178.90 crore) and establishment related heads of expenditure;

(c)

(d)

(e)

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ग)	पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में भूमि अधिग्रहण के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न   प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए ।
	अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
(घ)	तट रक्षक संगठन के लिए पानी के जहाज, हवाई जहाज और नौसेना बेड़ों की खरीद
	के लिए ₹ 40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ড)	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को ₹ 1,080 करोड़ की अतिरिक्त राशि का
. ,	अंतरण।

- अतरण। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (च) अपनी बकाया देयताओं का निपटान करने के लिए मैसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
  - को ₹ 169 करोड़ का ऋण प्रदान करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting charged expenditure arising out of court orders for land acquisition in Port Blair, Andaman and Nicobar Islands.
- Taking into account the surrender of savings available in the voted section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- meeting additional expenditure of ₹ 40 crore towards acquisition of Ships, Aircrafts and Fleets for Coast Guard Organisation.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- transferring an additional amount of ₹ 1,080 crore to Central Road and Infrastructure Fund;
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- providing a loan of ₹ 169 crore to M/s. Hindustan Shipyard Limited for discharging its outstanding liabilities.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### रक्षा सेवा (राजस्व)

## **DEFENCE SERVICES (REVENUE)**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये ) (See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 18 of the Second

Supplem	entary Demands for G	rants for the year 2018-2019)					
			भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) <b>जोड़</b>		
			Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदा	ान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue	107.46	205018.34	205125.80		
पूंजी		Capital					
जोड़		Total	107.46	205018.34	205125.80		
पूरक अनुदान	<del>7</del> :	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue		1400.00	1400.00		
पूंजी		Capital					
जोड़		Total		1400.00	1400.00		
इस समय आव	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व		Revenue		1403.97	1403.97		
पूंजी		Capital	***				
जोड़		Total	•••	1403.97	1403.97		
जोड़ (मूल और	: पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>107.46</i>	207822.31	207929.77		
राजस्व		Revenue	<i>107.46</i>	207822.31	207929.77		
पूंजी		Capital			•••		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grants will be accounted for un		Head			
			भारित	स्वीकृत	সৌর		
			Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	•	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2076-रक्षा से	वाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army		1058.21	( <b>कa</b> ) 1058.21		
2077-रक्षा से	वाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy		144.17	(खb) 144.17		
2080-रक्षा से	वाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development		201.59	(πc) 201.59		
जोड़ (राजस्व	भाग)	Total (Revenue Section)	•••	1403.97	1403.97		
में परक अस्तर	नें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं	The constant	01				
., .			nentary Grants are requ		2 106 20 grans for coloring		
(ক)		0.50 करोड़), जवाहर पर्वतारोहण सस्थान (₹ 5.29    (a) हण एवं संबद्घ क्रीड़ा संस्थान (₹ 1.06 करोड़) को			2,196.39 crore for salaries		
	. , ,	हण एवं सबद्ध क्राइं। संस्थान (₹ 1.06 कराइ) का इलिए प्रावधान सहित वेतन (₹ 1156.46 करोड़),		•	crore), inspection (₹ 42.76		
		राबर प्रावधार साहत बसरा (र 1130.46 करोड़), रीक्षण (₹ 42.76 करोड़), भंडार (₹ 431.33 करोड़)	crore), stores (₹ 431.33 crore) and other expenditure(₹ 165.84 crore) including provision for additional grants in aid to Nehru				
		के लिए ₹ 2196.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा			crore), Jawahar Institute of		
	करने के लिए।	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			and National Institute of		
	***************************************		Mountaineering and A	,			
	अनदान के इसी भाग में उपल	ब्ध बचत को देखते हुए, ₹ 1058.21 करोड़ की शेष	•	. ,	able in the same section of the		
		मांगा जाता है। अनुदान के भारित भाग के अंतर्गत	•	•	amount of ₹ 1,058.21 crore is		
		देखते हुए, इसमें ₹ 1049.15 करोड़ का नकद व्यय			₹ 9.06 crore under charged		
	होगा।			•	,049.15 crore as cash outgo;		

वेतन (₹ 302.26 करोड़), परिवहन (₹ 5 करोड़), मरम्मत और पुनर्सज्जा (₹ 250 करोड़), भंडार (₹ 235 करोड़), संयुक्त स्टाफ (₹ 51.01 करोड़) तथा अन्य व्यय (₹ 80.02 करोड़) के अंतर्गत ₹ 923.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, ₹ 144.17 करोड़ का पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।

सिविल कार्मिकों के वेतन और भत्तों (₹ 101.79 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 60 करोड़) (ग) तथा अन्य व्यय (₹ 39.80 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

(ख)

meeting additional expenditure of ₹ 923.29 crore under salaries (₹ 302.26 crore), transportation (₹ 5 crore), repairs and refits (₹ 250 crore), stores (₹ 235 crore), Joint Staff (₹ 51.01 crore) and other

Taking into account savings available in same section of the grant, supplementary for  $\overline{\mathbf{t}}$  144.17 crore is sought. This will entail cash

meeting additional expenditure under pay and allowances of civilian staff (₹ 101.79 crore), works (₹ 60 crore) and other expenditure (₹ 39.80 crore);

This will entail cash outgo.

expenditure(₹ 80.02 crore);

## मांग संख्या DEMAND NO 21 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ ₹	करोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue			***
पूंजी	Capital	84.35	93897.78	93982.13
जोड़	Total	<i>84.35</i>	93897.78	93982.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			***
पूंजी	Capital	97.42	***	97.42
जोड़	Total	97.42	•••	97.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>181.77</i>	93897.78	94079.55
राजस्व	Revenue		•••	
पूंजी	Capital	<i>181.77</i>	93897.78	94079.55
	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted	for under the followi	ng Major Head:	
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	97.42		97.42

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वायु सेना (₹ 16.82 करोड़), आयुध निर्माणियों की मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.50 करोड़), निरीक्षण कार्य (₹ 0.10 करोड़) और अनुसंधान और विकास हेतु निर्माण कार्य (₹ 80 करोड़) की 'विशेष परियोजना' के अंतर्गत न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न ₹ 97.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure of  $\mathfrak{T}$  97.42 crore arising out of court orders under 'Special Project' of Air Force ( $\mathfrak{T}$  16.82 crore), Machinery and Equipment of Ordnance Factories ( $\mathfrak{T}$  0.50 crore), 'works' of inspection ( $\mathfrak{T}$  0.10 crore) and works for Research and Development ( $\mathfrak{T}$  80 crore);

Taking into account the savings available under voted section of this grant, this will not entail cash out go.

## पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

## MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				भारित	स्वीकृत	(₹ क	ररोड़ ) (In ₹ crores) जोड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:		_			
राजस्व		Revenue			22356.60		22356.60
<del>ूं</del> जी		Capital					
<b>नोड़</b>		Total		•••	22356.60		22356.60
पुरक अनुद	रान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
ाजस्व		Revenue			0.03		0.03
जी		Capital					
ोड़		Total			0.03		0.03
स समय अ (रक अनुमा	ावश्यक रकम का न:	Supplementary Estimate of the amount now requ	iired:				
ाजस्व		Revenue			5391.34		5391.34
<del>र्</del> जी		Capital					
गोड़		Total			5391.34		5391.34
नोड़ (मूल अं	गैर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		•••	27747.97		27747.97
ाजस्व		Revenue			27747.97		27747.97
<b>ूं</b> जी		Capital		•••			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अ	अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grants will be accounted f			स्वीकृत		সৌর
				Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION		· ·			
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
•	वालय- आर्थिक	3451-Secretariat-Economic Services			0.01	(कa)	0.01
	पूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation			0.32	(खb)	0.32
2552-पूर्वोत्त	तरक्षेत्र	2552-North Eastern Areas			0.01	(गc)	0.01
	। सरकारों को	3601-Grants-in-aid to State Governments			5391.00	(घd)	5391.00
जोड़ (राजस्य	व भाग)	Total (Revenue Section)		•••	5391.34		5391.34
			ों में नीचे दर्शाई गयी वर	मूलियों को शामिल नह	ो़ं किया गया है जिन्हें	व्यय में से घट	ाकर समायोजित
		किया जाता है !					
		Note: The above estimates of additional requirem	nents do not take ir	nto account the re	coveries shown be	elow, which	n are adjusted
		in reduction of expenditure.					
राजस्व भा		REVENUE SECTION					
	पूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation			(-)0.32		(-)0.32
महायता अन्		3601-Grants-in-aid to State Governments			(-)5391.00		(-)5391.00
जोड़ (राजस्	व भाग)	Total (Revenue Section)		•••	(-)5391.32		(-)5391.32
र्ग पूरक अनुव	दानें निम्न लिखित हेतु अ	पेक्षित हैं	The supplement	ntary Grants are r	equired for:		
क)		तर्गत स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त निधि मुहैया कराना		-	-	under Secre	etariat (₹ 1.44 crore);
	(₹ 1.44 करोड़); अनुदान के इसी अनुदान मांगा जा	भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक ता है।		Taking into account the savings available in the same section of the			
(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पे		ज्जार यजल मिशन योजना के अंतर्गत  निधियन के लिए केन्द्रीय सड़क एवं : को निधि अंतरित करना (₹ 0.32 करोड़);	i (b)	Grant, a token supplementary is sought. (b) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (CR			, ,
	चूंकि राष्ट्रीय ग्राम	का निाय अतारत करना (र 0.02 कराड़), गिण पेयजल मिशन के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना केया जाएगा,अत: उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद राशि खर्च	Ţ Î	the scheme National Rural Drinking Water Mission (₹ 0.32 crore); As the expenditure under the National Rural Drinking Wate Mission will be met from the Central Road and Infrastructure Fund (CRIF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo;			
ग)	**	लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के घटक के रूप में बाह्य रेयोजना के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन मुहैया कराना (₹ 100.00	) 1 (c)	providing addition	wachh Bharat Mis	-	y Aided Project (EAP nin) for North Eastern
	अनुदान के इसी अनुदान मांगा जा	भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक ता है।		Taking into accou Grant, a token su	_		e same section of the

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के अंतर्गत निधियन के लिए केन्द्रीय सड़क एवं (d) अवसंरचना निधि को निधि अंतरित करना (₹ 5391.00 करोड़);

> चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में से पूरा किया जाएगा, अत: उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) for the scheme National Rural Drinking Water Mission (₹ 5391.00 crore);

As the expenditure under the National Rural Drinking Water Mission will be met from the Central Road and Infrastructure Fund (CRIF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 21 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

						(₹ कराॆड़	₹) ( <u>In</u> ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		জ <u>া</u> র
_				Charged	Voted		Total
l. मूल अनुव	रान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व <del>÷ ०</del>		Revenue			1704.28		1704.28
पूंजी <del>-}-</del> -		Capital			100.00		100.00
जोड़		Total		•••	1804.28		1804.28
पूरक अनुदा	न:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue			0.03		0.03
पूंजी ———		Capital			0.02		0.02
जोड़		Total			0.05		0.05
<b>इस समय आ</b> राजस्व	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	nt now requi	rea:	0.00		2.22
राजस्य पूंजी		Revenue		•••	0.02		0.02
<sup>पूजा</sup> <b>जोड़</b>		Capital		•••	0.01		0.01
	<del></del> \	Total		•••	0.03		0.03 1804.36
जोड़ (मूल औ राजस्व	र पूरक)	Total (Original plus Supplementary) Revenue		•••	1804.36 1704.33		1704.33
पूंजी							
पूजा		Capital	0.70		100.03		100.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	•				
		II. This Supplementary Grants will be	accounted for				
				भारित	स्वीकृत		জী <u>র</u> —
	_			Charged	Voted		Total
राजस्व भा	<i>I</i>	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD					
~	विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research			0.01	( <b>कa</b> )	0.01
	वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व	भाग)	Total (Revenue Section)		•••	0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय		5455-Capital Outlay on Meteorology			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			0.03		0.03
में गरक अन्त	ानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		Th				
पार्याजनुद (क)		नाग को एस करने के लिए (i) साधीय प्रवासकार	The supplementary Grants are required for:  (a) Meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid Salaries to				
(41)		निम्नलिखित के लिएअतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, (i) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै स्वायत्त निकाय को वेतन सहायता अनुदान (₹ 4.50		Meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid Salaries to National Institute of Ocean Technology, Chennai (₹ 4.50 crore) (ii)			
	•	प्रौद्योगिकी प्रेक्षणों संसाधन, मॉडलिंग एवं विज्ञान		Grants in aid General			, , , ,
	योजना के तहत सामान्य अनुदान			Technology Observations			
	નાગમાં મંત્રફત તામાં ન ગંતુના	( (6) 4(1) 4(19))		(₹ 18 crore)	resource	Wodeliii	ig and odichocs
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक			Taking into account the say	/ings availab	le in the s	ame section of the
	अनुदान मांगा जाता है।	9.		Grant, a token supplementa	•		
(ख)	सामान्य अनुदान सहायता के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5.86 करोड़) और		(b)	Meeting expenditure towar	-		eral (₹ 5.86 crore)
( )	9	अनुसंधान शिक्षा एवं प्रशिक्षण आउटरीच (रीच आउट) के लिए पूंजी आस्तियों के		and Grants for creation			,
	मुजन के लिए अनुदान (₹ 1.53			Research Education and T		,	,
		ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक		Taking into account the say	ings availab	le in the s	ame section of the
अनुदान मांगा जाता है।				Grant, a token supplementa	ary is sought	:.	
(ग) निम्नलिखित के लिए व्यय को पूरा करने		पूरा करने के लिए (i) वातावरण एवं जलवायु	(c)				& Equipment for
	अनुसंधान- मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली एवं सेवाओं के लिए मशीनरी एवं संयंत्र (₹ 4 करोड़) (ii) कराड़ (महाराष्ट्र) में बोरहोल जिओफिजिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला			Atmosphere & Climate Research - Modelling Observing Systems &			
				Services (₹ 4 crore) (i	ii) Major V	Vorks un	der the scheme
	के लिए सीस्मोलाजिकल एवं ि	के लिए सीस्मोलाजिकल एवं जिओ साइंस (सेज) योजना के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 1.50 करोड़)।		Seismological and Geoscience for Borehole Geophysics Research			
				Laboratory complex at Kara	ad (Maharas	htra) (₹ 1.	50 crore)
		ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक		Taking into account the sav	vings availab	le in the s	ame section of the
	अनुदान मांगा जाता है।			Grant, a token supplementa	ary is sought	i.	

मांग संख्या DEMAND NO 26

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 23 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		_		रोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		5675.00	5675.00
पूंजी	Capital		325.00	325.00
जोड़	Total		6000.00	6000.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	374.84	374.84
पूंजी	Capital		6.17	6.17
जोड़	Total		381.01	381.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		20.91	20.91
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		20.91	20.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6401.92	6401.92
राजस्व	Revenue		6070.75	6070.75
पूंजी	Capital	•••	331.17	331.17
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	गयेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries		20.91	20.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'इलेक्ट्रांनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन (एमएसआईपीएस, इडीएफ एवं कलस्टर विनिर्माण)' के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 40.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 20.91 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

Meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of Promotion of Electronics and Information Technology Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing) (₹ 40 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 20.91 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 27

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

			(₹ क	रोड़ ) (In ₹ crores)
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2594.67	2594.67
पूंजी	Capital	***	88.75	88.75
जोड़	Total		2683.42	2683.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	88.76	88.76
पूंजी	Capital	0.49	0.01	0.50
जोड़	Total	0.49	88.77	89.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.49	2772.20	2772.69
राजस्व	Revenue		2683.44	2683.44
पूंजी	Capital	0.49	88.76	89.25
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3435-पारिस्थितीकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विभिन्न प्रयोजन शीर्षों अर्थात घरेलू यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाएं और सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत नई स्कीम 'प्रदूषण नियंत्रण' हेत् व्यय पुरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards Control of Pollution under Domestic Travel Expenses, Office Expenses, Other Administrative Expenses, Professional Services, Grants for creation of capital Assets and Grant in aid General (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## आर्थिक कार्य विभाग

#### **DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 28 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				भारित	स्वीकृत	(₹ करों;	ड ) (In ₹ crores) जॊड़
				Charged	Voted		Total
l. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:		J			
राजस्व		Revenue		•••	4871.23		4871.23
<del>र्</del> रूजी		Capital		•••	13458.23		13458.23
जोड़		Total		•••	18329.46		18329.46
पूरक अनुव	रानः	SUPPLEMENTARY GRANT:					
त. राजस्व		Revenue		•••	3.02		3.02
<del></del> र्गी		Capital			13478.39		13478.39
नोड़		Total			13481.41		13481.41
हस समय अ	ावश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	ount now requir	red:			
राजस्व		Revenue			0.04		0.04
<u></u> ्रंजी		Capital		***	0.03		0.03
गोड़		Total		•••	0.07		0.07
नोड़ (मूल <b>३</b>	गैर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		•••	31810.94		31810.94
ाजस्व		Revenue		•••	4874.29		4874.29
<del></del> ूंजी		Capital		•••	26936.65		26936.65
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will b	-		ead		
		,		<i>भारित</i>	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भ	ाग	REVENUE SECTION		•			
नुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
- 2250-अन्य	सामाजिक सेवाएं	2250-Other Social Services			0.01	(कa)	0.01
3465-साम	ान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading	Institutions	•••	0.01	(खb)	0.01
3475-अन्य	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Serv	rices		0.01	(गc)	0.01
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक		3605-Technical and Economic Co-operation with Other			0.01	(घd)	0.01
सहयोग		Countries					
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		•••	0.04		0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश		5465-Investments in General Finan Institutions	cial and Tradin	g	0.01	(ਫe)	0.01
5466-अंतर	्रिष्टीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International F	inancial Institut	tions	0.01	(चf)	0.01
6416-कृषि	वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	6416-Loans to Agricultural Financia	I Institutions		0.01	(छg)	0.01
जोड़ (पूंजी <sup>'</sup>		Total (Capital Section)		•••	0.03	,	0.03
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			0.07		0.07
•	दानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं			mentary Grants are required f			
(क)		ोडब्ल्यूएफ) को अंतरण (₹ 100  करोड़) तों को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद	(a)	Transfer to Senior Citizen  Taking into account the sa  Grant, a token supplement	vings availab	le in the s	
(ख)	^	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि हेतु वित्त मंत्रालय को परामर्शी सेवाओं के लिए परामर्शी फर्म हेतु भुगतान (₹ 1.30 करोड़)		Payment for consultancy fi	Payment for consultancy firm for rendering advisory service Finance for National Investment and Infrastructure Fundament		-
				Ltd. (₹ 1.30 crores).			
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बच	वतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the sa	vings availab	le in the s	same section of the
	जाता है।			Grant, a token supplement	ary is sought		
ग)	व्यावहार्यता अन्तराल निधियन के अंतर्गत अवसरंचना विकास के लिए सहायता		(c)	(i) Assistance for Infrastru	ucture Develo	opment u	ınder Viability Ga
	(₹ 100 करोड़) (ii) सहायता, अनुदान वेतन (₹ 1.03  करोड़) और आर्थिक विकास संस्थान में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.68 करोड़)			Funding (VGF) (₹ 100	crores).	(ii) Gra	nt-in-aid, Salarie
	सस्थान में सामान्य सहायता अनुदान	r ( <b>र</b> 0.68 करोड़)		(₹ 1.03 crore) and Grant-ii	n-aid general	(₹ 0.68 c	crore) in Institute of
				Economic Growth.			
		चत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the sa	vings availab	le in the s	same section of th
	जाता है।			Grant, a token supplement	ary is sought		
घ)		गंशदान (₹ 6.27  करोड़) (ii) ब्याज समकरण	(d)	(i) Contribution to Global	Environment	Facility (	₹ 6.27 crores). (i
	स्कीम के तहत भारतीय निर्यात आय	ात बैंक को भुगतान (₹ 779.58  करोड़)		Payment to Export Impo	rt Bank of Ir	ndia (EX	IM) under Interes
				Equalization Scheme (₹ 77	79.58 crores).		

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(इ)	राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश निधि (₹ 600 करोड़)	(e)	Investment to National Infrastructure and Investment Fund (NIIF)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		(₹ 600 crores).  Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	एआईडीबी के अतिरिक्त शेयर में अभिदान हेतु जीसीआई-VI के अफ्रीकी विकास बैंक के लिए अभिदान (₹ 7.08  करोड़)	(f)	Subscription to African Development Bank (AfDB) of GCI-VI to subscribe additional shares of AIDB (₹ 7.08 crores).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ন্ত্র)	रियायती साझेदार ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (₹ 48.69 करोड़)	(g)	International Fund for Agricultural Development (IFAD) for Concessional Partner Loan (CPL) (₹ 48.69 crores).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 31

#### वित्तीय सेवा विभाग

#### **DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				करोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1739.05	1739.05
पूंजी	Capital	***	69838.01	69838.01
जोड़	Total		71577.06	71577.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.10	0.03	0.13
पूंजी	Capital		41020.02	41020.02
जोड़	Total	0.10	41020.05	41020.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		4500.00	4500.00
जोड़	Total		4500.00	4500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.10	117097.11	117097.21
राजस्व	Revenue	0.10	1739.08	1739.18
पूंजी	Capital		115358.03	115358.03
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under th	e following Major I	Head:	
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
_		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals		4500.00	4500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: पूर्नपूंजीकरण बंध पत्रों को निर्गम करने के जरिए एक्जिम बैंक में पूंजी लगाना (₹ 4500 करोड़)

इक्जिम बैंक को प्रतिभृतियों के जारी होने पर अतिरिक्त पावतियों को देखते हुए इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

capital infusion in EXIM Bank through issuance of recapitalization bonds (₹ 4500 crore)

After taking into account the additional receipts on issue of securities to the EXIM Bank, this supplementary will not entail cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 34

#### प्रत्यक्ष कर

#### **DIRECT TAXES**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 35 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

					(₹ क	रोड़ ) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत	<b>জী</b> র
				Charged	Voted	Total
<i>l. मूल अनुदा</i> र	न:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व		Revenue			6728.00	6728.00
पूंजी		Capital			254.00	254.00
जोड़		Total		•••	6982.00	6982.00
पूरक अनुदान	?	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व		Revenue			100.00	100.00
पूंजी		Capital			0.04	0.04
जोड़		Total			100.04	100.04
इस समय आवश	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	unt now required:			
राजस्व		Revenue			299.96	299.96
पूंजी		Capital				
जोड़		Total		•••	299.96	299.96
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		•••	7382.00	7382.00
राजस्व		Revenue			7127.96	7127.96
पूंजी		Capital			254.04	254.04
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grants will be	accounted for under the fo	ollowing Major He	ead	
				भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
				Charged	Voted	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2020-आय और	र व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income	and Expenditure		289.96 (व	a) 289.96
2031-संपत्ति व	न्रों, प्रतिभूति संबंधी संव्यवहार करों	2031-Collection of Taxes on Wealth,	Securities Transaction		10.00 (ভ	rb) 10.00
तथा अन्य करों	का संग्रहण	Tax and Other Taxes				
जोड़ (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)			299.96	299.96
ये परक अनदाने	निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The supplementary Grants	are required for:		
( <b>क</b> )		00 200 20 00				stablishment related
(11)	लिए ( <b>₹</b> 299.96 करोड़)।		` '		echnology (₹ 299.	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 1(	) करोड़ बचतों के उपयोग को ध्यान में रखते	Taking into	account after	utilizing the say	rings of ₹ 10 crore
	हुए, इसमें ₹ 289.96  करोड़ का नकद	व्यय होगा।	available wit	thin the same sec	ction of the Grant	this will entail a cash
			outgo of ₹ 28	89.96 crore).		
(ख)	संपत्ति, प्रतिभूतियों, लेनदेन कर त	तथा अन्य करों पर अंतर लेखा अंतरण	(b) inter Accour	nt transfer on We	ealth, Securities,	Transaction Tax and
	(₹ 10 करोड़)		Other Taxes	s (₹ 10 crore)		
	इसमें नकद व्यय होगा।		The above e	expenditure will e	ntail a cash outgo	):

#### मांग संख्या DEMAND NO 35

#### अप्रत्यक्ष कर

#### **INDIRECT TAXES**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 36 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़	ह ) (In ₹ crore जॊड़
				Charged	Voted		Total
मूल अनु	ह्वान:	I. ORIGINAL GRANT:					
जस्व		Revenue		0.50	7418.00		7418.50
जी		Capital			407.00		407.00
इ		Total		0.50	7825.00		7825.50
रक अनु	दान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
जस्व ँ		Revenue			0.02		0.02
नी		Capital			0.01		0.01
ड़		Total		•••	0.03		0.03
त समय अ	गवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amou	nt now requi	ired:			
जस्व		Revenue		···			
नी		Capital			0.02		0.02
इ		Total		···	0.02		0.02
ड़ (मूल व	<b>और पूरक</b> )	Total (Original plus Supplementary)		0.50	7825.05		7825.55
जस्व		Revenue		0.50	7418.02		7418.52
ft		Capital			407.03		407.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be	accounted for	or under the following Major He	ad		
				भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
				Charged	Voted		Total
जी भाग	-	CAPITAL SECTION					
<b>ज्य शीर्ष</b>		MAJOR HEAD					
)59-लोक	जिर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय जिस्तालिक स्वाप्तिक स	4059-Capital Outlay on Public Works			0.01	(कa)	0.01
216-आव	ास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing			0.01	(खb)	0.01
ड़ (पूंजी	भाग)	Total (Capital Section)			0.02		0.02
परक अन	दानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The sunn	lementary Grants are required	for:		
<ul> <li>(क) जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, जिला रायगढ़, मुंबई में कार्यालय</li> </ul>		(a)	pre-construction enablin		ffice huild	ling at lawaha	
,	भवन के लिए निर्माण पूर्व समर्थ		(α)	Nehru Customs House,	-		-
	वना वरावद्रावमान रूप वर्षण	m m ( 0.71 m/s)		(₹ 0.41 crore).	i iliava Oliev	u, Distt.	raigau, iviuii
	अनदान के दसी भाग में उपल	ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa	avinas availahl	e in the s	ame section of
	अनुदान मांगा जाता है।	च्या चनता नत उनान न रखत हुए, ताकातक पूर्वा		Grant, a token supplemen	-		arric scellori or
Γ)	9	ासों का निर्माण  (₹ 30  करोड़)	(b)	construction of residential			ılhi (₹ 30 crore)
')	द्वारका, १५००। च । रहायशा जाप	101 101 101 (C 30 1019)	(D)		quarters at Di	waika, De	(1 30 01016)

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

अनुदान मांगा जाता है।

#### मांग संख्या DEMAND NO 36 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				रोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	160.53	4453.59	4614.12
पूंजी	Capital		16.00	16.00
जोड़	Total	160.53	4469.59	4630.12
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	6.76	189.13	195.89
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	6.76	189.13	195.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		25.55	25.55
जोड़	Total		25.55	25.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>167.29</i>	4684.27	4851.56
राजस्व	Revenue	167.29	4642.72	4810.01
पूंजी	Capital		41.55	41.55
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत f	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	ler the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
_		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		25.55	25.55

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ानाशाखरा हुए जानारा हु. आईए एंड एएस आधिकारियों के लिए मुंबई में 3 आवासीय फ्लैटों की खरीद पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए । इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on account of purchase of 3 residential flats at Mumbai for IA&AS Officers.

The above expenditure will entail cash outgo.

#### संख्या NO. 37 (विनियोग)(APPROPRIATION)

#### ब्याज अदायगियां INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित	<i>(</i> स्वीकृत	₹ करोड़ ) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted	Total
।.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	590794.95		590794.95
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	590794.95	•••	590794.95
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	•••		***
पूंजी	Capital			***
जोड़	Total			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	9196.65		9196.65
पूंजी	Capital			***
जोड़	Total	9196.65		9196.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	599991.60		599991.60
राजस्व	Revenue	599991.60		599991.60
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	· दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted	d for under the following Major	r Head:	
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2049-ब्याज भुगतान	2049-Interest Payments	9196.65		9196.65

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार ऋण, रोकड़, प्रबंधन बिलों पर छूट, क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र, 14/182 दिन टी बिल, 364 दिनों पर छूट, टी बिल्स, अग्रिमों के उपाय एवं तरीके पूर्नपूंजीकरण बंध पत्रों पर व्याज, वाह्य ऋण पर व्याज, लघु बचत जमा पर व्याज, प्रमाण पत्र और परिचालन व्यय, आरिक्षित निधि पर व्याज और अन्यों पर व्याज के लिए व्याज के भुगतान के कारण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 13420.41 करोड़)

विनियोग में ही उपलब्ध समतुल्य बचतों का उपयोग करने के बाद इसको देखते हुए उपरोक्त में ₹ 9196.65 करोड़ नगद व्यय होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

additional requirement on account of Interest payment for Market Loans, Discount on Cash Management Bills, Compensation and Other Bonds, 14 / 182 days T Bills, Discount on 364 days T. Bills, Ways and Means Advances, Interest on Recapitalization Bonds, Interest on External Debt, Interest on small savings deposits, certificates and operational expenses, Interest on Reserve Funds and Interest on Others (₹ 13420.41 crore)

Taking into account, the savings available within the Appropriation, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 9196.65 crore.

## संख्या NO. 38 (विनियोग)(APPROPRIATION)

#### ऋण की वापसी अदायगी REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़ ) (In ₹ cro जोड़
		Charged	Voted	Total
विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
जस्व	Revenue			
जी	Capital	6084973.37		6084973.37
इ	Total	6084973.37		6084973.37
रक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
जस् <b>व</b>	Revenue			
ी ।	Capital			
इ	Total			
समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
जस्व जस्व	Revenue			
ी ।	Capital	106594.12		106594.12
इ	Total	106594.12	•••	106594.12
ड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6191567.49	•••	6191567.49
जस्व	Revenue	•••	•••	•••
ों	Capital	6191567.49		6191567.49
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Appropriations will be accou	nted for under the following	Major Heads:	
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
नी भाग	CAPITAL SECTION			
ज्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
01-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	6001-Internal Debt of Central Government	104709.12	( <b>कa</b> )	104709.12
02-विदेशी ऋण	6002-External Debt	1885.00	(खb)	1885.00
इ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	106594.12	•••	106594.12

बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान 182/364 दिनों वाले टी बिल्स, रोकड़ प्रबंधन बिल्स, (क) अग्रिमों के उपाय एवं तरीके, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र के कारण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए

> विनियोग में ही उपलब्ध ₹ 478717.45 करोड़, की बचतों का उपयोग करने के बाद, इसको देखते हुए ₹ 104709.12 करोड़ धनराशि का पूरक अनुदान मांगा जाता है। अत: इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा, क्योंकि व्यय प्रतिभूतियों की प्राप्तियों से पूरा हो जाएगा।

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण बाह्य ऋण के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (ख) (₹ 1885 करोड़)।

व्यय के बराबर प्राप्तियों के कारण, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

additional requirement on account of repayment of Market Loans, 182 / 364 Days T. Bills, Cash Management Bills, Ways and Means Advances, Securities issued to International Financial Institutions,

Compensation and Other Bonds (₹ 583426.57 crore).

Taking into account savings of ₹ 478717.45 crore within the Appropriation, an amount of ₹ 104709.12 crore is sought. This will not entail any cash outgo as expenditure will be matched by receipts of securities.

additional requirement on account of External Debt due to exchange rate fluctuation (₹ 1885 crore).

Taking into account the expenditure matched by receipts, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 40 राज्यों को अंतरण TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			_ <i>(₹</i> करोड़ ) (In ₹ crore		
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	109373.50	32500.00	141873.50	
पूंजी	Capital	20100.00		20100.00	
जोड़	Total	129473.50	32500.00	161973.50	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital	***	***		
जोड़	Total		•••		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital	3800.84		3800.84	
जोड़	Total	3800.84		3800.84	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	133274.34	32500.00	165774.34	
राजस्व	Revenue	109373.50	32500.00	141873.50	
पूंजी	Capital	23900.84	•••	23900.84	
	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accoun	ted for under the following	ng Major Head:		
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	3800.84	***	3800.84	

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए 'अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन मुहैया कराना (₹ 3800.84 करोड़);

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

providing additional allocation under the scheme 'Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block Loans)' (₹ 3800.84 crore):

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## मांग संख्या DEMAND NO 42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32-33 देखिये और वर्ष

the year 2018-2019)

2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 39-41 देखिये) (See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 32-33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 39-41 of the Second Supplementary Demands for Grants for

		भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करॊड़ ) (In ₹ cı</i> <b>जॊड़</b>
		Charged	Voted	Total
ग्रज्ञ शजनाजः	I. ORIGINAL GRANT:	Chargeu	voied	iotai
<b>मूल अनुदान:</b> जस्व			74240.45	74040.45
ì. Ì	Revenue		74349.45	74349.45
· 5	Capital		2720.40	2720.40
	Total	•••	77069.85	77069.85
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
जस्व ०	Revenue	***	1031.11	1031.11
नी	Capital	•••	40.03	40.03
इ	Total	•••	1071.14	1071.14
त समय आवश्यक रकम का पूरक ——	Supplementary Estimate of the amount now required:			
तुमान: चर्च	B		2212.52	2012.50
जस्व -	Revenue	•••	2916.52	2916.52
मी <b>∽</b>	Capital		1974.90	1974.90
<u>,</u>	Total	•••	4891.42	4891.42
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	83032.41	83032.41
जस्व	Revenue	•••	78297.08	78297.08
जी	Capital	•••	4735.33	4735.33
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		ad	
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION	<b>g</b>		
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
			0704.05	(T-) 0704.0F
210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 211-परिवार कल्याण	2210-Medical and Public Health		2734.35	(年a) 2734.35
	2211-Family Welfare		0.01	(खb) 0.01
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	•••	63.15	(गc) 63.15
601-राज्य सरकारों को सहायता नुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		119.00	(घd) 119.00
602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ो सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(ਵe) 0.01
ोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	2916.52	2916.52
्जी भाग	CAPITAL SECTION			
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य र पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		1922.90	(चf) 1922.90
216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		2.00	(ন্তg) 2.00
552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी रिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		50.00	(जh) 50.00
ोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	•••	1974.90	1974.90
ोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		4891.42	4891.42
		•		
ाजस्व भाग	adjusted in reduction of expenditure.			
79 र न नान 210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	REVENUE SECTION		( )10E0 OF	/ \4050.05
ंजी भाग	2210-Medical and Public Health  CAPITAL SECTION	***	(-)1859.25	(-)1859.25
210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य र पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		(-)1922.90	(-)1922.90
216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		(-)2.00	(-)2.00
552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी रिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		(-)50.00	(-)50.00
<u> </u>	Total (Canital Castian)		(-)1974.90	(-)1974.90
ोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	•••	(-)1374.30	(-) 1374.30

ये परक अनदानें निम्न लिखित हेत अपेक्षित हैं

(ख)

(i) 1. आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोगय योजना (पीएमजेएवाई)-(₹ 515.00 करोड़), 2. एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी असुपताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन (₹ 25.00 करोड़), 3. राषट्रीय नशामक्ति कार्यक्रम-एम्स, नई दिलली में नशामक्ति केन्द्र (₹ 2.25 करोड़), एम्स, नई दिल्ली के अंतर्गत औषधि उपचार क्लीनिक (₹ 0.75 करोड़), 4. जिपमेर, पुड्डुचेरी (₹ 3.40 करोड़), 5. वल्लभभाई चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय (₹ 4.60 करोड़), 6. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (₹ 15.00 करोड़), 7. नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र (₹ 0.06 करोड़), 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (मुख्यालय- ₹ 0.01 करोड़), 9. राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण एवं दृष्टि बाधित कार्यक्रम (₹ 7.00 करोड़), 10. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की सथापना और राजय सरकार असपतालों का उननयन), (केनद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (₹ 664.40 करोड़), सकीमों के अंतर्गत सामानय सहायता अनदान. (ii) 1. भारतीय खाद्य सरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (₹ 120.00 करोड़). 2. राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (₹ 35.85 करोड़), 3. राष्ट्रीय नशामुक्ति कार्यक्रम-एम्स, नई दिल्ली में नशामुक्ति केन्द्र (₹ 0.50 करोड़), 4. एआईआईएसएच, मैसूर (₹ 3.61 करोड़), 5. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन), (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (₹ 395.00 करोड़), सकीमों के अंतर्गत पुंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान, (iii) 1. एम्स, नई दिल्ली (₹ 190.77 करोड़), जिपमेर, पुड्डुचेरी (₹ 10.00 करोड़), 3. निमहांस, बंगलूरू (₹ 29.33 करोड़), 4. लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 10.00 करोड़), 5. राष्ट्रीय नशामुक्ति कार्यक्रम-एम्स, नई दिल्ली में नशामुक्ति केन्द्र (₹ 2.00 करोड़), निमहांस, बंगलूरू में नशामक्ति केन्द्र (₹ 0.75 करोड़), 6. प्रधानमंत्री सवासथय सुरक्षा योजना (एमस की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन), (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (₹ 650.00 करोड़), सकीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान, (iv) स्थापना संबंधी वयय प्रयोजन शीर्ष : 1. राषट्रीय सवास्थय प्राधिकरण (मुखयालय) (₹ 0.11 करोड़, वेतन ₹ 0.01 करोड़, चिकितसा इलाज ₹ 0.01 करोड़, घरेल यात्रा वयय ₹ 0.01 करोड़, विदेश यात्रा व्यय ₹ 0.01 करोड़, कार्यालय व्यय ₹ 0.01 करोड़, आरआरटी ₹ 0.01 करोड़, प्रकाशन ₹ 0.01 करोड़, अन्य प्रशासनिक व्यय ₹ 0.01 करोड़, विज्ञापन और प्रचार ₹ 0.01 करोड़, व्यावसायिक सेवाएं ₹ 0.01 करोड़, अन्य प्रभार ₹ 0.01 करोड़), 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (स्वच्छता कार्रवाई योजना) (₹ - 0.1 करोड़, कार्यालय व्यय ₹ 0.01 करोड़) 3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (सुचना प्रौद्योगिकी) ₹ 0.01 करोड़, कार्यालय वयय ₹ 0.01 करोड़, 4. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन), (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) ₹ 140.00 करोड़, (वेतन ₹ 1.00 करोड़, एमटी ₹ 0.10 करोड़, डीटीई ₹ 0.50 करोड़, ओई ₹ 1.89 करोड़, ओएई ₹ 1.50 करोड़, पीएस ₹ 130.00 करोड़, ओसी ₹ 5.71 करोड़), (v) अंतर लेखा अंतरण 1. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी असुपताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹ 1850.10 करोड़), 2. अंतर लेखा अंतरण- पीजीआईएमईआर, चंड़ीगढ़ (एनआईएफ से सहायता) के संबंध में राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) (₹ 9.15 करोड़), (vi) अनुय प्रभार - नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)।

पूंजीभाग में उपलब्ध ₹ 256 करोड़ की बचतों और राजस्व भाग में ₹ 100.92 करोड़ के समतलय अभयर्पण तथा केनद्रीय सड़क अवसंरचना निधि में ₹ 1850.10 करोड़ की वसूली और राष्ट्रीय निवेश निधि में ₹ 9.15 करोड़ की समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 619.10 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

निम्नलिखित संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (i) जनसंख्या स्थिरता कोष (₹ 5.03 करोड़), (ii) अन्य प्रभार- 1. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 2. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण –एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 3. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 4. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल-एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants in aid General under the scheme 1.Ayushman Bharat -Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY) - (₹ 515.00 Crore), 2. Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (₹ 25.00 crore), 3 National Drug Deaddiction Programme - Drug Deaddiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 2.25 crore.), Drug Treatment Clinic under AIIMS, New Delhi (₹ 0.75 Crore), 4. JIPMER, Puduchery (₹ 3.40 Crore), 5. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi, University, Delhi (₹ 4.60 Crore), 6. Food Safety & Standards Authority of India (₹ 15.00 crores), 7. New Delhi TB Centre (₹ 0.06 Crore), 8. National Health Authority (Headquarter) -(₹ 0.01 Crore), 9. National Programme for Control of Blindness & Visual Impairment (₹ 7.00 crore) and 10. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Central Roads & Infrastructure Fund (CRIF) ₹ 664.40 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme:- 1. Food Safety & Standards Authority of India (₹ 120.00 crore), 2. National Programme for Health Care of Elderly (₹ 35.85 crore), 3. National Drug Deaddiction Programme - Drug Deaddiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 0.50 crore), 4. AIISH, Mysore (₹ 3.61 crore) and 5. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitalscum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Support from Central Roads & Infrastructure Fund (CRIF) ₹ 395.00 crore), (iii) Grants in aid Salaries under the scheme:- 1. AIIMS, New Delhi (₹ 190.77 crore), 2. JIPMER, Puduchery (₹ 10.00 crore), 3. NIMHANS, Bengaluru (₹ 29.33 crore), 4. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 10.00 Crore), 5. National Drug Deaddiction Programme -Drug Deaddiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 2.00 crore), Drug Deaddiction Centre at NIMHANS, Bengaluru (₹ 0.75 Crore) and 6. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Central Roads & Infrastructure Fund (CRIF) ₹ 650.00 crore), iv. Establishment related expenditure object heads:- 1. National Health Authority (Headquarter) - ₹ 0.11 Crore. - Sal.-0.01 crore, Med. Treatment -0.01 crore, Domestic Travel Expenses - 0.01 crore), Foreign Travel Expenses - 0.01 crore, Office Expenses - 0.01 crore, RRT - 0.01 crore, Publication - 0.01 crore., Other Admn. Expenses - 0.01 crore., Advertising & Publicity - ₹ 0.01 crore, Prof. Services - 0.01 Crore, Other Charges - 0.01 crore), 2. National Health Authority (Swachhta Action Plan)) - ₹ 0.1 crore - Office Expenses - 0.01 crore), 3.National Health Authority (Inormation Technology) - ₹ 0.01 crore - Office Expenses - 0.01 crore), 4. Pradhan Mantri Swasthva Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Support from CRIF ₹ 140.70 crore (Salaries ₹ 1.00 crore, MT ₹ 0.10 crore, DTE ₹ 0.50 crore, OE ₹ 1.89 crore, OAE ₹ 1.50 crore, PS ₹ 130.00 crore, OC - ₹ 5.71 crore) and (v) Inter Account Transfer 1. Central Roads & Infrastructure Fund (CRIF)(₹ 1850.10 crore) and 2. National Investment Fund (NIF) of ₹ 9.15 crore) and (vi) Other Charges -RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings of ₹ 256 crore available in capital section, matching savings of ₹ 100.92 crore in Revenue Section, and recovery of ₹ 1850.10 crore in CRIF and ₹ 9.15 crore in NIF, this will entail a net cash outgo of ₹ 619.10 crore.

(i) Grants in aid General to Jansankhya Sthirta Kosh (₹ 5.03 crore), (ii) Other Charges to 1. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 0.01 Crore), 2. Health System Strengthening under NRHM -Other Health System for activities under NRHM (GBS)(0.01 crore). 3. Health System Strengtrhening under NRHM - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.01 crore), 4. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health Systems for

फ्लेक्सिबलपूल- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। (iii) स्थापना संबंधी व्यय शीर्ष 1. जनसंख्या स्थिरता कोष (₹ 0.97 करोड़), (डीटीई ₹ 0.02 करोड़, आरआरटी ₹ 0.13 करोड़, ओई ₹ 0.03 करोड़, ओएई ₹ 0.07 करोड़, विज्ञापन और प्रचार ₹ 0.61 करोड़, पीएस ₹ 0.07 करोड़, ओसी ₹ 0.04 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

**(**ग)

(ঘ)

(ड)

(i) निमनलिखित संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान: 1. एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग (₹ 16.95 करोड़), 2. रिपंस, आइजोल (₹ 1.52 करोड़), 3. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अलुपता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीबीएस) (₹ 2.61 करोड़)। 4. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण -एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 5. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 6. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल-एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 7. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण-(₹ 0.01 करोड़)। 9. एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (एनआईएफ से सहायता) (ईएसी) (₹ 0.13 करोड़)। 10. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अलुपता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईएफ) (₹ 8.00 करोड़)। 11. एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अनुय स्वास्थ्य प्रणालियां (एनआईएफ से सहायता) (₹ 0.09 करोड़)। 12. एनयूएचएम के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक सुवासुथ्य देखरेख- एबी-सुवासुथ्य और सुवासुथ्य केनुद्र (एनआईएफ से सहायता) (₹ 0.07 करोड़)। 13. अवसंरचना रखरखाव (₹ 3.17 करोड़)। 14. एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (एनआईएफ से सहायता) (जीबीएस) (₹ 0.05 करोड़)। (ii) निमनलिखित संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिकृत आवश्यकता पूरी करने के लिए पूंजी आस्तियों के सूजन हेत् अनुदान; 1. एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (एनआईएफ से सहायता) (₹ 6.57 करोड़); (ii) निम्नलिखित संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए सहायता अनुदान वेतन; 1. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (₹ 63.15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 63.15 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(i) सामान्य सहायता अनुदान: निम्नलिखित संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. आशा लाभ पैकेज- ₹ 119.00 करोड़। 2. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिसलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीबीएस) (₹ 472.36 करोड़)। 3. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़करण एनआरएचएम के अंतर्गत गोतिधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 4. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल-एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 6. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल-आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में प्रत्याशित ₹ 472.40 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 119.00 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान: 1. ट्रामा सेंटर के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता-चोट और ट्रामा देखरेख (₹ 3.50 करोड़) 2. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 3. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़करण - एनआरएचएम के अंतर्गत गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 4. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल-एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 6. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। (ii) पूंजी आस्तियों के मुजन हेतु अनुदान: निम्नलिखित संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. ट्रामा सेंटर के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता-चोट और ट्रामा देखरेख (₹ 4.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। activities covered underNUHM (GBS(₹ 0.01 crore)) and 5. National Urban Health Mission Flexible Pool - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS (₹ 0.01 crore)) and iii) Establishment Related Expediture Heads under Jansankhya Sthirta Kosh [(₹ 0.97 crore) - DTE 0.02 crore; RRT 0.13 crore, OE 0.03 crore, OAE ₹ 0.07 crore; Advt & Pub. ₹ 0.61 crore, P.S. ₹ 0.07 crore, & O.C. ₹ 0.04 crore)].

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants in aid General under 1. North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences (NEIGRIHMS), Shillong (₹ 16.95 crore), 2. Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl (₹ 1.52 crore), 3. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 2.61 crore) 4. Health System Strengthening under NRHM - Other Health System for activities under NRHM (GBS)(0.01 crore), 5. Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.01 crore), 6. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health Systems for activities covered under NUHM (GBS(₹ 0.01 crore)), 7. National Urban Health Mission Flexible Pool - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres GBS(₹ 0.01 crore)), 8. National Health Authority - ₹ 0.01 crore), 9. Other Health System for activities covered under NUHM (Support from NIF) (EAC) (₹ 0.13 crore), 10. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (NIF) (₹ 8.00 crore), 11. Other Health System for activities covered under NUHM (Support from NIF) (₹ 0.09 crore), 12. Comprehensive Primary Health Care - AB - Health & Wellness Centres under NUHM (Support from NIF) ( $\overline{\mathbf{x}}$  0.07 crore), 13. Infrastructure Maintenance (₹ 3.17 crore), 14. Other Health System for activities covered under NUHM (Support from NIF) (GBS) (₹ 0.05 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets under 1. Other Health System for activities covered under NRHM (Support from NIF) (₹ 6.57 crore) and (ii) Grants in aid Salaries for meeting additional requirement under Regional Institute of Medical Sciences, Imphal -

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 63.15 crore.

Grants-in-aid General:- for meeting additional requirement under 1. Asha Benefit Package (₹ 119.00 crore), 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 472.36 crore), 3. Health System Strengthening under NRHM - Other Health System for activities under NRHM (GBS)(0.01 crore), 4. Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.01 crore), 5. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health Systems for activities covered under NUHM (GBS(₹ 0.01 crore)) and 6. National Urban Health Mission Flexible Pool - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres GBS(₹ 0.01 crore)).

Taking into account the anticipated savings of  $\ref{table}$  472.40 crore in the same section of the grant , a net cash outgo of  $\ref{table}$  119.00 crore is involved.

(i) Grants-in-aid General under 1. Assistance for Capacity Building for Trauma Centres - Injury & Trauma Care (₹ 3.50 crore), 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 0.01 crore), 3. Health System Strengthening under NRHM - Other Health System for activities under NRHM (GBS)(0.01 crore), 4. Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.01 crore), 5. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health Systems for activities covered under NUHM (GBS(₹ 0.01 crore)) and 6. National Urban Health Mission Flexible Pool - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres GBS(₹ 0.01 crore)) and (ii) Grants for creation of Capital Assets for Assistance for Capacity Building for Trauma Centres - Injury & Trauma Care (₹ 4.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(a)

(च) 1. दवाखाना और अस्पतालों की स्थापना (₹ 1.35 करोड़) मोटर वाहन खरीदने के (f) लिए (एम्वुलेंस) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (सीआरआईएफ)-को अंतरखाता अंतरण (₹ 1922.90 करोड़) – (एमएंडई ₹ 612.90 करोड़) और एमडब्ल्यू (₹ 1310.00 करोड़)। 3. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)- ₹ 1922.90 करोड़)।

अनुदान में उपलब्ध ₹ 1922.90 करोड़ के बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(छ) निम्तलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए पूरक अनुदान की आवश्यकता है : प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटीअस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्तयन) (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (सीआरआईएफ) (एमडच्ल्यू ₹ 2.00 करोड़)। 2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्तयन) के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरस्ताला कर राज्य सरकार सिंक्षण से याज स्वास्थित स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना से संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरस्ताल है र करोड़ के बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ज) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता आवश्यकता : (i) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटीअस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्तयन) (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (सीआरआईएफ) (एमडब्ल्यू ₹ 40.00 करोड़ और एमएंडई ₹ 10 करोड़) और (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्तयन) के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतर खाता अंतरण - (₹ 50 करोड़)।

सीआरआईएफ में ₹ 50 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। 1. Setting up of Dispensaries and /Hospitals (₹ 1.35 crore) for procurement of Motor Vehicles (Ambulances), 2. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Support from CRIF- ₹ 1922.90 crore) - (M&E ₹ 612.90 crore & Major Works - ₹ 1310.00 crore) and 3. Inter Account Transfer to CRIF(₹ 1922.90 crore).

Taking into account the matching recoveries of ₹ 1922.90 available in the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outro.

Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(CRIF (Major Works -₹ 2 crore) and Inter Account Transfer to CRIF(₹ 2.00 crore).

Taking into account the matching recoveries of ₹ 2 crore available in the CRIF, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Support from CRIF) (Major Works - ₹ 40 crore, and M&E - ₹ 10 crore) and Inter Account Transfer to CRIF (₹ 50 Crore).

Taking into account the matching recoveries of ₹ 50 crore in CRIF, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 43

## स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

# (केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			भारित	स्वीकृत	(₹ करोंः	ड ) (In ₹ crores जोड़
			Charged	Voted		Total
!. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		<b>3</b>			
ाजस्व	Revenue		•••	3216.00		3216.00
जी	Capital					
ोइ	Total		•••	3216.00		3216.00
(रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
जस्व जस्व	Revenue					
जी	Capital					
तोड़ नोड़	Total			•••		
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	t now required		•••		•••
ाजस्व	Revenue	· ··o··· · · · · · · · · · · · · · · ·	·	0.02		0.02
<del>र</del> ्जी	Capital			0.02		
नोड़	Total			0.02		0.02
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			3216.02		3216.02
(रू रू) ाजस्व	Revenue			3216.02		3216.02
<del>र</del> ्जी	Capital					
	II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ਜ਼ ਅਧਿੰਨ ਤੇ ਅੰਤਰੀ				
	II. This Supplementary Grants will be a			ad		
	ii. This dupplementary Stants will be a	ccounted for a	भारित	,वर्ष स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
			Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		Chargou	70.00		i otai
 ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health			0.01	( <b>कa</b> )	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		•••	0.01	(নa) (खb)	0.01
हे जिल्ला का जाने जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)			0.01	(90)	0.02
॥३ (राजरन नाग)	Total (Neverlue Geodoli)			0.02		0.02
। पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The supplem	entary Grants are required	for:		
	परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान	(a)	(i) Grant in Aid Genera		scheme	Indian Council
	आईसीएमआर के तहत वेतन सहायता अनुदान	(-)	Medical Research (ICMF			
(₹ 40 करोड़)			under ICMR (₹ 40 crore).	, ,	()	
अनुदान के इसी भाग में उपल	ब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the		able in th	e same section
जाता है।			the Grant, a token supple	-		

आईसीएमआर के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(b) Grant in Aid General under ICMR (₹ 18 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 44 भारी उद्योग विभाग DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 42 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) <b>जोड़</b>
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		739.24	739.24
पूंजी	Capital	***	386.49	386.49
जोड़	Total	•••	1125.73	1125.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		150.91	150.91
जोड़	Total	•••	150.92	150.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		10.00	10.00
जोड़	Total	•••	10.01	10.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	1286.66	1286.66
राजस्व	Revenue	•••	739.26	739.26
पूंजी	Capital		547.40	547.40
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखा	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Major He		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	***	0.01	(कa) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4860-Capital Outlay on Consumer Industries		10.00	(खb) 10.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	10.01	10.01
'0\	· / / / /			

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(क) 'ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजना' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 50.00 करोड)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 03.10.2018 के निर्णय के अनुसार पुनरुद्धार और मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नेपा लिमिटेड को जारी भारत सरकार के ऋण का इक्किटी में परिवर्तन (₹ 33.00 करोड़)।
  - (ii) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 03.10.2018 के निर्णय के अनुसार पुनरुद्धार और मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नेपा लिमिटेड में इक्विटी के रूप में निवेश (₹ 16.54 करोड़)।
  - ₹ 33.00 करोड़ का आवश्यक लेखांकन समायोजन करने के लिए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 6.54 करोड़ की बचतों और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 10.00 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- Meeting the additional requirement for 'Grants for creation of Capital Asset' under the scheme "R & D project for Development of Advanced Ultra Super Critical (AUSC) Technology for Thermal Power Plants" (₹ 50.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - (i)Conversion of Gol Loan released in 2018-19 to NEPA Limited for implementation of Revival and Mill Development Plan into equity as per CCEA decision dated 03.10.2018 (₹ 33.00 crore).
  - (ii) Investment as equity in NEPA Limited for implementation of Revival and Mill Development Plan as per CCEA decision dated 03.10.2018 (₹ 16.54 crore).

For carrying out necessary accounting adjustment of ₹ 33.00 crore, a token supplementary is sought. Taking into account the savings of ₹ 6.54 crore available in the same section of the grant, and surrender of savings of ₹ 10.00 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

## मांग संख्या DEMAND NO 45

#### सरकारी उद्यम विभाग

#### **DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित	स्वीकृत	(₹ कराॅड़ ,	) (In ₹ cro সৌৱ
		Charged	Voted		Total
. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:				
ाजस्व ।जस्व	Revenue		20.44		20.44
जी	Capital				
ोड़	Total		20.44		20.44
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
जस्व	Revenue				
जी	Capital				
ोड़	Total				
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जस्व	Revenue		1.00		1.00
जी	Capital				
ोड़	Total	•••	1.00		1.00
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		21.44		21.44
जस्व <b>ः</b>	Revenue		21.44		21.44
जी	Capital				
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	nder the following Major Head	t		
		भारित	स्वीकृत		সৌর
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.50	( <b>कa</b> )	0.50
852-उद्योग	2852-Industries		0.50	(खb)	0.50
ोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1.00		1.00
المعالية الم		atana Oranta ana mani di			
। पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं 		ntary Grants are required for:	i (Ŧ O 50	\	
क) वेतन के तहत अतिरिक्त प्रावधान दूसमें उक्तर काम नोगा।	(₹ 0.50 करोड़) (a)	additional provision under sal	•	,	

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा अन्य संबंधित व्यय (b) (ख) (₹ 0.50 करोड़)

इसमें नकद व्यय होगा।

The above expenditure will entail a cash outgo;

Voluntary Retirement Scheme in CPSEs and other establishment

related expenditure (₹ 0.50 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

#### मांग संख्या DEMAND NO 46

## गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 44-45 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 44-45 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		0-2013 and page 44-43 of the C		भारित	स्वीकृत		ा, (In ₹ crores) जोड़
				Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदा	ान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		0.02	4468.89		4468.91
पूंजी		Capital		***	324.45		324.45
जोड़		Total		0.02	4793.34		4793.36
पूरक अनुदान	<del>7</del> :	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue		8.50	130.95		139.45
पूंजी		Capital			0.01		0.01
जोड़		Total		8.50	130.96		139.46
इस समय आव	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the am	ount now requ	uired:			
राजस्व		Revenue			6.01		6.01
पूंजी		Capital		***	0.01		0.01
जोड़		Total			6.02		6.02
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary	')	8.52	4930.32		4938.84
राजस्व		Revenue		8.52	4605.85		4614.37
पूंजी		Capital		···	324.47		324.47
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will I	be accounted	for under the following Major H	lead		
				भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	-	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2052-सचिवा	लय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	;	***	6.00	( <b>कa</b> )	6.00
2245-प्राकृति	क आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural	Calamities		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व	भाग)	Total (Revenue Section)		···	6.01		6.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4250-अन्य स	ामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social	al Services		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			6.02		6.02
	NO 00 1 10 N						
	नें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं			mentary Grants are required for			
(ক)		केन्द्र की स्थापना के लिए लघु निर्माण कार्य	(a)	Minor Works on account of		of the In	dian Cyber Crime
	(₹ 6 करोड़)।			Coordination Centre (₹ 6 ci	•		
	अनुदान के पूजीगत भाग में उपलब्ध इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं ह	। बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए,		Taking into account the		_	
	इसम काइ आतारक्त नकद व्यय नहा ह	हागा।		Capital Section of the Gra	int, the above	e expendi	ture will not entail
(—)		। योजना बिना विधान मंडल वाले केन्द्रीय क्षेत्रों	4.3	any additional cash outgo;			- "
(ख)		आपदा लचीली अवसंरचना पर सम्मिलित	(b)	Scheme of Other Disaster	•		
	(सीडीआरआई) (₹ 60 करोड़)।			Union Territories without le	•		,
	, , , , ,			Disaster Resilient infrastruc	, ,	•	•
	अनुदान क इसा भाग म उपलब्ध ब अनुदान मांगा जाता है।	चितों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say	-		ame section of the
(ग)	•	ना के अंतर्गत मोटर वाहन (₹ 0.30 करोड़)	(c)	Grant, a token supplement Motor Vehicle under Nat			mmunication Plan
(1)	और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एन	- ,	(6)		-	•	
	जार राष्ट्राय जानका जनुष्मिया बल (एन	जिल्ला २५ में १४ वर्ग १४ वर्ग १४ वर्ग १५०		(₹ 0.30 crore) and Office Response Force(NDRF) (₹	_	TICILIC UI	realional Disaster
	अनदान के दसी भाग में उपलब्ध ह	चितों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say	,	le in the s	ame section of the
	अनुदान मांगा जाता है।	त्या ल जान म रजय हुर, वामविक रूरक		Grant, a token supplement	•		and scotton of the
	3			Craint, a token supplement	ary is sought		

## मांग संख्या DEMAND NO 48

#### पुलिस POLICE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58-59 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37-38 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47-48 देखिये)

(See page 58-59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 37-38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 47-48 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

						(₹ करो	ਫ਼ ) ( <u>In</u> ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत V-4		जोड़ T-4-1
/ गर भारत	<del>-</del>	I OBICINAL CRANT		Charged	Voted		Total
<i>I. <b>मूल अनुदा</b> राजस्</i> व	<b>7.</b>	I. ORIGINAL GRANT:		9.56	77305.24		77314.80
पूंजी		Revenue Capital		9.56 6.10	11057.35		11063.45
्र-'' जोड़		Total		15.66	88362.59		88378.25
पूरक अनुदान	<del>r</del> .	SUPPLEMENTARY GRANT:		70.00	00002.00		00010.20
राजस्व	•	Revenue			2051.66		2051.66
पूंजी		Capital		•••	25.65		25.65
जोड़		Total		•••	2077.31		2077.31
इस समय आवः	त्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount	now required:				
राजस्व	•	Revenue	•	0.01	4611.62		4611.63
पूंजी		Capital		0.12	0.01		0.13
जोड़		Total		0.13	4611.63		4611.76
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		<i>15.79</i>	95051.53		95067.32
राजस्व		Revenue		9.57	83968.52		83978.09
पूंजी		Capital		6.22	11083.01		11089.23
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	प्रशिर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants/Appropria	ations will be a	accounted for under the भारित	following Major He स्वीकृत	ads:	<b>जॊ</b> ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2055-पुलिस		2055-Police		0.01 (	कa) 4611.62	(खb)	4611.63
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4055-पुलिस प	ार पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.12 (	(गc) 0.01	(घd)	0.13
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		<i>0.13</i>	4611.63		4611.76
ने गान भाग	i Du Diba da mboa di		<del>-</del>		. ,		
	ाँ निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं क्रिकेट सम्बद्ध सम्बद्ध (क्र. 0.40 -			mentary Grants/Appropr	-		. Cassial Dastastica
(ক)	अदालती फैसलों के कारण अन्य		(a)	Other Charges on ac Group (₹ 0.10crore)	and ITBP (₹ 0.60 c	rore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध जाता है।	प्र बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account t Grant, a token supple	-		same section of the
(ख)	वेतन (₹ 4611.62 करोड़), न	क्सली प्रबंधन को सहायता के अंतर्गत हेलिकाप्टर	(b)	Salaries (₹ 4611.62	crore), payment	to Air F	orce for helicopter
		हो भुगतान (₹ 188 करोड़), एनसीआर में यातायात		operations under ' As		-	
		सहित अन्य प्रभार (₹ 50 करोड़), विभिन्न संगठनों		Other Charges	_		t of traffic and
		करोड़), शस्त्र एवं बारूद (₹ 35 करोड़) बिना विधान		Communication Ne			
	मडल वाल कंद्र शासित क्षत्रा (₹ 3.57 करोड़)।	के लिए तटीय सुरक्षा - सामान्य सहायता अनुदान		Services of variou			
	(६ ३.३/ कराइ)।			Ammunition(₹ 35 ci legislature - Grants ir	•		•
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध नकद व्यय होगा।	। बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 4611.62 करोड़ .का		Taking into account	the savings availa	ble within	n the same section
(TT)		(₹ 0.10 करोड़) और सीआरपीएफ के लिए मोटर	(a)	of the Grant this will	-		
(ग)	 वाहन (₹ 0.02 करोड़)।		(c)	Office building of N CRPF(₹ 0.02 crore)			
	अनुदान के राजस्व भाग में उप अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	ालब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई		Taking into account Revenue Section of any additional cash of	the Grant, the abo	-	
(ঘ)	सीआरपीएफ, बीएसएफ के वि	नेए रिहायशी भवन निर्माण कार्यक्रम (₹ 395.55	(d)	Residential Building	•	RPF. BS	F (₹ 395.55 crore)
( '/		37 करोड़), राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (₹ 46.40	(-/	and Delhi Police(₹ 1			
	,	के लिए समन्वित पुलिस बेतार निदेशालय (₹ 0.78		crore ), Directorate	**		• ,
	करोड़).	-		Residential Building			•
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध	प्र बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account t	the savings availab	le in the	same section of the
	जाता है।			Grant, a token supple	ementary is sought	:.	

## मांग संख्या DEMAND NO 49 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये ) (See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़	r ) (In ₹ crores) जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	Onargeu	VOIGG		Total
<i>ा. पूरा जापुरागः.</i> राजस्व	Revenue	0.01	3992.99		3993.00
पूंजी	Capital		600.86		600.86
जोड़ जोड़	Total	0.01	4593.85		<b>4593.86</b>
	SUPPLEMENTARY GRANT:	0.07	4000.00		4000.00
<b>पूरक अनुदान:</b> राजस्व			00.00		00.00
पूंजी पूंजी	Revenue	•••	86.00		86.00
<sup>नूजा</sup> जोड़	Capital	•••			
• • •	Total		86.00		86.00
<b>इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:</b> राजस्व	Supplementary Estimate of the amount now required:		106.52		106 E2
पूंजी पूंजी	Revenue	•••	106.53		106.53 0.08
्र <sup>जा</sup> जोड़	Capital <b>Total</b>	•••	0.08 <b>106.61</b>		106.61
		 0.01	4786.46		4786.47
जोड़ (मूल और पूरक) राजस्व	Total (Original plus Supplementary)				
	Revenue	0.01	4185.52		4185.53
पूंजी	Capital	•••	600.94		600.94
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखा				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under				_
		भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	( <b>कa</b> )	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		16.39	(खb)	16.39
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		70.00	(गc)	70.00
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(घd)	0.01
2801-विद्युत	2801-Power		10.00	(डe)	10.00
3052-नौवहन	3052-Shipping		10.00	(चf)	10.00
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport		0.12	(छg)	0.12
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		106.53		106.53
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(जh)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		0.01	(झi)	0.01
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation		0.01	(ञj)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(ਟk)	0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services		0.01	(장)	0.01
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry		0.01	(डm)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	***	0.01	(ढn)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	***	0.01	(ण०)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	•••	0.08		80.0
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		106.61		106.61
में एक अन्दार्ने निम लिखित देन अपेथित हैं	The complementary Con-				

ये पूरक अनुदाने	i निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं	The supplem	nentary Grants are required for:
(क)	निजी स्कूलों को सहायता हेतु लेखा शीर्ष के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु अतिरिक्त अनुदानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.30 करोड़)।	(a)	Meeting the additional grants required for meeting expenditure for GIA-Salaries under head of account towards assistance to private schools (₹ 0.30 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आपूर्ति और सामग्री के अंतर्गत दवाइयों की खरीद हेतु जीएमएसडी को बकाया भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹16.39 करोड़)।	(b)	Meeting the additional requirement for making outstanding payment to GMSD towards purchase of medicine under supplies & materials on Medical & Public Health. (₹ 16.39 crore).
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a Technical Supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत 'स्मार्ट सिटी परियोजना' हेतु नया उपशीर्ष खोलने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने (₹ 10 करोड़) और	(c)	Meeting the additional requirement for opening of new sub head for 'Smart City Project' under 'Grants for Creation of Capital Assets'

(d)

(f)

(g)

(m)

(n)

पोर्टब्लेयर नगरनिगम के कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि पर व्यय को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनदान लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 60 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी पूरके अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। जिला परिषद (₹ 0.40 करोड़) और पंचायत समिति (₹ 0.10 करोड़) के संबंध में (ঘ) वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए आईओसीएल से एचएसडी ऑयल की अधिप्राप्ति हेतु (ड) अतिरिक्त आवश्यकता परी करने के लिए (₹10 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। नए जहाज के अधिष्ठापन एवं जहाज को किराए पर लेना – कोरल क्वीन की वजह से (च) पीओएल की लागत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 10 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान के अंतर्गत जिला परिषद को भुगतान (छ) करने के लिए नया शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.12 करोड)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। (ज) निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। जाता है। (झ) आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.00 करोड़)।

सामान्य प्रशासन (₹7 करोड़) और अन्य विभागों (₹1.00 करोड़) के अंतर्गत जारी (h) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जिला अस्पतालों के उपयोगार्थ मशीनरी और उपस्करों की खरीद की अतिरिक्त (i) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। पाइप लाइनों को बदलने, बिछाने तथा पानी के टंकियों के निर्माण की अतिरिक्त (ञ) आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

'सामान्य पूल आवास' के अंतर्गत आवासीय भवन के निर्माण/नवीकरण पर व्यय को (k) (간) पूरा करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा

35 सुनामी सायरन की अधिप्राप्ति, प्रयोजन शीर्ष - 'मशीनरी और उपस्कर' के (ठ) अंतर्गत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 9.99 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पुरक अनुदान मांगा जाता है।

पशुचिकित्सा भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (ड) (₹ 0.13 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

सचना प्रौद्योगिकी के लिए मशीनरी और उपस्करों की खरीद हेत अतिरिक्त (ढ) .. आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.02 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा

जिला सड़कों (🛮 3 करोड़) के अंतर्गत सड़कों एवं पुलों के निर्माण/नवीकरण, जिला एवं (ण) अन्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹2 करोड़) तथा सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹2.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(₹ 10 crore) and additional amount of ₹ 60 crore is required under the Grant-in-Aid Salaries, to meet the expenditure on salary. wages, pension etc. of the employees of PBMC

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a Technical Supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Meeting the additional requirement for meeting expenditure for GIA-Salaries in respect of Zilla Parishad (₹ 0.40 crore) & Panchavat Samiti (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for procuring HSD oil from IOCL for power generation (₹ 50 crore).

Taking into account the savings of ₹ 10 crore available in the Capital Section of the Grant and ₹ 40 crore is available in the same Section of the grant, a Technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Meeting the additional requirement towards cost of POL due to induction of new vessel & chartering of vessel - Coral Queen (₹ 10 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Meeting the additional requirement under Grants-in-Aid for creation of Capital Assets for Zilla Parishad (₹ 0.12 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Meeting the additional requirement for ongoing construction works under General Administration (₹ 7 crore) and under other departments (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement to purchase of machinery and equipments for the use of District Hospitals (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for replacement, laying of pipelines and construction of water tanks (₹ 3 crore) .

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for meeting expenditure on construction/ renovation of residential building under 'General Pool Accommodation' (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for procurement of 35 Tsunami sirens, additional fund is required under the object head -'Machinery & Equipments' (₹ 9.99 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for construction of Veterinary building (₹ 0.13 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for purchase of machinery and equipments for information technology (₹ 0.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for construction/ renovation of Roads & Bridges under District Roads (₹ 3 crore), Tribal Area sub-plan for District & Other Roads (₹ 2 crore) and Tribal Area sub plan for General Roads (₹ 2.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 50

## चंडीगढ़ CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(See pag	e 64 of the Demands for G	rants of Central Government	ior the ye	ar 2018-2019)			(₹ कराॆड़	· ) (In ₹ crores)
					भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
					Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदा	न:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue			44.41	3962.47		4006.88
पूंजी		Capital			75.00	430.03		505.03
जोड़		Total			119.41	4392.50		4511.91
पूरक अनुदान	<del>7</del> :	SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व	•	Revenue						
पूंजी		Capital						
जोड़ जोड़		Total						***
	श्राक रक्तम का गरक अनुमान <sup>,</sup>	Supplementary Estimate of the ar	nount now n	equired:				•••
<b>२त तमय जाय</b> राजस्व	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Revenue	HOURIL HOW I	equireu.		24.67		24.67
पूंजी						0.09		0.09
<sup>नूजा</sup> जोड़		Capital						
		Total				24.76		24.76
जोड़ (मूल और	(पूरक)	Total (Original plus Supplementar	y)		119.41	4417.26		4536.67
राजस्व		Revenue			44.41	3987.14		4031.55
पूंजी		Capital			<i>75.00</i>	430.12		505.12
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	व्रत मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिखाया जाये	गा:			
		II. This Supplementary Grants will	be account	ted for under the foll	owing Major H	ead		
					भारित	स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
					Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	•	REVENUE SECTION			_			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2203-तकनीर्व	ते शिक्षा	2203-Technical Education				0.01	( <b>कa</b> )	0.01
	ते और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	n			4.66	(ন্ <i>য)</i> (खb)	4.66
2215-जना पूर 3055-सड़क प		3055-Road Transport	ı		***	20.00	(अb) (गc)	20.00
जोड़ (राजस्व १		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				24.67	(10)	<b>24.67</b>
जाड़ (राजस्व <i>पूंजी भाग</i>	414)	Total (Revenue Section)			•••	24.07		24.07
		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
~	पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police				0.01	(घd)	0.01
	खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी	4202-Capital Outlay on Education	, Sports, Art	t and Culture	•••	0.01	(डe)	0.01
परिव्यय		4040 Ossilal Osllavasa Madiaala	- 1 D 45 - 11	101-		0.04	( <del>-0</del>	0.04
	ना और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical a		eaith		0.01	(चf) (─ `	0.01
~	वेकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban De			•••	0.01	(छg)	0.01
	ामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Soc				0.01	(जh)	0.01
	। और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry a		9		0.01	(झi)	0.01
	ग़ैर पुलों पर पूंजी परिव्यय -	5054-Capital Outlay on Roads an	d Bridges			0.01	(ञj)	0.01
	रिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Trai	•			0.01	(ਟk)	0.01
	ज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर	5425-Capital Outlay on Other Science	entific and E	Environmental		0.01	(ਠੀ)	0.01
पूंजी परिव्यय		Research						
जोड़ (पूंजी भा	ग)	Total (Capital Section)				0.09		0.09
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				24.76		24.76
ये पूरक अनुदार	नें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The supp	lementary Grants a	re required for			
(事)	पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़ के	कर्मचारियों को वेतन, महंगाई भत्ता, वार्षिक	(a)	Meeting the a	dditional requi	rement for the	ne payme	ent of Salary, DA,
	वेतनवद्धि और पेंशन संबंधी लाभों का	भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता		Annual Increm	ent and pensi	onary benef	its to the	employees of the
	को पूरा करना (₹ 15.04  करोड़)			Punjab Engine	ering College	Chandigarh	(₹ 15.04	crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बच	वतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into ac	count the savi	ngs available	in the sa	ame section of the
	अनुदान की मांग की जाती है।			Grant, a token	supplementar	v is sought.		
(ख)	जल आपूर्ति एवं सफाई के अंतर्गत तैन	नात आउटसोर्स करके नियुक्त कर्मचारियों को	(b)			-	he makin	g the payment to
( )	भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता	को पूरा करना (₹ 4.66 करोड़)।	(-)	-	-			oly and Sanitation
				(₹ 4.66 crore).				.,
	इसमें नकद व्यय होगा।			The above exp		ntail a cash	outao	
( <del>11</del> )		क्टरों को समयोपरि भत्ते का भुगतान (₹ 6	(c)				-	e payment to the
(ग)	•	क्टरा का समयापार मेरा का मुगतान ( <b>र ठ</b> न और इसकी खपत में वृद्धि (₹ 14 करोड़) के	(6)	•	•		-	tors of Transport
		न आर इसका खपत म वृद्ध (र 14 कराड़) क की अतिरिक्त आवश्यकता को पुरा करने के						•
	कारण बसा क पारवहन के लिए तल लिए।	नव जातारक जानरवन्ता का पूरा करन क			,			ort buses due to
	<b>3</b> .				iii the rates o	POL and I	icrease II	n its consumption
	ट्यापें नकर बाग टोग्प			(₹ 14 crore).				
	इसमें नकद व्यय होगा।			The above exp	penditure will e	entail a cash	outgo.	

(g)

300 मीटर शूटिंग रेंज और इसकी चाहरदीवारी के नवीकरण, उच्च न्यायालय में (ঘ) सरक्षा कार्मिकों के लिए आवास. विभिन्न पलिस स्टेशनों का उन्नयन इत्यादि (₹ 3.88 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पुरक अनदान मांगा जाता है। सीसीईटी, 26 में वर्कशाप ब्लॉक और इसके मौजूदा प्रयोगशालाओं का विस्तारण (ड) (₹ 1.17 करोड़) और वास्तुविद कालेज में एम आर्क ब्लॉक के निर्माण (₹ 0.50 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। 36 अदद टाइप -II आवासों का निर्माण (₹ 11.28 करोड़), सरकारी मेडिकल कालेज (ਚ) क्रीड़ा में आघात केन्द्र, आपातकालीन ब्लॉक आदि (₹ 8.76 करोड़) और सेक्टर 48 में 80 बिस्तरों वाले चिकित्सालय का निर्माण और जीएमएसएच-16 का उन्नयन, मनीमाजरा और सेक्टर 22 में 50 बिस्तर वाले चिकित्सालय इत्यादि (₹ 2.52 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पुरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अंधेरे स्थानों पर रोशनी, सड़कों पर रोशनी, पुरातत्व भवनों का संरक्षण एवं (छ) पुनरूद्धार, सेक्टर 17 में शहरी पार्कों का पुनरूद्धार, सेक्टर 9 में यूटी कार्यालय के लिए सरकारी भवन का निर्माण, विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण एवं मरम्मत विभिन्न सरकारी भवनों का उन्नयन, साइकिल ट्रैक, बस पंक्ति शेल्टरों और आईटी पार्क के विभिन्न विकासात्मक कार्यों इत्यादि (₹ 51.99 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को परा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पुरक अनुदान मांगा जाता है। (ज) उन्नयन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.46 करोड़)।

सरकारी आईटीआई, सेक्टर 28 और सेक्टर 11 में केन्द्रीय हस्तशिल्प संस्थान के अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पुरक अनदान मांगा जाता है।

चेन लिंक बाड़ की स्थापना रिटेनिंग दीवारों का निर्माण, पत्थर की चिनाई, ग्रेड (झ) स्टैब्लाइजर, पुश्ता इत्यादि के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 2 करोड)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक

(ञ)

अनदान मांगा जाता है। उत्तर मार्ग से कैंबाला और रेलवे लाइट प्वाइंट से दरिया गांव तक जाने वाली सड़कों

की मरम्मत सहित विभिन्न गांवों की विभिन्न लिंक/फिरनी सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 2.30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनदान मांगा जाता है।

सीटीयू वर्कशाप डिपो I एवं II के उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा (군) करना (₹ 1.79 करोड)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ठ) पर्यावरण भवन, सेक्टर 19 के उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (I) (₹ 0.12 करोड)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पुरक अनदान मांगा जाता है।

Meeting the additional requirement for renovation of 300 Metre shooting Range and its boundary wall, accommodation for security personnel at High Court, upgradation of various Police Stations etc. (₹ 3.88 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for extension of workshop block in CCET, 26 and their existing labs etc. (₹ 1.17 crore) and construction of M. Arch Block in Architect College (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for Construction of 36 No. Type-II Houses (₹ 11.28 crore), Sports Injury Centre, Emergency Block etc. in Govt. Medical College (₹ 8.76 crore) and Construction of 80 bedded hospital in Sector 48 and upgradation of GMSH-16, 50 Bedded in Manimaira and Sector 22 etc. (₹ 2.52 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for removal of dark spots, street lighting; preservation and restoration of heritage buildings; revitalization of Urban Parks in Sector 17, Construction of Government Building for UT Office in Sector 9, widening and recarpeting of various roads, upgradation of various Govt. buildings, cycle tracks, bus que shelters and various developments works of IT Park etc. (₹ 51.99 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for upgradation of Govt. ITI, Sec. 28 and Central Crafts Instt. Sec. 11 etc. (₹ 0.46 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for installation of chain link fencing, construction of retaining walls, stone masonry, Grade stabilizer, revetment etc. (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for widening and recarpeting of various links/phirni roads of various villages including recarpeting of roads leading from Uttar Marg to Kaimbala and Railway Light Point to village Daria (₹ 2.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for upgradation of CTU workshop Depots I & II (₹ 1.79 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional requirement for upgradation of Environment Building, Sector 19 (₹ 0.12 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## मांग संख्या DEMAND NO 51 दादरा और नगर हवेली DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

		भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़	r) (In ₹ crores জীৱ
		Charged	Voted		Total
!. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.01	802.99		803.00
<del>र</del> ्जी	Capital		318.34		318.34
ग्रेड	Total	0.01	1121.33		1121.34
(रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
ाजस्व	Revenue				
जी	Capital				
ोइ	Total	•••	•••		•••
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
जस्व	Revenue		19.86		19.86
जी	Capital		0.01		0.01
गोइ	Total		19.87		19.87
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	1141.20		1141.21
जस् <b>व</b>	Revenue	0.01	822.85		822.86
जी	Capital		318.35		318.35
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accoun		Head		
		<i>भारित</i>	स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
217-शहरी विकास	2217-Urban Development		19.86	( <b>कa</b> )	19.86
<b>ं</b> जी भाग	CAPITAL SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life		0.01	(खb)	0.01
गेड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	19.87	, ,	19.87
ा पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		olementary Grants are required for			
	ए सिलवासा नगरपालिका परिषद को पूंजीगत     (a) अनुदान जारी करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता	Meeting the additional rec	•		
आस्तया के सृजन के लिए सहायता पूरी करने के लिए (₹ 22.49 करोड़)।		Creation of Capital Ass			cipai Council f
£4 64 6 65 (C 22.40 445)		implementation of Smart C	/ity (₹ 22.49 ci	ore).	

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 19.86 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में 21 चैक बांधों के निर्माण के भुगतान हेतु अतिरिक्त (ख) देनदारियों को पूरी करने के लिए (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the saving available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash

Meeting the additional liabilities to pay for construction of 21 Check Dams in various wildlife sanctuaries (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 53

#### लक्षद्वीप

#### **LAKSHADWEEP**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये ) (See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 51 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित		<i>(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i> <b>जोड़</b>
			स्वीकृत	
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1130.61	1130.61
पूंजी	Capital		266.70	266.70
जोड़	Total	•••	1397.31	1397.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	1397.35	1397.35
राजस्व	Revenue	•••	1130.64	1130.64
पूंजी	Capital		266.71	266.71
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u	inder the following Major He	ad	
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		0.01	( <b>कa</b> ) 0.01
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	0.02	0.02

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(ক)

स्थापना व्यय, खेलकूद एवं क्रीड़ा/कार्यक्रमों का आयोजन, फिटनेस केंद्रों के लिए स्वास्थ्य देखभाल उपस्करों की खरीद, एसोसिएशनों तथा क्षेत्रीय खेलकूद परिषदों को वित्तीय सहायता हेतु प्रयोजन शीर्ष सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) स्थापना व्यय, लक्षद्वीप कला अकादमी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रयोजन शीर्ष सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.75 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

a) Meeting the additional expenditure under object head Grant-in-aid, towards Establishment Expenses, Organizing Sports & Games/events, purchase of Health Care equipment to fitness centres, Financial Assistance to Associations and Regional Sports Councils (₹ 0.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting the additional expenditure under object head Grant-in-aid, towards Establishment Expenses, Organizing Cultural Programmes etc. through Lakshadweep Kala Academy (₹ 0.75 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# मांग संख्या DEMAND NO 54 दिल्ली को अंतरण

## TRANSFERS TO DELHI

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये ) (See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		_		ਡ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		790.00	790.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	790.00	790.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***		***
पूंजी	Capital	***	77.41	77.41
जोड़	Total		77.41	77.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***		***
पूंजी	Capital	***	2.59	2.59
जोड़	Total	•••	2.59	2.59
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		870.00	870.00
राजस्व	Revenue	•••	790.00	790.00
पूंजी	Capital		80.00	80.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेग	π:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the follo		:	
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602-Loans and Advances to Union Territory Governments		2.59	2.59

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जेआईसीए से सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए निधियां मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 2.59

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 2.51 करोड़ की बचत को देखते हुए, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें ₹ 0.08 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

For meeting additional requirement for providing funds for JICA assisted Externally Aided Project. (₹ 2.59 crore).

Taking into account the savings of ₹ 2.51 crore available in the Revenue Section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 0.08 crore.

## मांग संख्या DEMAND NO 55

## पुडुचेरी को अंतरण TRANSFERS TO PUDUCHERRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			·	,	भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करॊड़	) (In ₹ crores) জীৱ Total
<i>l. मूल अनु</i> व	द्यानः	I. ORIGINAL GRANT:			onargou	70.00		1014
राजस्व		Revenue				1476.00		1476.00
पूंजी		Capital						
जोड़		Total			···	1476.00		1476.00
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the a	mount now re	quired:				
राजस्व		Revenue				0.01		0.01
पूंजी		Capital				49.61		49.61
जोड़		Total				49.62		49.62
जोड़ (मूल औ	र पूरक)	Total (Original plus Supplementa	гу)			1525.62		1525.62
राजस्व		Revenue				1476.01		1476.01
पूंजी		Capital				49.61		49.61
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नर्ला	खेत मख्य शीर्षों वे	के अंतर्गत दिखाया जायेग	Π:			
		II. This Supplementary Grants wi	~			Head		
					भारित	स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
					Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION			-			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3602-संघ र अनुदान	ाज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Terr	itory Governm	nents		0.01	( <b>कa</b> )	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
- 7602-संघ र अग्रिम	ाज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और	7602-Loans and Advances to Un Governments	ion Territory			49.61	(खb)	49.61
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				49.62		49.62
ये पूरक अनुद	ानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The supple	mentary Grants are	required for			
(क)	(₹ 0.01 करोड़)।	समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता देना अचतों के ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक	(a)	Committee for d	rought 2012-	-13 (₹ 0.01 cr	ore)	by High Level
	अनुदान मांगा जाता है।			grant, a token s		•		
(ख)	खोलने और पुदुचेरी को सहायता हेः करना (₹ 49.61 करोड़)।	हायता प्राप्त परियोजना हेतु नया लेखा शीर्ष तु प्रावधान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा	(b)	For meeting account and ma assisted Externa	Iditional required in the control of	uirement for n for assistar oject (₹ 49.61	crore).	of new head of ducherry for AFD
	इसमें नकद व्यय होगा।			The above expe	nditure will e	entail a cash c	outgo.	

## मांग संख्या DEMAND NO 56 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 0 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 0 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

	10 , oa. 20 . o 20 . o aa pago o o a a.o occoma oapp	onemoritary Bernari		oe ye. (₹ क	यः == !
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	88.22	25509.93		25598.15
पूंजी	Capital	101.16	16314.69		16415.85
जोड़	Total	189.38	41824.62		42014.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	4.00	1.63		5.63
पूंजी	Capital		0.05		0.05
जोड़	Total	4.00	1.68		5.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	•••	7635.00		7635.00
पूंजी	Capital		600.02		600.02
जोड़	Total		8235.02		8235.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	193.38	50061.32		50254.70
राजस्व	Revenue	92.22	33146.56		33238.78
पूंजी	Capital	101.16	16914.76		17015.92
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख		- 4		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Major He भारित	<sup>aɑ</sup> <b>स्वीकृत</b>		<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	Ū			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works		10.00	( <b>कa</b> )	10.00
2216-आवास	2216-Housing		2023.08	(खb)	2023.08
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		45.00	(गc)	45.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.24	(घd)	0.24
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		5536.18	(डe)	5536.18
अनुदान				, ,	
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	***	20.50	(चf)	20.50
को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		7635.00		7635.00
पांजी भाग पूंजी भाग	·	•••	7033.00		7033.00
•••	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(छg)	0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पुंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services		0.01	(जh)	0.01
रूपा नारव्यव 6217-शहरी विकास के लिए ऋण	6217-Loans for Urban Development		600.00	(झi)	600.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	•••	600.02	()	600.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		8235.02		8235.02
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दः समायोजित किया जाता है !  Note: The above estimates of additional requirements do adjusted in reduction of expenditure.	.,		~	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2216-आवास	2216-Housing		(-)2003.08		(-)2003.08
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)4482.42		(-)4482.42
अनुदान					
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		(-)19.50		(-)19.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)6505.00		(-)6505.00

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(a)

(क) समूचे देश में कार्यालय भवन के जारी निर्माण कार्य और अनुरक्षण के लिए (₹ 10 करोड़)। ongoing work and maintenance of Office Building all over country (₹ 10 crore)

(d)

(e)

(g)

(h)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) स्कीम के लिए ईबीआर के माध्यम से उगाहे गए ऋण पर व्याज के भुगतान (₹ 702 करोड़), संसदीय आवासों का अनुरक्षण और मरम्मत (₹ 10 करोड़), समूचे देश में सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) का अनुरक्षण और मरम्मत (₹ 20 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
  - (ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को "अंतर लेखा अंतरण" (₹ 2003.08 करोड)।
  - (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई) स्कीम केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पुरी की जाएगी (₹ 2003.08 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग तथा अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अध्यर्पण के बाद इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) शेष देयताओं को पूरा करने के लिए और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान (₹ 40 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना

 - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के अंतर्गत भुगतान
 करने के लिए(₹ 0.24 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

- (इ) (i) (i) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 98 करोड़) (ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के अंतर्गत राज्यों को जारी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 153.76 करोड़) और अमृत स्कीम के अंतर्गत राज्यों की अनुमोदित एसएएपी के किस्तों की निर्मुक्ति के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 400 करोड़), (iii) स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एमबीएम-यू) के लिए पूंजीगत आस्तियों के मुजन के लिए अनुदान (₹ 500 करोड़)।
  - (ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को "अंतर लेखा अंतरण " (₹ 4484.42 करोड़)।
  - (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई) स्कीम केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पुरी की जाएगी (₹ 4482.42 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की समतुल्य बसृलियों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग तथा अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के बाद इसमें ₹ 553.76 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

- (च) (i) दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निर्मुक्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (र 1 करोड़)।
  - (ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को "अंतर लेखा अंतरण" (₹ 19.50 करोड)
  - (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई) स्कीम केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की जाएगी (₹ 19.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।
- (छ) सांविधिक और संसदीय अध्ययन संस्थान से संबंधित कार्य (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ज) श्रम भवन, चंडीगढ़ के लिए कार्यालय भवन (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (झ) मुंबई मेट्रो को पास-श्रू सहायता के लिए ऋण एवं अग्रिम (₹ 600 करोड़)।

ह लिए ईबीआर के माध्यम से (b) (i) Grants in Aid General for payment of interest on loan raised करोड़), संसदीय आवासों का through EBR for Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Scheme

any additional cash outgo;

through EBR for Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Scheme (₹ 702 crore), Maintenance and Repairs of Parliamentary Residences (₹ 10 crore), Maintenance and Repairs of General Pool Residential Accommodation (GPRA) all over country (₹ 20 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the

Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail

- (ii) "Inter Account Transfer" to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 2003.08 crore)
- (iii) Pradhan Mantri Awas Yojana -Urban (PMAY) Scheme is to be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 2003.08 crore).

Taking into account the matching recoveries of ₹ 2003.08 crore in the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant and surrender of savings of ₹ 20 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Grants in Aid General (₹ 5 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 40 crore) for clearing the remaining liabilities and timely completion of the projects under Deendayal Antyodaya Yojana - National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) Scheme for NER States.

The above expenditure will entail a cash outgo;

payment under Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) Scheme for NER States under Other Administrative Expenses (₹ 0.24 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

- (i) (i) Grants in Aid General for Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) Scheme for NER States (₹ 98 crore) (ii) Grants in Aid General for release to State under Deendayal Antyodaya Yojana -National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) (₹ 153.76 crore) and Grants for creation of capital assets for release of instalments of approved SAAPs of States under AMRUT Scheme(₹ 400 crore) (iii) Grants for creation of capital assets for the Scheme Swachh Bharat Mission-Urban (SBM-U) (₹ 500 crore).
- (ii) "Inter Account Transfer" to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 4482.42 crore).
- (iii) Pradhan Mantri Awas Yojana -Urban (PMAY) Scheme is to be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 4482.42 crore)

Taking into account the matching recoveries of ₹ 4482.42 crore in the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant and surrender of savings of ₹ 500 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail ₹ 553.76 crore additional cash outgo.

- Grants in Aid General for release to Union Territory Governments under Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) Scheme (₹ 1 crore).
- (ii) "Inter Account Transfer" to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 19.50 crore).
- (iii) Pradhan Mantri Awas Yojana -Urban (PMAY) Scheme is to be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 19.50 crore). Taking into account the matching recoveries of ₹ 19.50 crore in the Grant, the above expenditure will entail ₹ 1 crore additional cash outgo.

works related to Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Office Building for Labour Bhawan, Chandigarh (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Loans and Advances for Pass Through Assistance to Mumbai Metro (₹ 600 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

इसमें नकद व्यय होगा।

#### मांग संख्या DEMAND NO 57

# विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55-56 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 55-56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़ ) (In ₹ crores</i> <b>जोड़</b>
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	Onargeu	Voted	lotai
राजस्व	Revenue		82516.30	82516.30
पूंजी	Capital	***		02310.30
जोड़	Total		82516.30	82516.30
	SUPPLEMENTARY GRANT:		02010.00	02310.30
<b>पूरक अनुदान:</b> राजस्व			442.04	442.04
पूंजी	Revenue		113.81	113.81
<sup>पूजा</sup> जोड	Capital	***	440.04	
जाड़ इस समय आवश्यक रकम का	Total	•••	113.81	113.81
पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		4762.75	4762.75
पूंजी	Capital	•••		
जोड़	Total	***	4762.75	4762.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	87392.86	87392.86
राजस्व	Revenue		87392.86	87392.86
पूंजी		***	0/392.00	67392.00
पूजा	Capital		•••	•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ि			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc			
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जॏ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		3197.94	( <b>क</b> a) 3197.94
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb) 0.01
3601-राज्य सरकारों को	3601-Grants-in-aid to State Governments		1564.80	(गc) 1564.80
सहायता अनुदान				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		4762.75	4762.75
		, ,, , , , , , , ,	C.C 3.C	
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे	व दशाइ गया वसूालया का शाामल न	हा किया गया ह जिन्ह	व्यय म स घटाकर समायााजत
	किया जाता है !			
	<b>Note:</b> The above estimates of additional requirements of	to not take into account the r	ecoveries shown be	elow, which are adjusted
	in reduction of expenditure.			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		(-)2628.75	(-)2628.75
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		(-)569.19	(-)569.19
3601-राज्य सरकारों को	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)1564.80	(-)1564.80
सहायता अनुदान				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)4762.74	(-)4762.74

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(क)

(i) (1) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹ 897.20 करोड़) और (2) मध्याह्म भोजन (एमडीएम) (₹ 6.12 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता-अनुदान, (ii) इन स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) नवोदय विद्यालय समिति (₹ 211.68 करोड़) और (2) मध्यान्ह भोजन (₹ 14.35 करोड़), (iii) एनवीएस के अंतर्गत वेतन सहायता-अनुदान (₹ 1549.87 करोड़), (iv) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम में व्यावसयिक सेवाएं (वस्तु शीर्ष 28) - ₹ 8.00 करोड़, (v) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अतंर लेखा अतरंण (₹ 2925.85 करोड़), (vi) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अतंर लेखा अतरंण - ₹ 272.09 करोड़।

केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में उपलब्ध ₹ 2925.85 करोड़, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में उपलब्ध ₹ 272.09 करोड़ की समतुल्य वसूली तथा आंतरिक बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

(i) Grant-in-Aid General under the Scheme (1) Navodaya Vidalaya Samiti (NVS) (₹ 897.20 crore) and (2) Mid Day Meal (MDM) (₹ 6.12 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (1) NVS (₹ 211.68 crore) and (2) MDM (₹ 14.35 crore), (iii) Grant-in-Aid Salary under the Scheme NVS (₹ 1549.87 crore), (iv) Professional Services (Object Head 28) in the Scheme of Sarva Shiksha Abhiyan - ₹ 8.00 crore, (v) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 2925.85 crore) and (vi) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK) - ₹ 272.09 crore.

Taking into account the matching recovery of ₹ 2925.85 crore available in Central Road and Infrastructure Fund , ₹ 272.09 crore available in Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh and internal savings , the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(I)

(c)

(ख) (i) (1) एनवीएस (₹ 110.10 करोड़), और (2) आरएमएसए (₹ 272.09 करोड़) (b) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता-अनुदान। (ii) एनवीएस (₹ 50 करोड़), और (2) आरएमएसए (₹ 100 करोड़), स्कीम के अंतर्गत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (iii) एनवीएस (₹ 191.60 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता-अनुदान।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक

अनुदान के इसा भाग में उपलब्ध बचता का ध्यान में रखते हुए साकातक पूरव अनुदान मांगा जाता है।

 (ग)
 (i) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम में सामान्य सहायता-अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31)
 (₹ 1564.80 करोड़) और (ii) प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतर लेखा अंतरण-(₹ 1564.80 करोड़).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखतें हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। (i) Grant-in-Aid General under the Scheme (1) NVS (₹ 110.10 crore) and (2) RMSA (₹ 272.09 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (1) NVS (₹ 50 crore), and (2) RMSA (₹ 100 crore) and (iii) Grants-in-Aid Salary under the Scheme NVS (₹ 191.60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) -(₹ 1564.80 crore) and (ii) Inter Account Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh - (₹ 1564.80 crore).

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

## मांग संख्या DEMAND NO 58 उ**च्चतर शिक्षा विभाग**

#### **DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44-45 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57-58 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 44-45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 57-58 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				(₹ करोंड़ ) <u>(</u> [In ₹ crores)
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	ज <u>ौड़</u> —
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		46778.08	46778.08
पूंजी	Capital		2752.00	2752.00
जोड़	Total		49530.08	49530.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.07	0.07
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	···	0.07	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		784.33	784.33
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		784.33	784.33
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	···	50314.48	50314.48
राजस्व	Revenue	•••	47562.48	47562.48
पूंजी	Capital		2752.00	2752.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया र	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the			
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		279.00	( <b>कa</b> ) 279.00
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		505.32	(खb) 505.32
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(πc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	784.33	784.33
<i>राजस्व भाग</i> 2202-सामान्य शिक्षा	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not to in reduction of expenditure. REVENUE SECTION 2202-General Education	.,		
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		(-)505.32	(-)505.32
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	(-)784.32	(-)784.32
(			( ). 55	( /

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(ख)

(क)
(i) योजना के अन्तर्गत अनुदान सहायता (1) नेशनल कमीशन फार माइनार्टी एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस (₹ 2 करोड़), (2) भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़), (3) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 100 करोड़), (4) नेशनल मिशन आन टीचर्स एण्ड टीचिंग (₹ 9 करोड़) (5) शास्त्री इण्डो कनैडियन इंस्टीट्यूट (₹ 2.51 करोड़), तथा (ii) भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 8 करोड़) तथा (iii) योजनाओं के अन्तर्गत वेतन अनुदान सहायता (1) भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़), (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता (₹ 200 करोड़) और (3) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 279.00 करोड़) (iv) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष को अंत: लेखा अंतरण (एमयूएसके) (₹ 505.32 करोड़)।

₹ 279.00 करोड़ की समतुल्य वसूली को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

(i) योजना के तहत सामान्य सहायता में अनुदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) (₹ 18.16 करोड़) (2) भारतीय The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General under the schemes (1) National Commission for Minority Educational Institutions (₹ 2 crore), (2) Grants for promotion of Indian languages [₹ 10 crore], (3) Grants to Central Universities [₹ 100 crore], (4) National Mission on Teachers and Teaching [₹ 9 crore], and (5) Shastri Indo- Canadian Institute [₹ 2.51 crore], (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme Grants for promotion of Indian languages [₹ 8 crore], (iii) Grant-in-aid Salaries under the schemes (1) Grants for promotion of Indian languages [₹ 10.00 crore], (2) Support to University Grants Commission [₹ 200 crore] and (3) Grants to Central Universities [₹ 279.00 crore] and (iv) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh (MUSK) [₹ 505.32 crore].

Taking into account matching recovery of ₹ 279 crore, this will not entail any additional cash outgo.

(i) Grants-in-aid General under the scheme (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 18.16

अभियांत्रिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) (बेसू और कसट) (₹ 10 करोड़) (3) प्रशिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, बोम्बे, कलकत्ता, कानपर और चेन्नई (₹ 4.53 करोड़) (4) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, निफ्ट, राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 13.79 करोड़) (5) छाप शोध पहल का कार्यान्वयन (₹ 11 करोड़) (6) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 10 करोड़), पीएम फेलोशिप अनुसंधान (₹ 1.50 करोड़) (7) भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) (₹ 25 करोड़) (8) नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना (आईआईएम) (₹ 51 करोड़) और (9) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (₹ 580.09 करोड़) (ii) योजनाओं के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के मृजन हेत अनदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षण एवं अनसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) (₹ 7.50 करोड़) (2) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बोम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई (₹ 0.64 करोड़) (3) (एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 17.73 करोड़) (4) छाप शोध पहल का कार्यान्वयन (₹ 7.00 करोड़) (5) राष्टीय परिक्षण एजेंसी (₹ 1.00 करोड़) (6) उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्टार्ट-अप इंडिया पहल (₹ 37 करोड़), (7) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद (ईएपी) (₹ 27 करोड़) और (8) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश (₹ 15 करोड़), (iii) इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता-अनुदान वेतन - (1) राष्टीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) (₹ 28 करोड़) (2) भारतीय अभियांत्रिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) का उन्नयन (बीईएसयू और सीयएसएटी) (₹ 25 करोड़) (3) प्रशिक्ष्ता प्रशिक्षण बोर्ड, बोम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई (₹ 1.96 करोड़), (4) स्लिएट, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 2.63 करोड़) और (5) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 4.00 करोड़) और (iv) प्रशिक्षता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और अध्येयतावृत्ति के लिए योजना कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/अध्येयतावृत्ति (₹ 60 करोड़) (v) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में अंतर लेखा अंतरण (₹ 279.00 करोड़)।

₹ 505.32 करोड़ की समतुल्य वसूली को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

(ग)

इन योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 9.80 करोड़) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता (₹ 262.26 करोड़), (ii) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सिहत अन्य संस्थानों को सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान (₹ 83.52 करोड़) और (iii) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सिहत अन्य संस्थानों को सहायता योजना के अंतर्गत स्वायता अनुदान (₹ 0.27 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

crore], (2) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (BESU & CUSAT) [₹ 10 crore], (3) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 4.53 Crore], (4) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 13.79 crore], (5) Implementation of the IMPRINT Research Initiative [₹ 11.00 crore], (6) National Testing Agency [₹ 10.00 crore], PM Research Fellowship [₹ 1.50 crore], (7) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 25 crore] , (8) Setting up of new Indian Institute of Management (IIMs) [₹ 51 crore] and (9) National Institutes of Technology (NITs) [₹ 580.09 crore], (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 7.50 crore], (2) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 0.64 crore], (3) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 17.73 crore], (4) Implementation of the IMPRINT Research Initiative [₹ 7.00 crore], (5) National Testing Agency [₹ 1.00 crore], (6) Startup India Initiative for Higher Educational Institutions [₹ 37.00 crore], (7) Indian Institute of Technology (IIT), Hyderabad (EAP) [₹ 27 crore] and (8) Indian Institute of Technology, Andhra Pradesh [₹ 15 crore], (iii) Grants-inaid Salaries under the scheme (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 28 crore], (2) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (BESU & CUSAT) [₹ 25 crore], (3) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 1.96 crore], (4) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 2.63 crore] and (5) National Testing Agency [₹ 4.00 crore], (iv) Scholarships /Stipends under the scheme Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends [₹ 60 crore] and (v) Inter Account Transfer to National Investment Fund (NIF) [₹ 279.00 crore].

Taking into account matching recovery of ₹ 505.32 crore, this will not entail any additional cash outgo.

(i) Grants-in-aid General under the schemes (1) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 9.80 crore] and (2) Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 262.26 crore], (ii) Grants for creation of capital assets under the schemes Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 83.52 crore] and (iii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 0.27 crore].

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 59

#### सुचना तथा प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित	स्वीकृत	1	সৌর -
		Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ाजस्व जस्व	Revenue		4065.58		4065.58
जी	Capital		23.40		23.40
गेड़	Total		4088.98		4088.98
(रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
ाजस्व	Revenue		0.02		0.02
जी	Capital		0.01		0.01
गेड़	Total		0.03		0.03
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
ाजस्व	Revenue		11.77		11.77
जी	Capital		***		
गिइ	Total		11.77		11.77
गिड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	4100.78		4100.78
ाजस्व	Revenue	•••	4077.37		4077.37
जी	Capital		23.41		23.41
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		ead		
		भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
<u>ख्य</u> शीर्ष	MAJOR HEAD				
220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity		0.01	( <b>क</b> a)	0.01
	2552-North Eastern Areas		11.76	(खb)	11.76
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र					

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एस.आर.एफ.टी.आई.) के लिए सामान्य (क) सहायता अनुदान के तहत (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरूण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सामान्य सहायता (ख) अनुदान के लिए (₹ 11.76 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Satyajit Ray Film and Television Institute(SRFTI) under the Grantsin-aid General (₹ 1.00 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

*(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)* 

Prasar Bharati for Arun Prabha Channel under the Grants-in-aid General in North Eastern Area (₹ 11.76 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

#### मांग संख्या DEMAND NO 60 श्रम और रोजगार मंत्रालय

#### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये ) (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 60 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				भारित	स्वीकृत	(₹ करों;	ड ) (In ₹ crores जोड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		ū			
राजस्व		Revenue			7677.75		7677.75
पूंजी		Capital			22.25		22.25
जोड़		Total		•••	7700.00		7700.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue			1038.29		1038.29
पूंजी		Capital					
जोड़		Total		,,,	1038.29		1038.29
इस समय आवश्य	क रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	t now required				
राजस्व	., •	Revenue			1024.79		1024.79
पूंजी		Capital					
जोड़		Total		***	1024.79		1024.79
जोड़ (मूल और पूर	(क)	Total (Original plus Supplementary)		•••	9763.08		9763.08
राजस्व		Revenue			9740.83		9740.83
पूंजी		Capital		,,,	22.25		22.25
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be a			ad		
		,		भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
- 2230-श्रम, रोजग	ार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill D	evelopment		921.62	( <b>कa</b> )	921.62
2552-पूर्वोत्तर क्षे	त्र	2552-North Eastern Areas			103.17	(खb)	103.17
जोड़ (राजस्व भाग		Total (Revenue Section)		•••	1024.79		1024.79
• •	ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं			mentary Grants are required			
(ক)		ानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना′ स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 571.57 करोड़), एससीएसपी (₹ 166.02 करोड़) और टीएसपी (₹ 84.03 ड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		(a) Meeting additional requirement for Grants-in-Aid General (*			
				**	rore), Schedule Caste Sub Plan (₹ 166.02 crore) and Tribal Sub lan (₹ 84.03 crore) under the scheme of 'Pradhan Mantri Rozgar		
	गराङ्ग) माराष्ट्र जातारता जावस्य			, ,			
	andi 144 ann almı			Protsahan Yojana' .			
	इसमें नकद व्यय होगा।			The above expenditure wi		-	
(ख)		योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान री करने के लिए (₹ 103 17 करोड)।	(b)	Meeting additional require			
	चनाराष्ट्र जातारक्त जावस्थकता पू	य करन काराष्ट्र (८ १०७.१४ कराइ)।			ntri Rozgar Pi	rotsahan	Yojana' (₹ 103.1
(অ)		याजनाः स्काम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान री करने के लिए (₹ 103.17 करोड़)।	(b)	scheme of 'Pradhan Mar			

The above expenditure will entail a cash outgo;

इसमें नकद व्यय होगा।

#### मांग संख्या DEMAND NO 61

#### विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये ) (See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 61 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

			<i>(₹ करॊड़ ) (In ₹ crores)</i>		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2586.33	2586.33	
पूंजी	Capital		1800.00	1800.00	
जोड़	Total	•••	4386.33	4386.33	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	0.03	0.03	
पूंजी	Capital	***	535.00	535.00	
जोड़	Total	•••	535.03	535.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital		1637.14	1637.14	
जोड़	Total		1637.14	1637.14	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6558.50	6558.50	
राजस्व	Revenue		2586.36	2586.36	
पूंजी	Capital	•••	3972.14	3972.14	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		1637.14	1637.14	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लोक सभा चुनाव, 2019 के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों तथा वोटर वेरीफाइबल पेपर आडिट ट्रेल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए (₹ 1637.17 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.03 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1637.14 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

making payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails for Lok Sabha Election, 2019 (1637.17 crore)

Taking into account savings of  $\ref{thmost}$  0.03 crore available in the same section of the Grant , this will entail cash outgo of  $\ref{thmost}$  1637.14 crore .

#### मांग संख्या DEMAND NO 62

#### निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

				ਹੋੜ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		248.66	248.66
पूंजी	Capital		19.30	19.30
जोड़	Total		267.96	267.96
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			
जोड़	Total			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		267.97	267.97
राजस्व	Revenue		248.66	248.66
पूंजी	Capital		19.31	19.31
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया र	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

द्वारका में भारत के निर्वाचन आयोग के लिए भूमि की खरीद और अतिरिक्त कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के लिए शीर्ष खोलने हेतु (**र** 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

opening of head for purchase of land and construction work of additional Office Building for Election Commission of India at Dwarka (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 63 (विनियोग)(APPROPRIATION)

## भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
<i>l.विनियोग:</i>	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
राजस्व	Revenue	251.06		251.06	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	<i>251.06</i>	•••	251.06	
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital				
जोड़	Total				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	7.47		7.47	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	7.47		7.47	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>258.53</i>		258.53	
राजस्व	Revenue	<i>258.53</i>	•••	258.53	
पूंजी	Capital		•••		
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	7.47		7.47	

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

वेतन (₹ 5.00 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹ 1.00 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1.47 करोड़) पर व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

meeting expenditure on Salaries (₹ 5.00 crore), Medical Treatment (₹ 1.00 crore) and Professional Services (₹ 1.47 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 64

#### सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

#### MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 63 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

•	. •			(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)	
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		6540.04	6540.04	
पूंजी	Capital		12.57	12.57	
जोड़	Total	•••	6552.61	6552.61	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.04	0.04	
पूंजी	Capital		8.50	8.50	
जोड़	Total	•••	8.54	8.54	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.02	0.02	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	•••	0.02	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	6561.17	6561.17	
राजस्व	Revenue	•••	6540.10	6540.10	
पूंजी	Capital		21.07	21.07	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाय	ग जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित	स्वीकृत	<u> जोड़</u>	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	( <b>कa</b> ) 0.01	
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(खb) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02	0.02	

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(क)

(i) 'क्रेडिट सहायता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत अंशदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.67 करोड़) तथा (ii) "खादी अनुदान" स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 9.53 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत अंशदान के लिए अतिरिक्त (ख) आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 15.00 करोड़), (ii) 'क्रेडिट सहायता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत अंशदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 10.00 करोड़), (iii) 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र' स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पुरी करने के लिए (₹ 5.00 करोड़), (iv) 'आंकड़ा आधार का उन्नयन' स्कीम के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पुरी करने के लिए (₹ 0.01 करोड़), (v) 'राष्टीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.01 करोड़), (vi) 'विपणन विकास सहायता' स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 2.50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.05 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) और सब्सिडियां (₹ 2.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए और (vii) 'उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम-संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत एफटीई (₹ 0.05 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1.50 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए तथा (viii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 192.59 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान अनुसूचित घटक (₹ 18.32 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 19.56 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(i)Meeting additional requirement for contribution under the scheme 'Credit Support Programme' (₹ 3.67 crore) and (ii)Meeting additional requirement for Grant-in-aid General under the scheme"Khadi Grant" (₹ 9.53 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i)Meeting additional requirement for contribution under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' (₹ 15.00 crore),(ii)Meeting additional requirement for contribution under the scheme 'Credit Support Programme' (₹ 10.00 crore), (iii)Meeting additional requirement for Advertising and Publicity under the scheme 'National Scheduled Caste / Scheduled Tribes Hub Centre' (₹ 5.00 crore), (iv)Meeting additional requirement for Publications under the scheme 'Up gradation of Data Base' (₹ 0.01 crore), (v)Meeting additional requirement for Advertising and publicity under the scheme 'National Manufacturing Competitiveness Programme' (₹ 0.01 crore), (vi)Meeting additional requirement for Advertising & Publicity (₹ 2.50 crore), Professional Services (₹ 0.05 crore). Grants in aid General (₹ 1.00 crore) and subsidies (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Marketing Development Assistance' (vii)Meeting the additional requirement for FTE (₹ 0.05 crore), Professional Services (₹ 1.50 crore) and Grants in Aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Entrepreneurship and Skill Development Programme - Promotional Service Institutions and Programme' and (viii) Meeting additional requirement for Grant-in-aid General (₹ 192.59 crore), Grant-in-aid General SC Component (₹ 18.32 crore) and Grant-in-aid General ST Component (₹ 19.56 crore) under the scheme 'Khadi Grant'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 65

#### खान मंत्रालय

#### **MINISTRY OF MINES**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				रोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.05	1899.25	1899.30
पूंजी	Capital		170.22	170.22
जोड़	Total	0.05	2069.47	2069.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		95.01	95.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	95.01	95.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.05	2164.49	2164.54
राजस्व	Revenue	0.05	1994.27	1994.32
पूंजी	Capital	•••	170.22	170.22
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the for	ollowing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) "भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण' स्कीम के अंतर्गत वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 73.50 करोड़), (ii) "भारतीय खान ब्यूरो' स्कीम के अंतर्गत वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 13.50 करोड़) और (iii) 'खिनज अन्वेषण निगम लिमिटेड' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.88 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(i)Meeting the additional requirement for Salaries under the scheme 'Geological Survey of India' (₹ 73.50 crore), (ii) Meeting the additional requirement for Salaries under the scheme 'Indian Bureau of Mines' (₹ 13.50 crore) and (iii) Meeting the additional requirement for Grants in aid Salaries under the scheme 'Mineral Exploration Corporation Ltd.' (₹ 0.88 crore).

#### अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

#### MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये ) (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 66 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				भारित	<i>(</i> स्वीकृत	(₹ करोड़ )	(In ₹ crore: जोड़
				Charged	Voted		Total
. मूल अनु	र्दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
ाजस्व		Revenue			4534.96		4534.96
जी		Capital			165.04		165.04
ोड़		Total			4700.00		4700.00
रक अनुव	रान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
ाजस्व		Revenue			0.02		0.02
जी		Capital			8.18		8.18
ोड़		Total			8.20		8.20
स समय अ	॥वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now required	:			
जस्व		Revenue			0.03		0.03
जी		Capital					
इ		Total			0.03		0.03
ोड़ (मूल व	<b>प्रौर पूरक)</b>	Total (Original plus Supplementary)			4708.23		4708.23
जस्व		Revenue		•••	4535.01		4535.01
जी		Capital			173.22		173.22
		II. This Supplementary Grants will be	e accounted for u	भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
ाजस्व भ	<i>ग</i>	REVENUE SECTION		Charged	Voted		Total
ख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	पूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes,		S,	0.01	( <b>क</b> a)	0.01
	और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minori	ties				
	ाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare			0.01	(खb)	0.01
	म सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governr	nents		0.01	(गc)	0.01
ोड़ (राजस	व भाग)	Total (Revenue Section)		···	0.03		0.03
	दानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं			ary Grants are required for:			
F)	., .	,	. ,	Grants for Creation of C	•		
	, , ,	) तथा (ii) हमारी धरोहर स्कीम के अंतर्गत		ectorial Development Sche	, ,	•	, , ,
	सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़			eneral under the scheme H		,	•
	अनुदान के इसा भाग में उपलब्ध बच जाता है।	त को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		aking into account the savir rant, a token supplementar	•	in the sam	ne section of t
I)	अनुसंधान अध्ययन, निगरानी और मू (₹ 6 करोड़)।	ल्यांकन स्कीमों के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं	. ,	rofessional Services under		n Studies,	monitoring a
		त को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		raluation schemes (₹ 6 cror aking into account the savir	•	in the com	ne section of
	जाता है।	य व्याप्त हुद्र याच्याच पूर्वा अपुष्या नामा		rant, a token supplementar	•	iii uie Salī	ie section of
			OI	iant, a tokon supplemental	, io oougiit.		
T)	बद्रक्षेत्रीय विकास स्कीम (एमणसरीपी	r) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन	(c) Gi	rants for Creation of Cap	nital Assets	under the	scheme M

Sectorial Development Scheme (MsDP) (₹ 14.60 crore).

Grant, a token supplementary is sought.

Taking into account the savings available in the same section of the

के लिए अनुदान (₹ 14.60 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

### मांग संख्या DEMAND NO 67 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये ) (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 67 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

Supplem	nentary Demands for Gr	ants for the year 2018-2019)				<i>-</i> 5	
				भारित	स्वीकृत	(र कराड़	ह ) (In ₹ crores) जोड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुद	रान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			5106.23		5106.23
पूंजी		Capital			40.40		40.40
जोड़		Total		•••	5146.63		5146.63
पूरक अनुदा	ान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	••	Revenue			0.01		0.01
पूंजी		Capital			0.01		0.01
जोड़		Total		***	0.01		0.01
इस समय आव	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	nt now required		0.01		0.01
राजस्व	THE COLUMN TO SECOND	Revenue		···	0.02		0.02
पूंजी		Capital			0.02		0.02
जोड़		Total		•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल औ	र परक)	Total (Original plus Supplementary)			5146.66		5146.66
राजस्व	. 2.17	Revenue			5106.26		5106.26
पूंजी		Capital			40.40		40.40
<b>~</b>		U. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु		- <del> </del>	40.40		40.40
		II. This Supplementary Grants will be a			ad		
		II. This Supplementary Grants will be a	accounted for t	under the following Major Flea <b>भारित</b>	au स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	r	REVENUE SECTION		onargou	10.00		10141
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्त	य थेल	2552-North Eastern Areas			0.01	( <b>E</b> 0)	0.01
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	र क्षत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy		***	0.01	(कa) (खb)	0.01
व्याण-नवान जोड़ (राजस्व		Total (Revenue Section)		•••	0.01	(an)	0.02
जाङ्ग (राजस्य	<b>๚</b> ๚ <i>)</i>	Total (Neverlue Section)		***	0.02		0.02
ये पूरक अनुद	ानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The suppler	nentary Grants are required f	for:		
(क)		पुजित ऊर्जा) योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए	(a)	providing additional fund		Creation	of Capital Assets
( )	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त निधि मुहैया कराना (₹ 80.00 करोड़);		(=)	for North Eastern Region Interactive Renewable Po	under the S	Scheme 'S	
	अनुदान के इसी भाग में उपल अनुदान मांगा जाता है।	ब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक		Taking into account the sa Grant, a token supplemen	avings availab	le in the s	ame section of the
(ख)	'वाइन्ड पावर' (ग्रिड इंटरैक्टिव अतिरिक्त निधियां  उपलब्ध करा	पुर्नसृजित ऊर्जा) योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए ाना (₹ 100 00 करोड़)।	(b)	providing additional funds Power (Grid Interactive Re	s for subsidy	under t	
		(		. S or (Sria intoractive re		, (1 10	0.00 0.010).

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

...... जनस्था जनस्था करामा (र ।∪∪.∪ कराड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

### मांग संख्या DEMAND NO 72 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 71 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		_	<i>(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)</i>		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		27391.55	27391.55	
पूंजी	Capital	***	3709.00	3709.00	
जोड़	Total		31100.55	31100.55	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	1708.03	1708.03	
पूंजी	Capital		250.18	250.18	
जोड़	Total		1958.21	1958.21	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		1364.19	1364.19	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		1364.19	1364.19	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		34422.95	34422.95	
राजस्व	Revenue		30463.77	30463.77	
पूंजी	Capital		3959.18	3959.18	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाः	या जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	he following Major Head	:		
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		1364.19	1364.19	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्य सरकारों को विभेदक रायल्टी का भुगतान योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए (₹ 1929.49 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 565.30 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 1364.19 करोड़ नगद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

providing additional funds under the scheme 'Payment of Differential Royalty to State Governments' (₹ 1929.49 crore). Taking into account the savings of ₹ 565.30 crore are available with in the same section of the grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1364.19 crore.

#### मांग संख्या DEMAND NO 73

#### योजना मंत्रालय

#### MINISTRY OF PLANNING

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 72 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				ੀਫ਼ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		338.97	338.97
पूंजी	Capital		0.68	0.68
जोड़	Total		339.65	339.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		146.86	146.86
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		146.86	146.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		486.52	486.52
राजस्व	Revenue		485.84	485.84
पूंजी	Capital		0.68	0.68
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया ज	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹ 1.50 करोड़) तथा (ii) भारत की ऊर्जा नीतियों के लिए प्रस्तावित 'गहन समीक्षा' के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण (आईईए) को 50000 यूरो के स्वैच्छिक अंशदान के व्यय को पूरा करने के लिए 'अंशदान' (₹ 0.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) 'Grant in Aid General' for National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD) (₹ 1.50 crore) and (ii) 'Contributions' for meeting the expenditure of voluntary contribution of EUR50,000 to the International Energy Agency (IEA) for the proposed 'In Depth Review' for the energy policies of the India (₹ 0.40 crore).

### विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 73 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		•	0	(₹ करोड़ ) (In ₹ crore	<u>:s)</u>
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		13434.97	13434.97	
पूंजी	Capital		2334.95	2334.95	
जोड़	Total	•••	15769.92	15769.92	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		713.74	713.74	
पूंजी	Capital		0.01	0.01	
जोड़	Total	•••	713.75	713.75	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		2850.00	2850.00	
पूंजी	Capital		900.00	900.00	
जोड़	Total	<b></b>	3750.00	3750.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		20233.67	20233.67	
राजस्व	Revenue	•••	16998.71	16998.71	
पूंजी	Capital		3234.96	3234.96	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत र्	देखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und				
	,,	<i>भारित</i>	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2801-विद्युत	2801-Power		2850.00	( <b>कa</b> ) 2850.00	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			,	
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects		900.00	(खb) 900.00	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		3750.00	3750.00	
		वे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नर्ह	iं किया गया है जिन्हें	व्यय में से घटाकर समायोजित	
	Note: The above estimates of additional requirements of	do not take into account the rec	overies shown b	elow, which are adjusted	
	in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2801-विद्युत	2801-Power		(-)2850.00	(-)2850.00	
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects		(-)900.00	(-)900.00	

#### ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधियों का अंतरण
   (₹ 2850.00 करोड़) और 'समेकित विद्युत विकास योजना' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 77.59 करोड़)।
  - (ii) 'राष्ट्रीय विद्युत निधि को व्याज सब्सिडी' स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 33.00 करोड़)
  - (iii) 'विद्युत अपीलीय अधिकरण' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 0.02 करोड़)
  - (iv) 'स्मार्ट ग्रिड' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 7.36 करोड़)।

चूंकि केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में से ₹ 2850.00 करोड़ का व्यय पूरा किया जाएगा और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 117.97 करोड़ की बचतों का उपयोग कर लिया जाएगा इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

- (i) transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)
   (₹ 2850.00 crore) and providing Grant for creation of Capital
   Assets (₹ 77.59 crore) under the scheme 'Integrated Power Development Scheme';
  - providing additional funds under the scheme 'Interest subsidies to National Electricity Fund' (₹ 33.00 crore);
  - providing additional funds for Other administrative expenses under the scheme 'Appellate Tribunal for Electricity' (₹ 0.02 crore);
  - (iv) providing additional funds for Grant for creation of Capital Assets under the scheme 'Smart Grid'(₹ 7.36 crore);

As the expenditure of ₹ 2850.00 crore will be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) and utilising the savings of ₹ 117.97 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(ख) 'समेकित विद्युत विकास योजना ' स्कीम के अंतर्गत आवंटन हेतु केन्द्रीय सड़क और (b) अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधियों का अंतरण (₹ 900.00 करोड़)।

> चूंकि समेकित विद्युत वेिकास योजना स्कीम के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में से पूरा किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) to provide allocation under the scheme 'Integrated Power Development Scheme' (₹ 900.00 crore)

As the expenditure under the scheme Integrated Power Development Scheme will be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

संख्या NO. 75 (विनियोग)(APPROPRIATION)

### राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

### STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित	<i>(₹ कर⊺ेड़</i> स्वीकृत	) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted	Total
<i>।.विनियोग:</i>	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	60.05		60.05
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	60.05		60.05
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total	•••		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.42		0.42
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	0.42	•••	0.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	60.47	•••	60.47
राजस्व	Revenue	60.47		60.47
पूंजी	Capital	•••		
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the for	ollowing Major H	lead:	
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	0.42		0.42

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) ' कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अन्य प्रशासनिक व्यय' के तहत व्यय पूरा करना (₹ 0.20 करोड़) (ii) खराब वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु 'कार्यालय' व्यय के तहत व्यय पूरा करना (₹ 0.22 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary Grant/Appropriation is required for:

(i) meeting expenditure under 'Other Admn. Expenditure' on Staff Training (₹ 0.20 crore) (ii) meeting expenditure under 'Office Expenses' for replacement of condemned vehicles (₹ 0.22 crore). The above expenditure will entail cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 77

#### राज्य सभा

### **RAJYA SABHA**

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये ) (See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		•	(₹ करोड़ ) (In ₹ cror	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.22	386.72	387.94
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	1.22	386.72	387.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.13	23.84	24.97
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	1.13	23.84	24.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	23.37	23.37
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		23.37	23.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>2.35</i>	433.93	436.28
राजस्व	Revenue	<i>2.35</i>	433.93	436.28
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	following Major Hea	d:	
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures		23.37	23.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पांचवें संसदीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और मजदूरी का व्यय पूरा करना ।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on salary and wages on implementation of the recommendations of the Fifth Parliamentary Pay Committee.

The above expenditure will entail cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 80 रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 77 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		······································	2010-2019 and page 77 of the Ser			<i>भारित</i>		स्वीकृत		<sup>টোৰু</sup> ) (In ₹ crores) <b>जो</b> ड़
						Charged		Voted		Total
	' अनुदान	<i>T:</i>	I. ORIGINAL GRANT:							
राजस्व			Revenue			395.93		252703.08		253099.01
पूंजी			Capital			167.46		193103.31		193270.77
जोड़			Total			<i>563.39</i>		445806.39		446369.78
पूरक	अनुदान:	•	SUPPLEMENTARY GRANT:							
राजस्व	•		Revenue					0.01		0.01
पूंजी			Capital					0.02		0.02
जोड़			Total					0.03		0.03
इस सम	ग्य आवश	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amoun	t now	required	;				
राजस्व	•		Revenue			46.00				46.00
पूंजी			Capital			191.65		0.01		191.66
जोड़			Total			<i>237.65</i>		0.01		237.66
	मूल और प्	रूक)	Total (Original plus Supplementary)			801.04		445806.43		446607.47
राजस्व	Ī		Revenue			441.93		252703.09		253145.02
पूंजी			Capital			<i>359.11</i>		193103.34		193462.45
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	<u>ज्य</u> शीष	ीं के अंतर्गत विकास	ा दिखाया जायेगा:				
			II. This Supplementary Grants/Approp				r the foll	owing Major H स्वीकृत	eads:	<b>जৌ</b> ड़
						Charged		Voted		Total
राजस	व भाग		REVENUE SECTION			g		,,,,,		
मुख्य १			MAJOR HEAD							
		रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-	3002-Indian Railways - Commercial L	ines - '	Working	46.00	( <b>कa</b> )			46.00
	ल व्यय	(1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	Expenses		working	70.00	(1.4)	•••		10.00
पूंजी :	भाग		CAPITAL SECTION							
ूर-ग मुख्य १			MAJOR HEAD							
•		रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर		. Ca	mmoroio	101 65	(TTb)	0.01	(πο)	101.66
५००८- पंजी प	_	रलव वाणाज्यक लाइन पर	5002-Capital Outlay on Indian Railway Lines	s - Co	mmercia	l <i>191.65</i>	(खb)	0.01	(गc)	191.66
जोड़ (प						237.65		0.01		237.66
બારૂ (	<b>X</b> (4)		Total (Supplementary)			237.00		0.01		237.00
ये परव	अनदानें	निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The	sunnlem	entary Grants/Appr	onriatio	ns are required	l for	
(क)		अदालती डिक्रियों के कारण अति	रिक्त व्यय को परा करने के लिए।	(a)	Supploi	meeting additiona	•			ourt decrees:
( ")			में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी	(α)		•		•		the revenue - voted
		पूरक अनुदान मांगा जाता है।	1 5 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			section of the Gra		-		
(ख)		••	क्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के राजस्व-	(b)						court orders. Taking
(-)			ो ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा	(~)		•		•		al - voted section of
		जाता है।	g. 6			the Grant, a techi	-			
						,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-,
(ग)	(i)	मनामदरै-रामेश्वरम - दक्षिण रेलवे	वें के लिए पुल निर्माण कार्य शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय	(c)	(i)	Manamadurai-Ra	meswar	am - Recons	truction	of bridge (Pamban
. ,	( )	-		(-)	( )					248.97 crore through
		सहित पुल (पंबन वायाडक्ट) का प					-		-	ad 'Bridge Works' for
		(6.1.3.1 (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	3			Southern Railway				au Bridge Trome for
	(ii)	- ••	के लिए 'उत्पादन इकाइयों सहित कारखाने' शीर्ष के ा से कोच अनुरक्षण डिपो (चरण-1) का प्रावधान।		(ii)	Hazaribagh Tow	n - P			maintenance depot
		जसगत र ८०.। अ कराड़ का लागत	। त काय अनुरक्षण । इपा (चरण-1) का प्रावधीनी				-			e head 'Workshops
		अनदान के इसी भाग में उपलब्ध	ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक			including Product				•
		अनुदान मांगा जाता है।	ज न नता चल ज्यान च रजात हुए सामासक पूर्या			the Grant, a toker		•		the same section of
						ule Graffi, a lokel	supple	meniary is sol	agiit.	

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 81 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		the year 2010 2010 and page 01 of the oc		-	_		न्रोड़ ) (In ₹ crores)
			,	भारित Charred	स्वीकृत Voted		লীর Tatal
/	<del>-</del> -	LODIONAL ODANT	(	Charged	Voted		Total
<i>I. <b>मूल अनुदान</b> राजस्</i> व	7.	I. ORIGINAL GRANT:			22152 10		22452 40
पूंजी		Revenue		10.00	23153.10 118170.50		23153.10 118180.50
जोड़		Capital Total		10.00 10.00	141323.60		141333.60
	•	SUPPLEMENTARY GRANT:		70.00	141323.00		141333.00
<b>पूरक अनुदान.</b> राजस्व					0.01		0.01
पूंजी		Revenue			0.01 8565.40		0.01 8565.40
<sup>रूगा</sup> जोड़		Capital Total			8565.41		8565.41
इस समय आवश् पूरक अनुमान:	यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now requir	ed:	···	0300.41		0000.41
राजस्व		Revenue			0.02		0.02
पूंजी		Capital			9683.50		9683.50
जोड़		Total		•••	9683.52		9683.52
जोड़ (मूल और प	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		10.00	159572.53		159582.53
राजस्व		Revenue		•••	23153.13		23153.13
पूंजी		Capital		10.00	136419.40		136429.40
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grants will be accounted fo		ing Maior Head			
		,,		भारित	स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
			(	Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3054-सड़क औ	र पुल	3054-Roads and Bridges		***	0.01	(कa)	0.01
3055-सड़क परि	रेवहन	3055-Road Transport			0.01	(खb)	0.01
जोड़ <sub>्</sub> (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)			0.02		0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5054-सड़क औ परिव्यय	र पुलों पर पूंजी	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		•••	9683.50	(गc)	9683.50
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	9683.52		9683.52
		<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों किया जाता है !	में नीचे दर्शाई गयी वस्	ग्लियों को शामिल न	हीं किया गया है जिन्हें	व्यय में से घटा	कर समायोजित
		<b>Note:</b> The above estimates of additional requirement in reduction of expenditure.	ents do not take in	to account the r	ecoveries shown be	elow, which	are adjusted
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
5054-सड़क औ परिव्यय	र पुलों पर पूंजी	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges			(-)4840.75		(-)4840.75
मे परक अन्यन्त्रे	ਰਿਸ਼ ਕਿਲਿਤ ਤੇਤ ਆ	ਹੋਉਸ <b>਼</b> ਤੈਂ	The second	-10			
	निम्न लिखित हेतु अ अंद्रमान और नि	पाक्षत ह कोबार द्वीप समुह में सड़कों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सुजन के		ntary Grants are		cooto for	roads in Andomor o
(क) (i)	लिए अनुदान (₹	2.51 करोड़)।	(a) (i)	Nicobar Islands	s (₹ 2.51 crore).		roads in Andaman &
(II)		र्षें को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.12 करोड़)।	(11)		Corporation Limit		ys and Infrastructure neeting pre-operative
	अनुदान के इसी जाता है।	भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into ac			the same section of
(ख)		: प्रदूषण जांच उपकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पर अन्य प्रभारों क्त व्यय (₹ 0.50 करोड़)।	(b)	additional expe Safety and	enditure under Oth	er Charges	on account of Road nt and Programme
	अनुदान के इसी जाता है।	भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into ac			the same section of
(ग) (i)	राष्ट्रीय  राजमार्ग (₹ 4840.75 क	ंनिधि का मौद्रीकरण को निधियों का अंतर लेखा अंतरण रोड़)।	(c) (i)	Inter Account		ls to Mon	etization of National

- (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मौद्रीकरण में से वित्तपोषित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश (₹ 4840.75 करोड़)। इसकी पूर्ति समतुल्य वसूलियों से हो जगारी।
- (iii) सीआरआईएफ में से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 2200 करोड़)।
- (iv) एकीकृत आईपी आधारित सुरक्षा एवं निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यालयी व्यय (₹ 2.50 करोड़)।
- (v) बोनस शेयरों के अभिदान के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 2 करोड़)। इसकी पूर्ति समतुल्य नोशनल प्राप्तियों से हो जाएगी।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और समतुल्य वसूलियों और प्राप्तियों को ध्यान में रखने के पश्चात, इसमें ₹ 4840.75 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ii) Investment in NHAI financed from Monetization of National Highways Fund (₹ 4840.75 crore). This will be matched by recoveries.
- (iii) additional expenditure for Major Works under the National Highways Original Works financed from CRIF (₹ 2200 crore).
- (iv) Office Expenses on Information Technology for purchase of integrated IP based Security and Surveillance System (2.50 crore).
- (v) additional equity investment in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited by way of subscribing bonus shares (₹ 2 crore). This will be matched by notional receipts

Taking into account the savings available within the same section of the Grant and after matching recoveries and receipts, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 4840.75 crore.

# मांग संख्या DEMAND NO 82 ग्रामीण विकास विभाग

### DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 83 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				भारित	स्वीकृत	<i>(₹ कर</i>	<sup>]</sup> ड़ ) (In ₹ crores <b>जॊड़</b>
				Charged	Voted		Total
'. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL G	GRANT:					
जस्व -	Revenue				183393.17		183393.17
जी	Capital				5.25		5.25
गेड़	Total				183398.42		183398.42
(रक अनुदान:	SUPPLEMENT	TARY GRANT:					
जस्व	Revenue				6084.16		6084.16
जी	Capital				0.01		0.01
ोड़	Total				6084.17		6084.17
स समय आवश्यक रकम का पूरक	अनुमान: Supplementary E	stimate of the amount no	w required:				
जस्व	Revenue				0.02		0.02
जी	Capital						
ोड़	Total				0.02		0.02
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original pl	us Supplementary)			189482.61		189482.61
जस्व	Revenue				189477.35		189477.35
जी	Capital				5.26		5.26
	II. इस पूरक अनुदान	का हिसाब निम्नलिखित मुख्य र्श	ीर्षों के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:			
	II. This Suppleme	entary Grants will be acco	ounted for under	the following Major I	Head		
				भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
				Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SE	CTION					
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat	-Economic Services			0.01	( <b>कa</b> )	0.01
505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Empl	oyment			0.01	(खb)	0.01
गोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue S	Section)		···	0.02		0.02
पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु	अपेक्षित हैं	1	The supplement	ary Grants are requi	red for:		
	गंतर्गत कार्यालय भवन की मरम्मत के लिष् न शीर्ष को खोलना  (₹ 0.20 करोड़);		<ul> <li>(a) opening of new object head for providing allocation for rep office building under secretariat (₹ 0.20 crore);</li> </ul>		cation for repairs		
अनुदान के इस अनुदान मांगा र	ो भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में <sup>:</sup> ⊓ता है।	रखते हुए सांकेतिक पूरक	T	aking into account th rant, a token supple	e savings availa	ble in the	same section of t
	रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदृ अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना (₹ 100 क		(b) pi	roviding additional sbursement under uarantee Scheme (₹	fund for set the scheme I	ervice c	•

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक

अनुदान मांगा जाता है।

### मांग संख्या DEMAND NO 84 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पुरक मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 85 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		-		रोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5067.36	5067.38
पूंजी	Capital		67.50	67.50
जोड़	Total	0.02	5134.86	5134.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	0.02	0.02
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	5134.90	5134.92
राजस्व	Revenue	0.02	5067.39	5067.41
पूंजी	Capital		67.51	67.51
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत f	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	ler the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन (₹ 40 करोड़), राष्ट्रीय अंतविर्षयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन (₹ 0.01 करोड़), अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाली स्कीम का कार्यान्वयन (₹ 53.50 करोड़), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण के अंतर्गत इंस्पायर पुरस्कार-मानक के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 1 करोड़), तथा नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और पिनियोजन के अंतर्गत स्वच्छता कार्रवाई योजना (₹ 0.01 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान (ii) नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और पिनियोजन (₹ 30 करोड़) और राष्ट्रीय अंतविर्षयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन (₹ 0.01 करोड़) को पुंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards (i) Grants in Aid General for Innovation Technology Development and Deployment (₹ 40 crore), National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System (₹ 0.01 crore), Impacting Research, Innovation and Technology (₹ 53.50 crore), Special Component Plan for Schedule Castes of INSPIRE Award -Manak under Science & Technology Institutional and Human Capacity Building (₹ 1 crore) and to Swachhata Action Plan identified under Innovation Technology Development and Deployment (₹ 0.01) (ii) Grants for creation of capital Assets for Innovation Technology Development and Deployment (₹ 30 crore) and to National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System (₹ 0.01 crore)

#### जैव प्रौद्योगिकी विभाग

#### DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये ) (See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

Demanus	ioi Giants for the year	2010-2019)				(₹ करोः	₹ ) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत	(1 4)(1)	, ) (III ( CIOIES) जोड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान	ਜ•	I. ORIGINAL GRANT:		ona.gou	70.00		
राजस्व	•	Revenue			2411.53		2411.53
पूंजी		Capital			2411.00		
जोड़		Total		•••	2411.53		2411.53
पूरक अनुदान	•	SUPPLEMENTARY GRANT:		<b></b>	2111.00		2411.00
राजस्व	•	Revenue			0.02		0.02
पूंजी		Capital					
जोड़		Total			0.02		0.02
इस समय आवश	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	nt now required		5.52		5.52
राजस्व		Revenue			0.02		0.02
पूंजी		Capital					
जोड़		Total			0.02		0.02
जोड़ (मूल और	पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		***	2411.57		2411.57
राजस्व		Revenue		•••	2411.57		2411.57
पूंजी		Capital		***			•••
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा <sup>.</sup>			
		II. This Supplementary Grants will be a			ad		
		,		भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		-			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर	क्षेत्र	2552-North Eastern Areas			0.01	( <b>कa</b> )	0.01
3425-अन्य वैज्ञ	गिनक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भ	ाग)	Total (Revenue Section)		•••	0.02		0.02
Z					-		
., .	निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं केर प्रोक्टेंपिनी अनुसंस्कृत पनं ि	वेकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए		nentary Grants are required f			
(क)	अनुदानों के लिए व्यय पूरा करना		(a)	Meeting expenditure towa			
		ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक		for Biotechnology Research	•	•	•
	अनुदान मांगा जाता है।	ज नन्या वर्ष उनाम म रखत हुए सामासमा मूर्या		Taking into account the sa Grant, a token supplement			arrie section of the
(ख)	निम्नलिखित के लिए व्यय परा क	रने के लिए (i) स्वायत्त संस्थानों को वेतन सहायता	(b)	Meeting expenditure towar			alary to Assistance
(3)	, ,,	जैव प्रोद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास के लिए	(5)	to Autonomous Institution	. ,		•
	पंजीगत आस्तियों के सुजन के लि	9 .		creation of Capital As	•	,	. ,
	C	, ( =====/.					J,

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक

अनुदान मांगा जाता है।

Development (₹ 20.90 crore)

Grant, a token supplementary is sought.

Taking into account the savings available in the same section of the

#### मांग संख्या DEMAND NO 86 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

#### पशानिक आर आद्यागिक अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

			(₹ क	रोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4786.97	4786.97
पूंजी	Capital		9.00	9.00
जोड़	Total	•••	4795.97	4795.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	···	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4795.98	4795.98
राजस्व	Revenue		4786.98	4786.98
पूंजी	Capital		9.00	9.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जा	येगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following	llowing Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सीएसआईआर के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 21.78 करोड़) (ii) औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के पेटेंट अधिग्रहण एवं सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (पेस) के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 0.54 करोड़) (iii) औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के पेटेंट अधिग्रहण एवं सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.27 करोड़) (iv) औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के औद्योगिक आरएण्डी एवं सामान्य अनुसंधान सुविधाओं (बीआईआरडी) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़)। (v) औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के तकनीकी विकास एवं प्रसार के लिए ज्ञान प्राप्ति (ए2के+) के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid Salaries (₹ 21.78 crore) for National Laboratories of CSIR (ii) Subsidy(₹ 0.54 crore) under Patent Acquisition and Collaborative Research & Technology Development(PACE) of Industrial Research & Development Scheme (iii) Grants-in-Aid General(₹ 0.27 crore) under Patent Acquisition and Collaborative Research & Technology Development(PACE) of Industrial Research & Development Scheme (iv) Grants for creation of capital assets(₹ 2.50 crore) under Building Industrial R&D and Common Research Facilities (BIRD) of Industrial Research & Development Scheme (v) Other Administrative Expenses(₹ 0.01 crore) under Access to Knowledge for Technology Development & Dissemination (A2K+) of Industrial Research & Development Scheme.

### नौवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पुरक मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 86 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		•	•	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1839.47	1839.47
पूंजी	Capital		421.66	421.66
जोड़	Total		2261.13	2261.13
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		343.61	343.61
पूंजी	Capital	***	***	
जोड़	Total	•••	343.61	343.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital	***	125.00	125.00
जोड़	Total	•••	125.01	125.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2729.75	2729.75
राजस्व	Revenue	•••	2183.09	2183.09
पूंजी	Capital		546.66	546.66
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखा	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under			
	,	<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport		0.01	(कa) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			. ,
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5 5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses		125.00	(खb) 125.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		125.01	125.01
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दश् समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do r			
	adjusted in reduction of expenditure.			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses		(-)125.00	(-)125.00

(b)

#### ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) (i) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.95
  - (ii) निम्नलिखित के लिए उप परियोजनाओं को कार्यान्वित और शुरू करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) मल्टी मॉडल टर्मिनल, का निर्माण (एमएमटी), वाराणसी (ii) एमएमटी, साहिबगंज का निर्माण (iii) फरक्का में नैविगेशनल लॉक और (iv) एमएमटी, हिल्दया का निर्माण और जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत अन्य आनुषांगिक परियोजनाएं (ईएपी- ₹ 26.95 करोड़ और प्रतिरूप निधियन ₹ 25 करोड़)।
  - (iii) बांग्लादेश को सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.64 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को निधियाोंं का अंतर लेखा अंतरण (₹ 125 करोड़)
  - (ii) सीआरआईएफ से वित्त पोषित सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) में निवेश (₹ 125 करोड़)।

#### The supplementary Grants are required for:

- (i) Grant-in-aid General to Inland Water Transport Authority of India (₹ 1.95 crore).
  - (iii) Grants for creation of Capital Assets for implementation & commissioning of sub projects (i) Construction of Multi-Modal Terminal (MMT), Varanasi (ii) Construction of MMT, Sahibganj (iii) Navigational lock at Farakka and (iv) Construction of MMT, Haldia and other ancillary projects under Jal Marg Vikas Project (EAP ₹ 26.95 crore and Counterpart funding ₹ 25 crore).
  - (iii) Grants-in-aid General for release of aid to Bangladesh (₹ 0.64 crore).
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - (i) Inter Account Transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 125 crore).
  - (ii) Investment in Sagarmala Development Company (SDC) financed from CRIF (₹ 125 crore).

(iii) वर्ष 2016-17 में सागरमाला विकास कंपनी को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों का निवेश में परिवर्तन के कारण पूर्व आवधिक लेखा समायोजन (पीपीएए) करना (₹ 90 करोड़)। इसकी पूर्ति नोशनल प्राप्तियों से हो जाएगी और कोई नकद व्यय नहीं होगा।

अनुदान के इसी भाग भाग में उपलब्ध समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। (iii) Carrying out Prior Period Accounting Adjustment (PPAA) on account of conversion of Grants for creation of Capital Assets released to Sagarmala Development Company in the year 2016-17 into Investment (₹ 90 crore). This will be matched by notional receipts and will not entail any cash outgo.

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

#### कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

#### MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये ) (See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 87 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

Suppler	mentary Demands for G	rants for the year 2018-2019)					
				भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़	) (In ₹ crores, উীয়
				Charged	Voted		Total
I. मूल अनुः	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		***	3141.00		3141.00
पूंजी		Capital			259.00		259.00
जोड़		Total			3400.00		3400.00
पूरक अनुद	गन:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
र राजस्व		Revenue			0.01		0.01
पूंजी		Capital					
जोड़		Total		***	0.01		0.01
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	t now require				
राजस्व	2 3	Revenue	•		0.03		0.03
पूंजी		Capital					
जोड़		Total		***	0.03		0.03
जोड़ (मूल अं	ौर पुरक)	Total (Original plus Supplementary)		···	3400.04		3400.04
राजस्व		Revenue		•••	3141.04		3141.04
पूंजी		Capital		•••	259.00		259.00
••		 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ह्य भीगों के अंचर्र				
		II. This Supplementary Grants will be a			ad		
		ii. This cupplementary crants will be a	accounted for	भारित	<sub>यय</sub> स्वीकृत		<b>जो</b> ड
				Charged	Voted		Total
राजस्व भा	ग	REVENUE SECTION		Onlargou	10.00		i otai
स मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD					
•	वालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services			0.01	(कa)	0.01
	रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill D	ovolonmont	***	0.01	(কa) (खb)	0.01
	: सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governme		***	0.01	(अb) (गc)	0.01
300 ।-राज्य <b>जोड़ (राजस्</b> व		Total (Revenue Section)	:1115	***	0.01	(10)	0.03
गाइ (राजस्य	1 411)	Total (Revenue Section)		•••	0.03		0.03
ये पूरक अनुद	दानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The suppler	mentary Grants are required	for:		
( <del>क</del> )		कुली शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय से	(a)	meeting expenditure to		etariat-Soc	ial Service' fo
(1)		न निदेशालय के अंतर्गत प्रयोजन-शीर्षों को खोलने के	(4)	opening object-heads u			
		हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.38 करोड़)।		Sansthan transferred fr			
		(3		Ministry of HRD during the			
	अनदान के इसी भाग में उपलब	ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the sa	•		•
	जाता है।			Grant, a token supplemen	•		000 01 111
(ख)		योजना (पीएमकेवीवाई) के केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय	(b)	meeting expenditure towa			neral' for meeting
· · · /	( )	अंतर्गत मांगों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता	(-)	demands under Centrally	.,		
		र (ii) अरुणाचल प्रदेश में 09 नए आईटीआई की		component of Pradhan	•		•

(c)

ख) (i)प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधन (सीएससीएम) घटक के अंतर्गत मांगों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 143.01करोड़)और (ii) अरुणाचल प्रदेश में 09 नए आईटीआई की स्थापना तथा सिक्किम में विद्यमान 03 आईटीआई के उन्नयन के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 15 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) अौद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृद्धीकरण (स्ट्राइव) उप-स्कीम के अंतर्गत आईटीआई का उन्नयन आदर्श आईटीआई में करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने लिए (₹ 40 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

meeting expenditure towards (i) 'Grants-in-aid-General' for meeting demands under Centrally Sponsored Central Management (CSCM) component of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) (₹ 143.01 crore) and (ii) 'Grant for Creation of Capital Assets' for establishing 9 new ITIs in Arunachal Pradesh and upgradation of 3 existing ITIs in Sikkim (₹ 15 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards 'Grant-in-Aid General' for upgradation of ITIs to Model ITIs under sub-scheme Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE)

### सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 88 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

•				, (₹ कराॆड़	) (In ₹ cron
		भारित	स्वीकृत		<b>জী</b> র
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व	Revenue		7342.60		7342.60
जी	Capital		407.40		407.40
इ	Total	•••	7750.00		7750.00
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
जस्व <sup>ँ</sup>	Revenue	***	2419.77		2419.77
नी	Capital		0.01		0.01
इ	Total		2419.78		2419.78
। समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जस्व	Revenue		80.02		80.02
नी	Capital				
इ	Total		80.02		80.02
ड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		10249.80		10249.80
जस्व	Revenue		9842.39		9842.39
री	Capital		407.41		407.41
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under th		Head		
		<i>भारित</i>	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted		Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
<b>ड्य</b> शीर्ष	MAJOR HEAD				
225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,	***	0.01	(कa)	0.01
छड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities				
?35-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(खb)	0.01
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र <sup>°</sup>	2552-North Eastern Areas		13.52	(गc)	13.52
601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	***	66.48	(ঘd)	66.48
ोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		80.02		80.02

(b)

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

- (क) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) अ.जा. के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 10 करोड़), (2) अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (₹ 50 करोड़) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (₹ 20 करोड़)
  - . अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) सूचना और जनशिक्षा सेल योजना के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 10.00 करोड़)
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) अ.जा. के लिए दसवीं (मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 13.52 करोड़)
  - अनुदान के पूंजी मांग में उपलब्ध ₹ 13.52 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (1) अ.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 1366.48 करोड़), (2) अनुसूचित जाति उपघटक को विशेष केन्द्रीय सहायता (₹ 100 करोड़), (3) अनुसूचित जातियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 15.55 करोड़), (4) अपिवों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 100 करोड़), (5) अपिवों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 116.75 करोड़), और (6) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 30 करोड़) और (ii) योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) महिला अनुसूचित जाति के लिए हास्टल (₹ 10 करोड़) और अपिवों के लिए पुरुष एवं महिला हास्टल (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के पूंजी मांग में उपलब्ध ₹ 66.48 करोड़ की बचतों के अभ्यपर्ण को देखते हुए उपरोक्त में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।

- GIA General under the Scheme (1) Assistance to Voluntary Organisations for SCs (₹ 10 crore), (2) National fellowship for OBCs and EBCs (₹ 50 crore) and (3) National Commission for Backward Classes (₹ 20 crore).
  - Taking into account the matching savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Advertising and Publicity under Scheme of Information and Mass Education Cell (₹ 10.00 crore)
  - Taking into account the matching savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - GIA General under the Scheme Post Matric Scholarship for SCs (₹ 13.52 crore)
  - Taking into account the surrender of savings of ₹ 13.52 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
  - (1) GIA General under the scheme (i) Post matric Scholarship for SCs (₹ 1366.48 crore), (ii) Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub Component (₹ 100 crore), (iii) Pre Matric Scholarship for SCs(₹ 15.55 crore), (iv) Pre Matric Scholarship for OBCs (₹ 100 crore), (v) Post Matric Scholarship for OBCs (₹ 116.75 crore) and (vi) Post Matric Scholarship for Economically Backward Classes (₹ 30 crore) and (2) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (i) Girls Hostel for SCs (₹ 10 crore) and (ii) Boys and Girls Hostel for OBCs (₹ 10 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 66.48 crore, available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

#### विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

#### DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 90 देखिये ) (See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 90 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				(₹ करोड़ ) ( <u>In</u> ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1031.52	1031.52
पूंजी	Capital		38.48	38.48
जोड़	Total	•••	1070.00	1070.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		17.74	17.74
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		17.74	17.74
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1087.75	1087.75
राजस्व	Revenue		1049.27	1049.27
पूंजी	Capital		38.48	38.48
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		ad	
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		17.73	( <b>कa</b> ) 17.73
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	17.74	17.74

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(क) योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (1) राष्ट्रीय संस्थान (सामान्य के लिए [(₹ 6 करोड़), (अ.जा. के लिए ₹ 1.70 करोड़), और (अ.ज.जा. के लिए (₹ 0.50 करोड़), (2) राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता (₹ 3 करोड़) (3) कृत्रिम अंग निर्माण निगम (₹ 4.58 करोड़) (ii) योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय संस्थान (₹ 3.50 करोड़) और (2) सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (₹ 0.25 करोड़), (iii) राष्ट्रीय संस्थान योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान (₹ 8 करोड़ सामान्य के लिए), (₹ 13 करोड़ अ.जा. के लिए और (₹ 7 करोड़ अ.ज.जा. के लिए, (iv) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वर्जीफा (₹ 4.73 करोड़, सामान्य के लिए) और सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 3.42 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 17.73 करोड़ बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) दृष्टि बाधित, बिधर, मानिसक रूप से विकलांग और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के विस्तार एवं सुधार योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 2 करोड़) और (ii) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/वजीफा (₹ 2.61 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(i) Grant in Aid General under the scheme (1) National Institutes [(₹ 6 crore for General), (₹ 1.70 crore for SC), and (₹ 0.50 crore for ST)], (2) Budgetary Support to National Trust (₹ 3 crore) and (3) Artifical Limbs Manufacturing Corporation (₹ 4.58 crore), (ii) Grant in Aid Salary under the scheme (1) National Institutes (₹ 3.50 crore) and (2) Establishment of Institute of Sign Language Research and Training Centre (₹ 0.25 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institutes [(₹ 8 crore for General), (₹ 13 crore for SC) and (₹ 7 crore for ST)], (iv) Scholarship/Stipend under the Scheme Scholarship for Student with Disabilities (₹ 4.73 crore for General) and (v) Additional Expenditure under Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances (₹ 3.42 crore).

Taking into account savings available in the same section of the grant and surrender of ₹ 17.73 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.

(i) Grant in Aid General under the scheme Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthapaedically Handicapped (₹ 2 crore) and (ii) Scholarship/Stipend under the scheme of Scholarship for Students with Disabilities (₹ 2.61 crore)

### मांग संख्या DEMAND NO 91 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 91 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

·		भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करो</i> ,	ड ) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
राजस्व	Revenue	0.60	5495.58		5496.18
पूंजी	Capital	0.40	5286.84		5287.24
जोड़	Total	1.00	10782.42		10783.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total	•••	0.04		0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	168.07		168.07
पूंजी	Capital		248.47		248.47
जोड़	Total		416.54		416.54
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	11199.00		11200.00
राजस्व	Revenue	0.60	5663.67		5664.27
पूंजी	Capital	0.40	5535.33		5535.73
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिख	बाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	r the following Major H	ead		
		भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	***	15.00	( <b>कa</b> )	15.00
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research		153.07	(खb)	153.07
जोड़_(राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		168.07		168.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research		248.47	(गc)	248.47
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	416.54		416.54

(c)

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(क) मध्यस्थता व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 15 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) अं.वि./इसरो केंद्र/इकाइयों के परिचालनिक व्यय को पूरा करने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर (₹ 31.00 करोड़), इसरो मुख्यालय (₹ 10.03 करोड़), मानव मिशन कार्य/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) (₹ 100 करोड़), सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास परियोजना (₹ 22 करोड़), पूर्वोत्तर क्षेत्र अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र के पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5.00 करोड़) रेस्पांड को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.20 करोड़), भारतीय चंद्र मिशन - चंद्रयान 1 एवं 2 (₹ 25.31 करोड़), इनसैट- 4 उपग्रह (₹ 4.59 करोड़), जी सैट-29 उपग्रह (₹ 13.62 करोड़), जी आई सैट (₹ 5.09 करोड़), रिसैट-1वी (₹ 2.23 करोड़), जी सैट 22/23/24 उपग्रह (₹ 5.40 करोड़), नैविगेशनल उपग्रह प्रणाली (₹ 3.79 करोड़) और जी सैट-30/31/32 उपग्रह (₹ 27.47 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 153.07 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना के लिए 1. योजनाओं के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण (i) पोलर सेटेलाइट लुआंच वेहिकल-जारी (पीएसएलवी-सी) परियोजना (₹ 15.00 करोड़) (ii) इसरो सेटेलाइट सेंटर (आईएसएसी) (₹ 5.00 करोड़) (iii) सेमी-क्रियोजेनिक इंजिन विकास (₹ 4.20 करोड़) (iv) इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) (₹ 11.04 करोड़) (v) द्वितीय राकेट समुच्चयन भवन का निर्माण (एसवीएबी) (₹ 17.40 करोड़) (vi) रिसोर्ससैट-3 एवं 3ए (₹ 0.20 करोड़), (vii) लघु उपग्रह संचार वाहन विकास (एसएसएलवी) (₹ 3.34 करोड़) (viii) भारतीय चंद्र मिशन-चंद्रायान-1 एवं 2 (₹ 8.17 करोड़) (ix)

The supplementary Grants are required for:

) meeting arbitration expenses (₹ 15 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

Meeting expenditure towards the operational expenses of DOS/ISRO Centres/Units namely Satish Dhawan Space Centre (₹ 31.00 crore), ISRO Headquarters (₹ 10.03 crore), Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹ 100 crore), Semi Cryogenic Engine Development Project (₹ 22 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) of North-Eastern Space Applications Centre, Grant-in-Aid General of RESPOND (₹ 1.20 crore), Indian Lunar Mission - Chandrayaan-18.2 (₹ 25.31 crore), INSAT - 4 Satellite (₹ 4.59 crore), GSAT-29 Satellite (₹ 13.62 crore), GISAT (₹ 5.09 crore), RISAT-1B (₹ 2.23 crore), GSAT 22/23/24 Satellites (\* 5.40 crore), Navigational Satellite System (₹ 3.79 crore) and GSAT-30/31/32 Satellites (₹ 27.47 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 153.07 crore.

Meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment under the Schemes (i) Polar Satellite Launch Vehicle – Continuation (PSLV-C) Project (₹ 15.00 crore) (ii) ISRO Satellite Centre (ISAC) (₹ 5.00 crore) (iii) Semi-cryogenic Engine Development (₹ 4.20 crore) (iv) ISRO Telemetry, Tracking & Command Network (ISTRAC) (₹ 11.04 crore) (v) Realisation of Second Vehicle Assembly Building (SVAB) (₹ 17.40 crore) (vi) Resourcesat-3 & 3A (₹ 0.20 crore), (vii) Small Satellite Launch

एक्स रे पोलरिमीटर उपग्रह (एक्सपोसोट) (₹ 0.25 करोड़) (x) इनसैट-4/जी सैट उपग्रह (₹ 1.54 करोड़) (xi) जी सैट-17 उपग्रह (₹ 1.46 करोड़), (xii) जी सैट 29 उपग्रह (₹ 4.26 करोड़) (xiii) ट्राइसोनिक वाइन्ड टनल सुविधा (₹ 7.42 करोड़) (xiv) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (₹ 127.94 करोड़) 2. योजनाओं के अंतर्गत अन्य पुंजीगत व्यय (i) रिसैट 1बी (₹ 7.72 करोड़) (ii) मानव मिशन पटल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) (₹ 257 करोड़) (iii) आदित्य (₹ 25.25 करोड़) (iv) जी सैट-20 उपग्रह (₹ 43.85 करोड़) (v) जी सैट-30/31 संचार स्पेसक्राफ्ट-लुआंच सेवाएं (₹ 17.47 करोड़) 3. योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख कार्य (i) सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र - एसएचएआर (एसडीएससी-शार) (₹ 7 करोड़) (ii) पीएसएलवी समेकन सुविधा (पीआईएफ) (₹ 20 करोड़) (iii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी) (₹ 35 करोड़) (iv) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) (₹ 17 करोड़) 4. सूचना प्रौद्यौगिकी योजनाओं के अंतर्गत मशीनरी एवं उपस्कर (i) विद्युत प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला (लियोस) (₹ 1.77 करोड़) (ii) सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र – शार (एसडीएससी-शार) (₹ 3.70 करोड़) (iii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी) (₹ 25 करोड़) (iv) आपदा प्रबंधन सहायता (डीएमएस) (₹ 0.60 करोड़) (v) इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रैक) (₹ 2.37 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 248.47 करोड़ का नकद व्यय होगा। Vehicle (SSLV) Development (₹ 3.34 crore) (viii) Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹ 8.17 crore) (ix) X-Ray Polarimeter Satellite (Xposat) (₹ 0.25 crore) (x) INSAT-4/GSAT Satellites (₹ 1.54 crore) (xi) GSAT-17 Satellite (₹ 1.46 crore), (xii) GSAT 29 Satellite (₹ 4.26 crore) (xiii) Trisonic Wind Tunnel Facility (₹ 7.42 crore) (xiv) Space Applications Centre (₹ 127.94 crore) 2. Other Capital Expenditure under the Schemes (i) RISAT 1B (₹ 7.72 crore) (ii) Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹ 257 crore) (iii) Aditya (₹ 25.25 crore) (iv) GSAT-20 Satellite (₹ 43.85 crore) (v) GSAT-30/31Communication Spacecrafts - Launch Services (₹ 17.47 crore) 3. Major Works under the Schemes (i) Satish Dhawan Space Centre - SHAR (SDSC-SHAR) (₹ 7 crore) (ii) PSLV Integration Facility (PIF) (₹ 20 crore) (iii) Space Applications Centre (SAC) (₹ 35 crore) (iv) National Remote Sensing Centre (NRSC) (₹ 17 crore) 4. Information Technology - Machinery & Equipmentunder the Schemes (i) Laboratory for Electro Optics Systems (LEOS) (₹ 1.77 crore) (ii) Satish Dhawan Space Centre - SHAR (SDSC-SHAR) (₹ 3.70 crore) (iii) Space Applications Centre (SAC) (₹ 25 crore) (iv) Disaster Management Support (DMS) (₹ 0.60 crore) (v) ISRO Telemetry, Tracking & Command Network (ISTRAC) (₹ 2.37 crore) Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 248.47 crore.

# सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

# MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

Census(₹ 13.00 crore).

Grant, a token supplementary is sought.

Taking into account the savings available in the same section of the

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 93 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				भारित	स्वीकृत	(₹ करॊड़	r ) (In ₹ crores जॊड
				Charged	Voted		Total
. मूल अनु	ढान <sup>.</sup>	I. ORIGINAL GRANT:					. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 जस्व	37.17	Revenue			4844.00		4844.00
<del></del> चुंजी		Capital			15.00		15.00
् नोड़		Total			4859.00		4859.00
पुरक अनुद	गनः	SUPPLEMENTARY GRANT:					
ाजस्व		Revenue			69.64		69.64
जी		Capital					
ोड़		Total			69.64		69.64
स समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amour	nt now requi	red:			
ाजस्व	" "	Revenue	•		0.02		0.02
जी		Capital					
गेड़		Total		•••	0.02		0.02
ोड़ (मूल अं	ौर पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		•••	4928.66		4928.66
ाजस्व		Revenue		•••	4913.66		4913.66
<b>ज</b> ी		Capital		•••	15.00		15.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will be			ead		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		भारित	स्वीकृत		<b>जৌ</b> ड़
				Charged	Voted		Total
ाजस्व भा	ग	REVENUE SECTION					
<b>ख्य</b> शीर्ष		MAJOR HEAD					
.552-पूर्वोत्त	तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas			0.01	(कa)	0.01
454-जनग	णना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics			0.01	(खb)	0.01
ोड़ (राजस्व	व भाग)	Total (Revenue Section)		•••	0.02		0.02
पूरक अनुद	दानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The supp	lementary Grants are required	for:		
<b>事</b> )	'सांख्यिकीय सद्दृढ़ीकरण हेत् स	हायता' के लिए 'क्षमता विकास योजना' के सामान्य	(a)	meeting expenditure tow		n-Aid Gen	eral' of 'Capaci
,	0 1	रा करने के लिए (₹ 6.73 करोड़)।	` '	Development Scheme' for			•
		,		(₹ 6.73 crore).			
	अनुदान के इसी भाग में उपलब जाता है।	ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the sa Grant, a token supplement	-		ame section of th
ब)	निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त	व्यय को पूरा करने के लिए (i) आर्थिक जनगणना की	(b)	meeting expenditure tow			vel Expenses' f
•	-	"घरेलू यात्रा व्यय" (₹ 0.27करोड़) और (ii) आर्थिक	. ,	additional requirement of	. ,		
		श्यकता के लिए "व्यावसायिक सेवाएं" (₹ 13.00		'Professional Service'			
	<del></del>			O(# 40 00)			

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा

जाता है।

#### मांग संख्या DEMAND NO 93

### इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 94 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		•	<i>(₹ कराॆड़ ) (I</i>		
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		47.90	47.90	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	***	47.90	47.90	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	105.76	105.76	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		105.76	105.76	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		1.24	1.24	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		1.24	1.24	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	154.90	154.90	
राजस्व	Revenue	***	154.90	154.90	
पूंजी	Capital	***	•••	•••	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाय	या जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under th	ne following Major Head:			
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		1.24	1.24	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं: वेतन और गैर वेतन शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 1.24 करोड़ का नकद

The supplementary Grant is required for:

Meeting the additional requirement under salary and other heads (₹ 3.78 crore.)

Taking into account savings available within same section of Grant, this will entail cash outgo of ₹ 1.24 crore.

#### कपड़ा मंत्रालय

#### MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 70 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 95 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

श्वाहित   श्वहित		2010 2010 and page 00 of the occord dapplement	,	0.0	e ,ea. =e .e =e . (₹ करोड़ ) (In ₹ cro	,
I. स्ल अनुवानः         I. ORIGINAL GRANT:           राजस्व         Revenue          7109.84         7107.85         7104.773         7147.73			<i>भारित</i>	स्वीकृत		,, CS,
I. स्ल अनुवानः         I. ORIGINAL GRANT:           राजस्व         Revenue          7109.84         7109.84         7109.84         937.89         37.89			Charged	Voted	Total	
स्वास्त   Revenue   Revenue     7109.84   7109.84   गूर्व   गूर्व   विकास     37.89	।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	-			
पांड		Revenue		7109.84	7109.84	
प्राप्त अनुवातः SUPPLEMENTARY GRANT:  राजस्व	पूंजी	Capital		37.89	37.89	
स्व प्रकार विकार	जोड़	•		7147.73	7147.73	
संजलक पूर्व प्रवास	पुरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
पूंजी तिहा	•	Revenue		1500.05	1500.05	
स्वसमय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	पूंजी	Capital		0.01	0.01	
Revenue 0.03 0.03 1.003 1	जोड़	Total	•••	1500.06	1500.06	
पूँजी	इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 8660.82 8660.82 राजस्व Revenue 8609.92 8609.92 ऐंज़ी		Revenue		0.03	0.03	
निवा (	पूंजी	Capital		13.00	13.00	
पूंजी Capital 8609.92 पूंजी Capital 50.90    . इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:   . This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारित स्वीकृत जोइ    Total शारित स्वीकृत प्राथा जोइ    Total शारित अविवास का स्वास्त्र शारी के अंतर्गत दिखाया जायेगा:   II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारित क्वा जोइ    Total शारित शारी शारी शारी शारी शारी शारी शारी शारी	जोड़	Total	•••	13.03	13.03	
पूँजी	जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	8660.82	8660.82	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:   III. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारित स्विकृत जोइ	राजस्व	Revenue		8609.92	8609.92	
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head श्रारित स्वीकृत जोंड़   Charged (Voted Total (Tजस्व भाग REVENUE SECTION     मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD     2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas     0.01   (कa)   0.01     2851-ग्राम एवं लघु उद्योग 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग 2852-Industries     0.01   (गट)   0.01     2852-उद्योग 2852-उद्योग 2852-Industries     0.01   (गट)   0.01     जोंड़ (राजस्व भाग)   Total (Revenue Section)     0.03   (गट)   0.03     पूर्णी भाग   CAPITAL SECTION     मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD     4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय   4851-Capital Outlay on Village and Small Industries     13.00   (घ्रेत)   13.00	पूंजी	Capital	···	50.90	50.90	
स्विकृत प्रोड (Charged Voted Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION (अधीर प्राचित क्षेत्र अधीर (अधीर प्राचित कष्ट्र अधीर (अधीर अधीर प्राचित कष्ट्र अधीर (अधीर अधीर अधीर (अधीर अधीर अधीर अधीर अधीर (अधीर अधीर अधीर अधीर अधीर अधीर अधीर अधीर		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखा	ाया जायेगा:			
राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD  2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (क्a) 0.01 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग 2851-Village and Small Industries 0.01 (क्a) 0.01 2852-उद्योग 2852-Industries 0.01 (व्ह) 0.01 व्हेड (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03 पूर्णी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD		., ,		lead		
राजस्व भाग REVENUE SECTION  मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD  2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (क्a) 0.01  2851-ग्राम एवं लघु उद्योग 2851-Village and Small Industries 0.01 (व्ह) 0.01  2852-उद्योग 2852-Industries 0.01 (व्ह) 0.01  जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03  पूर्णी भाग CAPITAL SECTION  मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD  4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4851-Capital Outlay on Village and Small Industries 13.00 (घ्d) 13.00		,	<i>भारित</i> े	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़	
मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD  2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (क्a) 0.01  2851-ग्राम एवं लघु उद्योग 2851-Village and Small Industries 0.01 (खb) 0.01  2852-उद्योग 2852-Industries 0.01 (गc) 0.01  जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03  पूर्णी भाग CAPITAL SECTION  मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD  4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4851-Capital Outlay on Village and Small Industries 13.00 (घd) 13.00			Charged	Voted	Total	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (क्a) 0.01 (कa) 0.03 (कa) 0.03 (full wind wind wind wind wind wind wind wind	राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग 2851-Village and Small Industries 0.01 (खb) 0.01 2852-उद्योग 2852-Industries 0.01 (गc) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03 पूर्णी भाग CAPITAL SECTION 0.03 0.03 पूर्णी भाग CAPITAL SECTION 13.00 (घd) 13.00	मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-Industries 0.01 (गट) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	( <b>कa</b> ) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03 पूजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परित्र्यय 4851-Capital Outlay on Village and Small Industries 13.00 (घ्र.) 13.00	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(खb) 0.01	
<i>पूंजी भाग CAPITAL SECTION</i> मु <b>ख्य शीर्ष MAJOR HEAD</b> 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4851-Capital Outlay on Village and Small Industries 13.00 (घd) 13.00	2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(गc) 0.01	
<b>मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD</b> 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4851-Capital Outlay on Village and Small Industries 13.00 (घd) 13.00	जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.03	0.03	
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4851-Capital Outlay on Village and Small Industries 13.00 (घd) 13.00	पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
	मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 13.03 13.03	4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries		13.00	(ঘd) 13.00	
	जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		13.03	13.03	

(b)

(c)

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

- क) (i)'पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन स्कीमें' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 30.00 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.30 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए और (ii) 'सिल्क वर्स्सों का विकास' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 26.00 करोड़)।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) 'मानव संसाधन विकास-हस्तिशिल्प' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.00 करोड़), (ii) 'विपणन सहायता और सेवाएं' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5.80 करोड़), (iii) 'अन्य हस्तिशिल्प स्कीमें' स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.74 करोड़), (iv) 'अन्य हस्तिशिल्प स्कीमें' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.80 करोड़), (v) 'अन्य हथकरा' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत अस्तियों के मृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.62 करोड़) और (vi) 'धागा आपूर्ति स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.91 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (i) 'एकीकृत प्रोसेसिंग विकास स्कीम' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 7.00 करोड़), (ii) 'श्रमिक आवास' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान के लिए (i) Meeting additional requirement for Grants in Aid General (₹ 30.00 crore) and Professional Services (₹ 0.30 crore) under the scheme "North Eastern Textiles Promotion Schemes" and (ii) Meeting additional requirement for Grants in Aid General under the

scheme "Development of Silk Textiles" (₹ 26.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Meeting additional requirement for Grants in Aid General under the scheme "Human Resource Development – Handicraft" (₹ 1.00 crore), (ii) Meeting additional requirement for Grants in Aid General under the Scheme "Marketing Support and Services" (₹ 5.80 crore), (iii) Meeting additional requirement for Minor Works under the scheme "Other Handicraft schemes" (₹ 0.74 crore), (iv) Meeting additional requirement for Grants in aid Salaries under the scheme "Other Handicraft schemes" (₹ 0.80 crore), (v) Meeting additional requirement for Grants for creation of Capital Assets under the scheme "Other Handloom Scheme" (₹ 3.62 crore) and (vi) Meeting additional requirement for Grants in aid General under the scheme "Yarn Supply Scheme" (₹ 0.91 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Meeting additional requirement for Grants for creation of Capital Assets under the Scheme "Integrated Processing Development Scheme" (₹ 7.00 crore), (ii) Meeting additional requirement for अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.34 करोड़) और (iii) 'फ्लैटेड फैक्टरी सह इंक्यूबेटर्स' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.47 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) 'अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास स्कीम' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 13.00 करोड़)।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Grants for creation of Capital Assets under the scheme "Workers' Hostel" (₹ 0.34 crore) and (iii) Meeting additional requirement for Grants for creation of Capital Assets under the scheme "Flatted Factory cum Incubators" (₹ 0.47 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional requirement for Major Works under the scheme "Infrastructure &Technology Development Scheme" (₹ 13.00 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

### मांग संख्या DEMAND NO 96 जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 98-99 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 73 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 98-99 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

Demands	s for Grants for the year 201	18-2019 and page 98-99 of the S	econd Supple	ementary Demands	for Grants for		
				भारित	स्वीकृत	<i>(₹ करोड़ ) (In</i> जे	र crores) डि
				Charged	Voted		ntal
।. मूल अनुद	ान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		4935.92	999.08	593	5.00
पूंजी		Capital			65.00	6	5.00
जोड़		Total		4935.92	1064.08	600	0.00
पूरक अनुदा	<del>7</del> :	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व		Revenue		0.01	1.71		1.72
पूंजी		Capital					
जोड़		Total		0.01	1.71		1.72
	श्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	unt now required			_	
राजस्व पूंजी		Revenue		20.00	0.02	2	0.02
<sup>पूजा</sup> जोड़		Capital		 20.00	0.02	•	0.02
जाड़ जोड़ (मूल और	· uzæ\	Total Total (Original plus Supplementary)		20.00 4955.93	1065.81		1.74
गाड़ (नूस आर राजस्व	, <u>1</u> (1)	Revenue		4955.93	1000.81		6.74
पूंजी		Capital			65.00		5.00
<b>6</b> -11		U. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	गळा भीगों के शंजा	 न दिखामा नामेगाः	03.00	•	5.00
		II. This Supplementary Grants/Appro	· ·		following Major I	Heads:	
		ii. The supplementary stants, tppre	opridatorio viii bo	भारित	स्वीकृत		ोड़
				Charged	Voted	To	otal
राजस्व भाग	-	REVENUE SECTION		_			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	वेत जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes,	Scheduled Tribe	es,	0.01	( <b>कa</b> )	0.01
	र अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minori	ities				
2552-पूर्वोत्तर		2552-North Eastern Areas			0.01	` '	0.01
	गरकारों को सहायता अनुदान ——•	3601-Grants-in-aid to State Governr	ments	20.00	(πc)		0.00
जोड़ (राजस्व	भाग)	Total (Revenue Section)		20.00	0.02	2	0.02
ये पूरक अनुदा	नें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं		The suppleme	ntary Grants/Appropriati	ions are required	for:	
(क)	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान, सूचना	और जनसमूह शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य	(a)	GIA General under	the scheme T	ribal Festival,	Research
	सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़)।			Information and Mass E	ducation (₹ 2.50	crore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बन् जाता है।	वत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the Grant, a token supplem	•	in the same s	ection of the
(ख)	जनजातीय उप-स्कीमों को विशेष केंर्द्र	रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता	(b)	GIA General under the	scheme Special C	Central Assistar	nce to Tribal
	अनुदान (₹ 7.50 करोड़)।			Sub Schemes (₹ 7.50 c	,		
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बन् जाता है।	वत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा		Taking into account the Grant, a token supplem		in the same s	ection of the
(ग)	(i) (1) जनजातीय उत्पादों का विव	कास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता	(c)	(i) GIA General under	the scheme (1	) Institutional	Support for
	7	छात्रवृत्ति (₹ 7.73 करोड़), (3) मैट्रिकोत्तर		Development and Mark	ceting of Tribal P	roducts (₹ 0.8	5 crore), (2)
	, ,	4) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता		Pre-Matric Scholarship	, , ,	•	
	, , , ,	के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान स्कीम के		(₹ 13.77 crore) and (4)			
	अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के	ालए अनुदान (₹ 20 करोड़)।		crore). (ii) Grants for Congrants under Article 27			
		उपलब्ध ₹ 20 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को		Taking into account the	surrender of savi	ngs of ₹ 20 cro	ore available
	देखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं	होगा।		in the Revenue Voted S		ant, the above	expenditure
				will not entail any addition	onal cash outgo.		

#### मांग संख्या DEMAND NO 97

#### जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

### MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122-123 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 122-123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 100 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				रॊड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	<b>जৌ</b> ड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	8188.51	8189.51
पूंजी	Capital	0.01	730.87	730.88
जोड़	Total	1.01	8919.38	8920.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.04	0.04
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.05	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जो <u>ड़</u>	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.01	8919.44	8920.45
राजस्व	Revenue	1.00	8188.56	8189.56
पूंजी	Capital	0.01	730.88	730.89
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिग	बाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unde	r the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कावेरी जल प्रवंधन प्राधिकरण को सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹ 2 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

release of Grants-in-aid General to Cauvery Water Management Authority (₹ 2 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 98

## महिला और बाल विकास मंत्रालय

### MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75-76 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 101-102 देखिये)

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 75-76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 101-102 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		•		करोड़ ) ([n ₹ crores)			
		भारित	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़			
		Charged	Voted	Total			
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		25199.99	25199.99			
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01			
जोड़	Total		25200.00	25200.00			
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व	Revenue	***	58.69	58.69			
पूंजी	Capital	***	45.12	45.12			
जोड़	Total	<b></b>	103.81	103.81			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:						
राजस्व	Revenue		0.01	0.01			
पूंजी	Capital						
जोड़	Total		0.01	0.01			
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		25303.82	25303.82			
राजस्व	Revenue		25258.69	25258.69			
पूंजी	Capital		45.13	45.13			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत f	देखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	<b>जो</b> ड़			
		Charged	Voted	Total			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	***	0.01	0.01			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

देखभाल और संरक्षण से वंचित श्रमजीवी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

GIA General under the scheme for Welfare of Working Children in Need of Care and Protection (₹ 2.50 crore)

### युवा मामले और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

( केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 77 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 103 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019

Demands for Grants for the year	2018-2019 and page 103 of the Second Sup	plementary Demands f	or Grants fo	or the yea	ar 2018-2019		
				(₹ करोड़	) (In ₹ crores		
		<i>भारित</i>	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़		
		Charged	Voted		Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		2138.31		2138.31		
पूंजी	Capital		58.04		58.04		
जोड़	Total	•••	2196.35		2196.35		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व	Revenue		0.23		0.23		
पूंजी	Capital						
जोड़	Total	•••	0.23		0.23		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:					
राजस्व	Revenue	•••	0.02		0.02		
पूंजी	Capital						
जोड़	Total	•••	0.02		0.02		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	2196.60		2196.60		
राजस्व	Revenue	***	2138.56		2138.56		
पूंजी	Capital		58.04		58.04		
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head						
		भारित	स्वीकृत		<b>जो</b> ड़		
		Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		0.01	( <b>क</b> a)	0.01		
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01		
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02		
ये पुरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं	The sunnle	ementary Grants are required	for:				
	ा (₹ 16.66 करोड़) और (2) राष्टीय डोप परीक्षण    (a)	(1) GIA General under		a (i) Nehi	ru Yuva Kendr		
(, (, )	(ii) नेहरू युवा केंद्र संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन	Sangathan (₹ 16.66 cror		. ,			

(i) (1) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 16.66 करोड़) और (2) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 2.11 करोड़), (ii) नेहरू युवा केंद्र संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 34.03 करोड़), (iii) (1) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 4.45 करोड़) और (2) खेलो इंडिया स्कीम (₹ 90 करोड़) तथा (iv) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि के अंतर्गत अंशदान (₹ 71 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10 करोड़ अर्थात ₹ 7.60 करोड़ -सामान्य और ₹ 2.40 करोड़ - अनुसूचित जनजाति)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(1) GIA General under the scheme (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 16.66 crore) and (ii) National Dope Test Laboratory (₹ 2.11 crore), (2) GIA Salary under the scheme Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 34.03crore), (3) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) National Dope Test Laboratory (₹ 4.45 crore) and (ii) Khelo India Scheme (₹ 90 crore i.e. ₹ 74.12 crore- Gen., ₹ 9.13 crore -SC and ₹ 6.75 crore - ST) and (4) Contribution under National Sports Development Fund (₹ 71 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Khelo India Scheme (₹ 10 crore i.e. ₹ 7.60 crore - Gen. and ₹ 2.40 crore - ST). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### अनुबंध

वर्ष 2018-19 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

(र करोड़) पुनर्विनियोग 丣. बजट अनुमान सं. मंत्रालय/विभाग का नाम की राशि टिप्पणियां योजना 1 2 3 4 5 6 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210.06.001.09 - संचारी रोगों 1. विभाग आईईसी गतिविधियों पर अतिरिक्त व्यय के के लिए फ्लैक्सिबल पूल 67.45 11.20 कारण 2210.06.001.09.10 - आपूर्ति और सामग्री की खरीद - आरएनटीसीपी आपूर्ति की खरीद पर अतिरिक्त व्यय के 1500.00 300.00 कारण 2211.00.109.13 - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लैक्सिबल पूल 3.10 संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक मांग के कारण 4.30 2211.00.109.13.07 - एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र - ईएसी (राष्ट्रीय निवेश निधियों से सहायता) 3.24 संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक मांग के कारण 3601.06.101.13.09- एनआरएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - संघ राज्य क्षेत्र (राष्ट्रीय निवेश निधियों से सहायता) राज्यों से अधिक मांग के कारण 245.26 4904.68 3601.06.101.14 - परिवार कल्याण-राज्यों से अधिक मांग के कारण अवसंरचना अन्रक्षण 3490.50 247.73 3601.06.101.20.05 - नए चिकित्सा कालेजों को स्थापित करना (जिला चिकित्सालयों का उन्नयन) राज्यों से अधिक मांग के कारण 1598.91 280.00 3601.06.101.04.08 - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंर्तगत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - फ्लैक्सिबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधियों से सहायता) राज्यों से अधिक मांग के कारण 514.81 10.10 3601.06.789.04.07 - नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम इत्यादि सहित आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल - (राष्ट्रीय निवेश निधियों से राज्यों से अधिक मांग के कारण सहायता) 382.58 968.78 3601.06.789.04.09 - एनआरएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली-संघ राज्य क्षेत्र राज्यों से अधिक मांग के कारण (राष्ट्रीय निवेश निधियों से सहायता) 1854.39 116.58 3601.06.789.05 - परिवार कल्याण -राज्यों से अधिक मांग के कारण अवसंरचना अनुरक्षण 1217.95 179.81

## ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2018-19.

		(Rupees in Crore)				
Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates	Amount of Re-appro- priation	Remarks	
1	2	3	4	5	6	
1.	Department of Health	2210.06.001.09 - Flexible Pool			Due to additional expenditure on	
	& Family Walfare	for Communicable Diseases	67.45	11.20	IEC activities.	
		2210.06.001.09.10 -				
			1500.00	300.00	Due to additional expenditure on	
		Materials - RNTCP			procurement of supplies.	
		2211 00 100 12 N .: 1H 1				
		2211.00.109.13 - National Urban Health Mission - Flexible Pool	4.30	3.10	Due to more demand from UTs.	
		ricatui Wiission - Ficarbic Fooi	4.50	5.10	Due to more demand from 0.1s.	
		2211.00.109.13.07 - Other Health	1			
		System for activities covered				
		under NUHM - UTs w/o				
		legislature - EAC (Support from	2.24	2.64	D. (1) 1.C. LET	
		National Investment Fund - NIF)	3.24	2.64	Dut to more demand from UTs.	
		3601.06.101.13.09 - Other Health	1			
		System for activities covered				
		under NRHM- UTs (Support from	l			
		National Investment Fund - NIF)	4904.68	245.26	Dut to more demand from States.	
		3601.06.101.14 - FW -				
		Infrastructure Maintenance	3490.50	247.73	Dut to more demand from States.	
		3601.06.101.20.05 - Establishing				
		New Medical Colleges (Upgradin	-	200.00	D. (1) 10 0(4)	
		District Hospitals)	1598.91	280.00	Dut to more demand from States.	
		3601.06.101.04.08 - Other Health	1			
		System for activities covered				
		under NUHM - Flexible Pool				
		(Support from National			_	
		Investment Fund - NIF)	514.81	10.10	Dut to more demand from States.	
		3601.06.789.04.07 - RCH Flexib	le			
		Pool including Routine	ic .			
		Immunisation Programme, Pulse				
		Polio Immunisation Programme,				
		National lodine Deficiency				
		Disorders Control Programme etc				
		(Support from National	0.60.70	202.50	D	
		Investment Fund - NIF)	968.78	382.58	Dut to more demand from States.	
		3601.06.789.04.09 - Other Health	1			
		System for activities covered				
		under NRHM- UTs (Support from				
		National Investment Fund - NIF)	1854.39	116.58	Dut to more demand from States.	
		3601.06.789.05 - FW -				
		Infrastructure Maintenance	1217.95	179.81	Dut to more demand from States.	
				1,,,01	The state of the s	

		(₹ करोड़)					
1	2	3	4	5	6		
		3601.06.789.13.05-राष्ट्रीय शहरी					
		स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल					
		गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणार्ल	<del> </del>				
		फ्लैक्सिबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि					
		से सहायता)	71.97	2.54	राज्यों से अधिक मांग के कारण		
		3601.06.789.13.06 - व्यापक					
		प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	27.22	2.10	राज्यों से अधिक मांग के कारण		
		3601.06.796.04.07-नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता					
		विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	445.81	155.84	राज्यों से अधिक मांग के कारण		
		3601.06.796.05 - परिवार कल्याण-					
		अवसंरचना अनुरक्षण	560.23	93.37	राज्यों से अधिक मांग के कारण		
	ज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग	नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	3.00	3.15	भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 20 में किए गए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के ि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ी,		
					कि मूल रूप से केवल लगभग ₹ 3 करोड़ अनुमानित की गई थी।		

(Rupees in Crore)

			` 1	/	
1	2	3	4	5	6
		3601.06.789.13.05 - Other Health			
		System for activities covered			
		under National Urban Health			
		Mission - Flexible Pool (Support			
		from National Investment			
		Fund - NIF)	71.97	2.54	Dut to more demand from States.
		3601.06.789.13.06-			
		Comprehensive Primary Health			
		Care - (Support from National			
		Investment Fund - NIF)	27.22	2.10	Dut to more demand from States.
		3601.06.796.04.07 - RCH Flexible			
		Pool including Routine			
		Immunisation Programme, Pulse			
		Polio Immunisation Programme,			
		National lodine Deficiency			
		Disorders Control Programme etc.			
		(Support from National			
		Investment Fund - NIF)	445.81	155.84	Dut to more demand from States
		3601.06.796.05 - FW -			
		Infrastructure Maintenance	560.23	93.37	Dut to more demand from States.
2.	Department of Science	Innovation, Technology	3.00	3.15	Additional funds are required f
	and Technology	Development and Deploymentg			catering to excess expenditured in India Internation Science Festival 2018 which we originally estimated only at around the control of the co
					originally estimated only at aro Rs. 3.00 crore.